सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या–4

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

(राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या–4

विषय–सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय–I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रुझान	1.2	1
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	1.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति	1.4	6
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.5	6
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	7
प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन	1.7	8
अध्याय–II: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	2.1	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	10
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	2.3	11
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना	2.4	12
मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण	2.5	13
अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर		
कर प्रशासन	3.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	15
कर की गलत दर का लगाया जाना	3.3	17
केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0)	3.4	24
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें	3.5	27
ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना	3.6	35
अर्थदण्ड का अनारोपण	3.7	36
व्यापारी द्वारा कर के रूप में गलत तरीके से वसूल की गई धनराशि को जब्त नहीं किया जाना	3.8	42
माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी	3.9	43

अध्याय–IV: अन्य कर प्राप्तियाँ		
(क) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	59
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	60
कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत अतिभार माल वाहनों पर शास्ति आरोपित नहीं की गयी	4.3	61
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया	4.4	63
(ख) स्टाम्प एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	4.5	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.6	65
अधिनियमों/नियमों के अनुपालन	4.7	66
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	4.8	67
अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.1	69
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	69
परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया	5.3	71
खनिजों के अनधिकृत उत्खनन	5.4	72
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	5.5	75
अपरिहार्य भाटक का नहीं/कम जमा होना	5.6	76
परिशिष्टियाँ		**79–130**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्ययों पर की गयी लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2017–18 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; 2017–18 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राज्य आबकारी, बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस तथा खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 17 प्रस्तर शामिल हैं, जिसमें एक प्रस्तर **"माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी"** को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 195.88 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है। इनमें से सम्बन्धित विभागों द्वारा ₹ 140.34 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया है। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

अध्याय–I: सामान्य

वर्ष 2017–18 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,78,775.45 करोड़ थी जिसमें से राज्य की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,17,187.86 करोड़ (42.04 प्रतिशत) थी। भारत सरकार ने ₹ 1,61,587.59 करोड़ (57.96 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों का राज्याँश ₹ 1,20,939.14 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 43.38 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 40,648.45 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 14.58 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक राज्य के अपने कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी। उस समय अनुरोध के बावजूद वित्त विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा को बजट पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे इस व्यापक भिन्नता के कारणों का आंकलन नहीं हो सका।

(प्रस्तर 1.2)

31 मार्च 2018 को बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, राज्य आबकारी, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियां राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया ₹ 22,564.66 करोड़ था, जिसमें से ₹ 10,581.96 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहिए एवं बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करना चाहिए। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रिया विकसित किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 1.3)

अध्याय–II: राज्य आबकारी

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 28.35 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 30.50 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 58.85 करोड़, के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

विभाग को मदिरा दुकान का अनुज्ञापन का व्यवस्थापन करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रणाली का तंत्र तैयार करना चाहिए, जब कोई उच्चतम बोलीदाता आवंटन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।

(प्रस्तर 2.3)

बोतल बंद बीयर की फुटकर बिक्री के लिये 119 अनुज्ञापियों के सम्बन्ध में बीयर बार अनुज्ञापन जारी न किये जाने से ₹ 2.36 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.4)

आबकारी नीति में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मॉडल शॉप्स का अनुज्ञापन शुल्क नियत न किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1.36 करोड़ का कम आरोपण।

(प्रस्तर 2.5)

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 148.62 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों को अनुसूची के अनुसार सत्यापित किये बिना, व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 12.36 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को उन मामलों में जहाँ कर की गलत दर लगाये जाने के लिए टंकण की त्रुटि को कारण कहा गया है, सर्तकता के दृष्टिकोण से जाँच शुरू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 55.97 करोड़ के स्टाक ट्रांसफर पर ₹ 2.80 करोड़ की अनियमित छूट अनुमन्य की जबकि व्यापारी प्रेषण के प्रमाण के साथ वांछित घोषणा–पत्र फार्म 'एफ' दाखिल करने में विफल रहा था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को चाहिये कि वह ऐसे समस्त मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करे जिसमें कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार की छूटें अनुमन्य की गई हों।

(प्रस्तर 3.4.1)

व्यापारियों ने घोषणा पत्र फार्म 'सी' के विरूद्ध कर की रियायती दर से ₹ 6.81 करोड़ के मूल्य का माल क्रय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं था। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की संवीक्षा न किये जाने से ₹ 1.05 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग यह सुनिश्चित करे कि कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपयोग प्रमाण पत्रों, जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसी रियायतों पर विचार करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

(प्रस्तर 3.4.2)

व्यापारियों ने ₹ 64.88 लाख की धनराशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.01 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्याज सहित अनुत्क्रमित रही।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को ऐसे संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिये जहाँ कि व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा रहा है और कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है।

(प्रस्तर 3.5.1)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 1.40 करोड़ की ब्याज सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट जिनकी बिक्री व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को चाहिये कि व्यापारियों द्वारा दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करें।

(प्रस्तर 3.5.2)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के उन वस्तुओ के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 2.20 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्याज सहित जो व्यापारियों द्वारा किये गये दावे से कम दरों पर करयोग्य थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे निर्धारित दरों पर ही किये जा रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के समस्त दावों की आवधिक एवं यादृच्छिक समीक्षा करे।

(प्रस्तर 3.5.3)

विभाग द्वारा किये गये प्रति सत्यापन पर, व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 1.94 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि, इसको कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उत्क्रमित किया गया था, दोषियों के विरूद्ध ₹ 9.71 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को ऐसे मामलों की ध्यानपूर्वक जाँच एवं सत्यापन करना चाहिए जिसमें व्यापारी द्वारा मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा रहा है।

(प्रस्तर 3.5.4)

व्यापारियों ने ₹ 5.56 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया, जिस पर ब्याज प्रभार्य था। तथापि, कर निर्धारण करते समय इसे प्रभारित नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ की धनराशि का ब्याज प्रभारित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि जहाँ व्यापारियों ने देय कर को विलम्ब से जमा किया है, वहाँ ब्याज की धनराशि की गणना वाणिज्य कर विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 3.6)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये टर्नओवर की धनराशि ₹ 20.44 करोड़ पर ₹ 3.66 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को ऐसे सभी मामले की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा टर्नओवर के छिपाये जाने का पता लगता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित अर्थदण्ड लगाया जाये।

(प्रस्तर 3.7.1)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 15.31 करोड़ की धनराशि के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 3.06 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड और ₹ 55.30 लाख ब्याज आरोपित नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को उन मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकृत कर को देय ब्याज के बिना जमा किया जा रहा है।

(प्रस्तर 3.7.2)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर (टी0डी0एस0) ₹ 13.40 करोड़ की धनराशि को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यापारियों पर ₹ 26.80 करोड़ के अर्थदण्ड की धनराशि के साथ ₹ 14.26 लाख ब्याज आरोपित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को व्यापारियों/ठेकेदारों द्वारा टी0डी0एस0 को समय से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 3.7.3)

व्यापारियों ने अपने कर दायित्व से ₹ 4.61 करोड़ का कर अधिक एकत्र किया था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों द्वारा गलत तरीके से वसूल की गयी धनराशि को जब्त नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को उन प्रकरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अन्य व्यापारियों से धनराशि कर के रूप में गलत तरीके से वसूल किया गया है।

(प्रस्तर 3.8)

माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी।

राज्य वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा को न तो माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की ऐक्सेस दी व न ही माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) डेटा से संबन्धित अपने अधिकार का कोई डेटा डम्प सतत् प्रयास के बावजूद उपलब्ध कराया। विभाग ने बताया कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ डेटा शेयरिंग प्रोटोकाल का प्रकरण माल एवं सेवा कर परिषद को संदर्भित कर दिया गया है। जीएसटीएन एवं डेटा डम्प को ऐक्सेस करने के लिये मामले का निर्णय होने तक, प्रतीक्षा किया जाना औचित्यपूर्ण होगा। चूंकि माल और सेवा कर का डेटा साझा नहीं किया गया, हम लेखापरीक्षा नहीं कर सके एवं इसलिए **'माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी'** की लेखापरीक्षा का निष्कर्ष मुख्यतः लेखापरीक्षा द्वारा किये गये प्रश्नों एवं माँग पत्रों पर उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं पर, परन्तु बिना किसी वास्तविक डाटाबेस या दस्तावेजों के स्वतंत्र सत्यापन के, आधारित है।

(प्रस्तर 3.9.4 एवं 3.9.5)

अध्याय–IV: अन्य कर प्राप्तियाँ

परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभार में निरूद्ध 913 माल वाहनों पर कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति ₹ 2.16 करोड़ भी आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि परिवहन विभाग उप खनिजों को ढोने वाले अतिभार वाहनों को रोकने के लिए कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत परिभाषित सामान्य वाहक में पंजीकृत करें, ताकि ऐसे उप खनिजों के अतिभार परिवहन यानों को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग परिवहन विभाग के साथ परामर्श कर परिवहन विभाग द्वारा एम0एम0–11 के आधार पर सड़क पर संचालित अतिभार वाहनों को पकड़ने के लिए एक ऑन–लाइन पद्धति विकसित करे।

(प्रस्तर 4.3)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 393 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.4)

5.09 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 58.56 करोड़ में गलत ढंग से निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 256.09 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.42 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को *प्रेरणा* सॉफ्टवेयर की उपलब्ध विशेषताओं का उपयोग करते हुए, जहाँ पर एक ही आराजी से भूमि की बिक्री आवासीय दर से एक निश्चित अवधि में की गयी हो की अनिवार्य भौतिक सत्यापन उप निबन्धक अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा कराने के बाद सम्पत्ति का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.8)

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

विभाग ने बिना वैध प्राधिकार के खनिजों के खनन के 334 मामलों में ₹ 26.27 करोड़ खनिज मूल्य के एवं उचित शास्ति सिविल कार्य के ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है, और ऐसे खनिजों के परिवहन के लिये वैध एम0एम0–11 प्रपत्र है।

(प्रस्तर 5.3)

पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित अनुमति से अधिक के उप खनिजों के उत्खनन पर दो पट्टाधारकों से अधिक उत्खनित खनिज मूल्य ₹ 1.66 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.4.1)

खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.35 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.4.2.1)

बिना खनन योजना के खनिजों के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.00 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.4.2.2)

बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित 36 ईंट भट्ठों से ईंट मिट्टी की ₹ 1.77 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि अवैध खनन रोकने के लिये ईंट की मिट्टी सहित खनिजों का उत्खनन बिना अपेक्षित पर्यावरण मंजूरी के न किया जाये।

(प्रस्तर 5.4.3)

ईंट भट्ठा स्वामियों से 660 मामलों में रॉयल्टी ₹ 6.94 करोड़ एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 13.14 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी एक मुश्त समाधान योजना में विनिर्दिष्ट थे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य में सभी ईंट भट्ठा स्वामी दिये गये भट्ठा वर्ष में लागू एक मुश्त समाधान योजना के प्रावधानों का पालन करें। दोषी ईंट भट्ठा स्वामियों से बकाया रॉयल्टी वसूल किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

(प्रस्तर 5.5)

19 पट्टाधारकों ने पट्टा अवधि के लिये वसूलनीय अपरिहार्य भाटक ₹ 3.94 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.85 करोड़ जमा किया। विभाग ने कम जमा अपरिहार्य भाटक ₹ 2.09 करोड़ को वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया।

(प्रस्तर 5.6)

अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते है, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किए गए हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

अध्याय–I: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाही गई प्राप्तियों के रूझान, दोनों कर एवं करेतर तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पृष्ठभूमि के विरूद्ध संग्रह के लिए लम्बित राजस्व के बकाये के विहंगावलोकन को प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रुझान

1.2.1 2017–18 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–1.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	66,582.08	74,172.42	81,106.26	85,965.92	97,393.00
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**14.60**	**11.40**	**9.35**	**5.99**	**13.29**
	• करेतर राजस्व	16,449.80	19,934.80	23,134.65	28,944.07	19,794.86
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**26.82**	**21.19**	**16.05**	**25.11**	**(–)31.60**
	योग	**83,031.88**	**94,107.22**	**1,04,240.91**	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	62,776.70	66,622.91	90,973.69	1,09,428.29	1,20,939.14[1]
	• सहायता अनुदान	22,405.17	32,691.47	31,861.34	32,536.87	40,648.45
	योग	**85,181.87**	**99,314.38**	**1,22,835.03**	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**1,68,213.75**	**1,93,421.60**	**2,27,075.94**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**49**	**49**	**46**	**45**	**42**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2013–18 के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की वार्षिक औसतन वृद्धि क्रमशः 10.93 प्रतिशत एवं 11.51 प्रतिशत रही थी।

राज्य के अंश में 10 प्रतिशत की वृद्धि (32 से 42 प्रतिशत तक) करने की 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन (2015–16 से) के क्रम में केन्द्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2017–18 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ–कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष–0005–केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 0008–एकीकृत माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

चार्ट–1.1

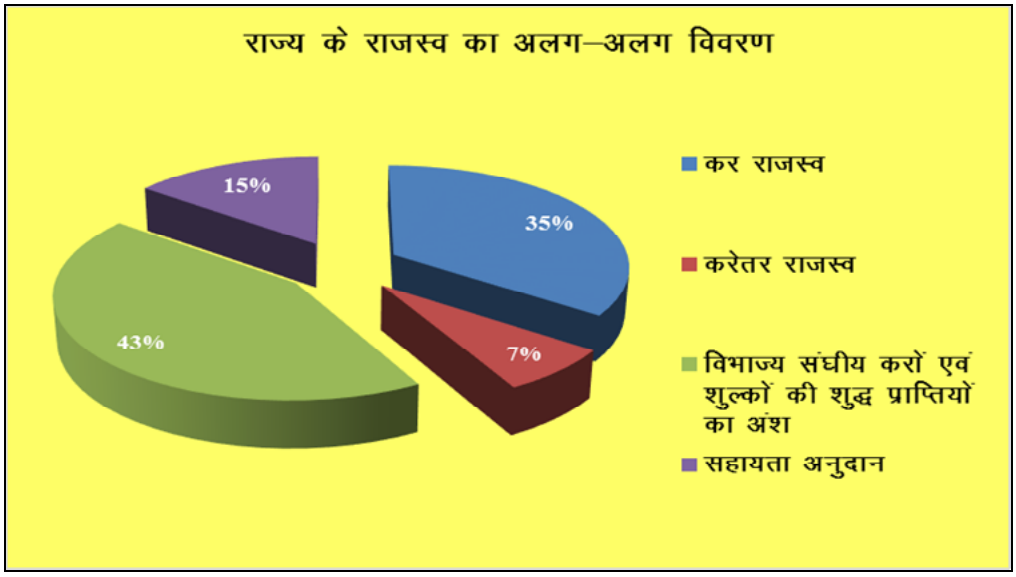

1.2.2 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी–1.2** में दिये गये हैं।

सारणी–1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	की तुलना में वर्ष 2017–18 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2017–18 के ब0अ0	2016–17 के वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	43,936.00 39,645.45	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	(–)13.10[2]	(+)8.87
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0.मा.से.क.)[3] (जुलाई 2017 से मार्च 2018)					28,602.70 25,373.96		
2.	राज्य आबकारी	12,084.00 11,643.84	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	(–)15.89	(+)21.35
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	10,555.00 9,520.92	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	(–)23.26	(+)15.86
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,713.00 3,442.01	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	(+)16.83	(+)24.38
5.	अन्य[4]	1,905.00 2,329.86	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	(+)27.48	(+)22.21
योग		**72,193.00** **66,582.08**	**80,997.93** **74,172.42**	**91,915.00** **81,106.26**	**1,01,256.50** **85,965.92**	**1,11,501.90** **97,393.00**	**(–)12.65**	**(+)13.29**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2017–18 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

---

2 $\frac{36,397.30 - 28,602.70}{31,112.52 - 25,373.96} = \frac{65,000.00}{56,486.48}$

3 नई राजस्व कर शीर्ष दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी है।

4 निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि ।

चार्ट–1.2

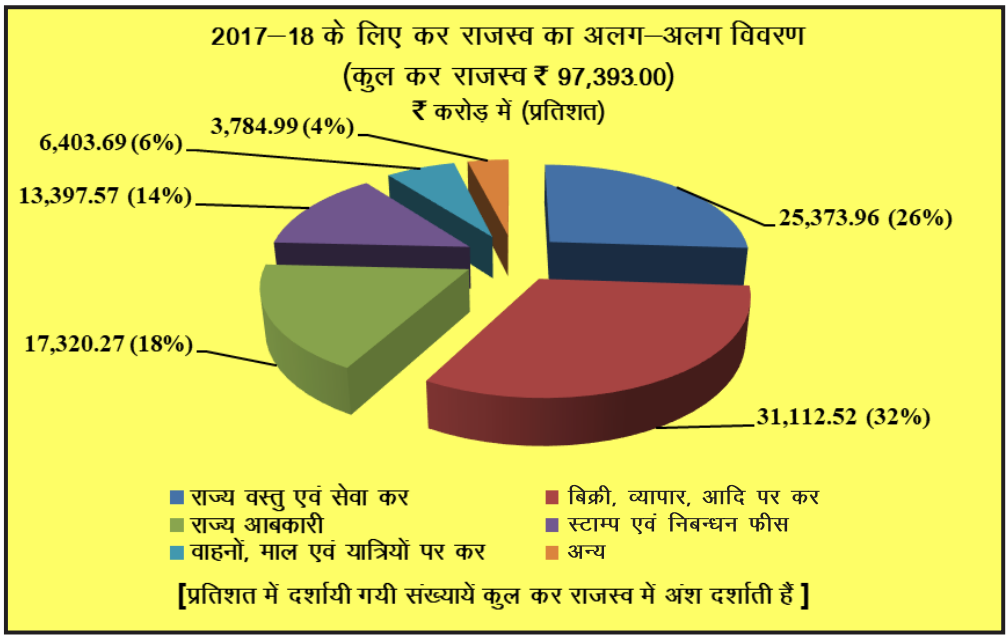

- 2017–18 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 13.29 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य आबकारी' (₹ 3,047 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन' (₹ 1,834 करोड़ द्वारा), 'वाहनों पर कर' (₹ 1,255 करोड़ द्वारा), 'भू–राजस्व' (₹ 576 करोड़ द्वारा) तथा 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' (₹ 568 करोड़ द्वारा) में वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2017–18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, में ₹ 20,770 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) में समाहित किया गया जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0) के अन्तर्गत ₹ 25,374 करोड़ का संग्रहण हुआ।
- 'राज्य आबकारी' में वृद्वि देशी शराब (₹ 892 करोड़ द्वारा), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (₹ 795 करोड़ द्वारा) एवं बीयर (₹ 279 करोड़ द्वारा) की बिक्री में वृद्वि के कारण हुई। राज्य आबकारी विभाग को वर्ष के दौरान ₹ 373 करोड़ की प्राप्ति वर्ष 2018–19 में दुकानों के लिये ई–लाटरी टेण्डर प्रक्रिया अपनाने के कारण भी प्राप्त हुई।
- 'स्टाम्प एवं निबन्धन' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्वि मुख्यतः भूमि के सर्किल रेट के वार्षिक पुनरीक्षण, रजिस्ट्री प्रपत्रों से अधिक शुल्क की प्राप्तियों (58 प्रतिशत) तथा न्यायिक एवं न्यायिकेतर स्टैम्प्स की बिक्री (23 प्रतिशत) के कारण हुई। 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' की प्राप्तियों में वृद्वि विद्युत की बिक्री एवं उपभोग पर अधिक कर संग्रहण (41 प्रतिशत) के कारण हुई।

1.2.3 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारिणी–1.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.3
करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	की तुलना में वर्ष 2017–18 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2017–18 के ब0अ0	2016–17 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	2,970.98 3,194.28	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	(+)7.53	(+)8.54
2	शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति	5,852.75 6,414.09	6,887.18 5,798.52	7,600.00 10,652.08	11,170.31 14,092.31	520.00 432.05	(–)16.91	(–)96.93
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,000.00 912.52	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	(+)1.84	(+)110.47
4	बिजली	270.00 1,060.81	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	(+)5.80	(+)59.79
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[5]	3,088.75 4,868.10	5,506.96 5,738.58	5,062.32 4,989.01	4,499.93 5,904.12	5,766.37 6,566.97	(+)13.69	(+)11.23
	योग	**13,182.48** **16,449.80**	**20,231.95** **19,934.80**	**21,636.32** **23,134.65**	**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**(+)7.37**	**(–)31.61**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2017–18 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट–1.3

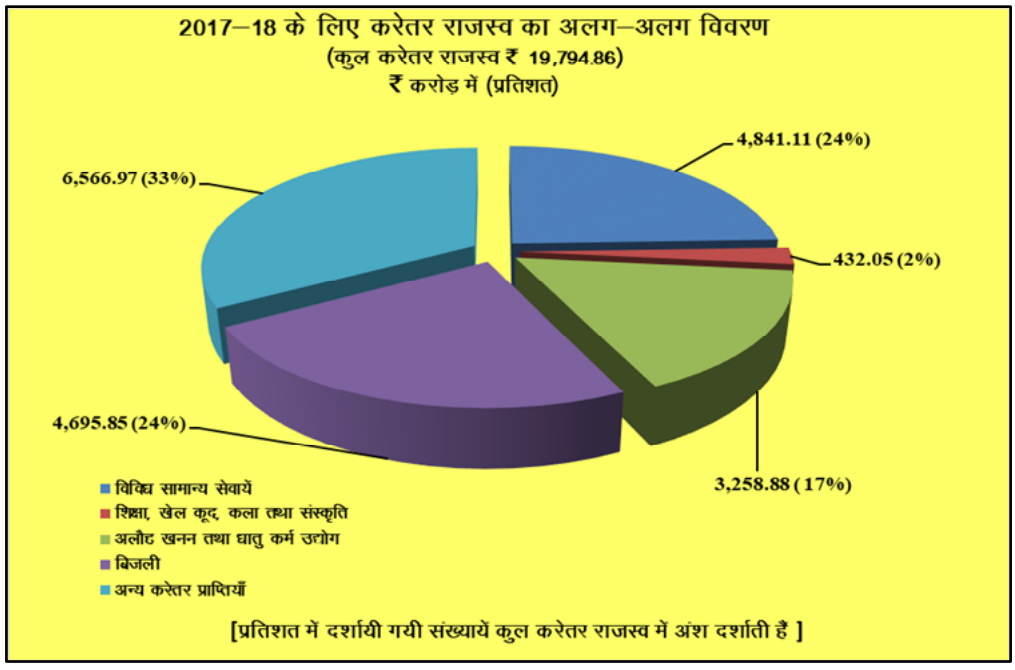

2016–17 के सापेक्ष 2017–18 के दौरान ₹ 9,149 करोड़ की करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर 31.61 प्रतिशत की कमी थी। जो मुख्यतः 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों के कम होने के कारण थी, जिसका वास्तविक कारण यह था कि वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिये

[5] अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः ब्याज प्राप्तियाँ, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदि।

की जाने वाली प्रतिपूर्ति को प्राथमिक शिक्षा विभाग में व्यय की कमी के रूप में लेखांकित किया गया जबकि पूर्व में यह राज्य के करेतर प्राप्तियों में दर्शाया जाता था। अग्रेतर, अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत खनिज रियायती शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी (186 प्रतिशत) में अधिक प्राप्तियाँ मुख्यतः विभिन्न खनिजों के रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक की दर में पुनरीक्षण होने के कारण थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी–1.2 एवं 1.3)। उस समय अनुरोध के बावजूद वित्त विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा को बजट पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी जिस कारण इस व्यापक भिन्नता के कारणों का आंकलन नहीं हो सका। प्रकरण को यथोचित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (अध्याय–3 सामान्य प्रस्तर संख्या 3.2.3) में सूचित किया गया।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

1.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2018 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया ₹ 22,564.66[6] करोड़ था, जिसमें से ₹ 10,581.96[7] करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था। विभागों द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण **चार्ट–1.4** में प्रदर्शित है।

चार्ट–1.4

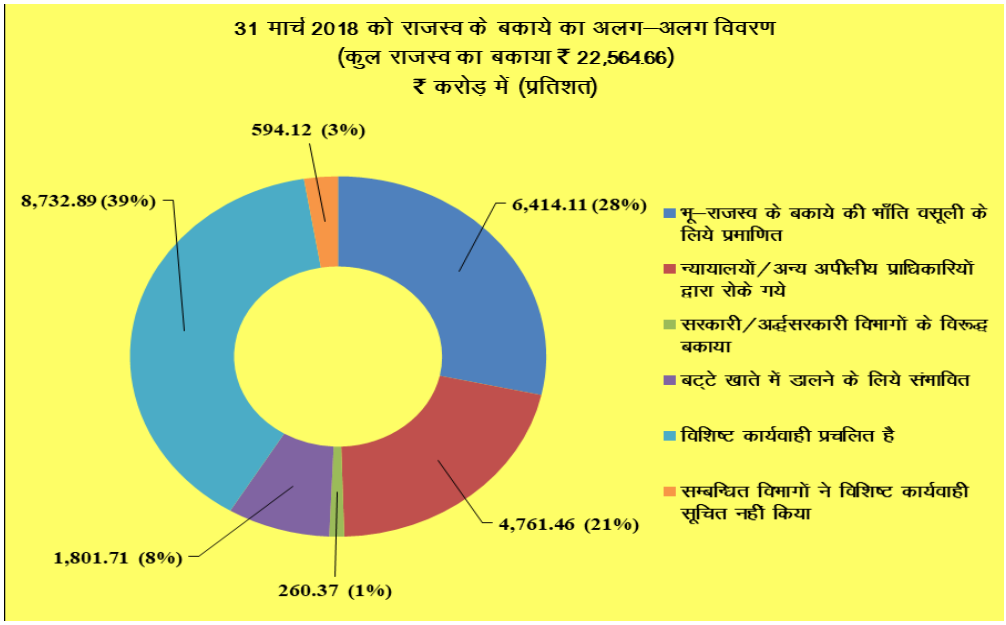

वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर कुल राजस्व बकाया ₹ 22,564.66 करोड़, राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,17,186.86 करोड़) का 19 प्रतिशत था जिसमें 47 प्रतिशत (₹ 10,581.96 करोड़) पिछले पाँच या अधिक वर्षों से वसूली हेतु बकाया था। यह राज्य

---

6 बिक्री, व्यापार, आदि पर करः ₹ 21,548.61 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 398.47 करोड़; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर करः ₹ 109.78 करोड़; राज्य आबकारीः ₹ 52.37 करोड़; मनोरंजन करः ₹ 348.74 करोड़; अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगः ₹ 106.69 करोड़।

7 बिक्री, व्यापार, आदि पर करः ₹ 10,257.17 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 140.71 करोड; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर : ₹ 53.83 करोड; राज्य आबकारीः ₹ 52.08 करोड़; मनोरंजन कर : ₹ 13.14 करोड; अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगः ₹ 65.03 करोड़ ।

में शिथिल राजस्व प्रशासन एवं अनुपालनहीनता का सूचक है। बकाये की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक है जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

विभागों ने लम्बित वसूली को विभिन्न चरणों में होना सूचित किया, परन्तु लम्बित बकाया से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। विभागों[8] में बकाया संग्रह की प्रगति की निगरानी या बकाया संचय के कारणों के आकलन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था। अग्रेतर, विभागों ने अदत्त बकाये का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं बनाया है। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अदत्त बकाये के आंकड़ों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित किया गया था।

संस्तुतिः

विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहिए एवं बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करना चाहिए। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रिया विकसित किया जाना चाहिए।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 164 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) जिन्हें जून 2014 और जुलाई 2019 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को देने में अत्याधिक विलम्ब देखा गया जो कि नौ माह से 52 माह के मध्य था। विभिन्न विभागों[9] से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारिणी–1.4** में दिया गया है।

सारिणी–1.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2013	20 जून 2014	49	49	00
2	31 मार्च 2014	17 अगस्त 2015	43	36	07
3	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
4	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
5	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
योग			**164**	**85**	**79**

वर्ष 2017–18 में लम्बित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा करने हेतु कोई भी लो0ले0स0 की बैठक नहीं की गई। समय–समय पर लो0ले0स0 में चर्चा किये गये सम्बन्धित प्रस्तरों पर कोई कार्यवाही आख्या (का0आ0) भी प्राप्त नहीं हुई।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही

[8] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

[9] वाणिज्य कर (17 प्रस्तर), राज्य आबकारी (11 प्रस्तर), परिवहन (17 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबन्धन (15 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (14 प्रस्तर) तथा मनोरंजन कर (5 प्रस्तर)।

एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0), निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

मार्च 2018 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2018 के अन्त तक 12,582 नि0प्र0 से सम्बन्धित 44,357 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि0प्र0 में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 8,075.46 करोड़ है, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रह ₹ 1,17,187.86 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण **सारिणी–1.5** में दिया गया है।

सारणी–1.5
निरीक्षण प्रतिवेदन का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	5,779	25,474	3,925.45
		मनोरंजन कर	203	497	22.51
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,072	1,972	1,086.60
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,356	5,986	862.46
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,954	9,395	745.88
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	218	1,033	1,432.56
योग			**12,582**	**44,357**	**8,075.46**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

यहाँ तक कि नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर समय से प्राप्त नहीं हुए। 2017–18 के दौरान जारी किये गये 597 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को कार्यालयाध्यक्षों से सात नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर तथा 45 नि0प्र0 के मामले में छः माह के बाद प्राप्त किया। वर्ष 2017–18 के दौरान निर्गत शेष 545 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस सन्दर्भ में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। कार्यालयाध्यक्षों का लेखापरीक्षा में रूचि का अभाव इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि बुनियादी स्तर पर सम्बन्धित विभागों द्वारा बिना सुधार/किसी सुधारात्मक कदम के साक्ष्य के दृश्यता के समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रति वर्ष प्रतिवेदित हो रही हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें एवं नि0प्र0 के शीघ्र निस्तारण के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करें।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के छः विभागों[10] को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर

[10] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,585 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 663 इकाईयों (42 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। अग्रेतर, यह एक नमूना लेखापरीक्षा थी। 2016–17 के दौरान छः विभागों में ₹ 85,142.94 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 663 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 46,918.44 करोड़ (55 प्रतिशत) राजस्व संग्रहीत किया। 663 लेखापरीक्षित इकाईयों में टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 41,277 मामलों में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित ₹ 745.95 करोड़ (दो प्रतिशत) के मामले पाये गये। सम्बन्धित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये वर्ष 2017–18 में 17,086 मामलों में ₹ 161.81 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकारा (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य)। वर्ष के दौरान विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ₹ 45.03 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की जिसमें से वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित 185 मामलों में ₹ 4.9 करोड़ तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित हैं।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

1.7 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

प्रतिवेदन के इस भाग में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किये जा सके, के 17 प्रस्तर शामिल हैं, जिनमें ₹ 195.88 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है जिसमें एक प्रस्तर **"माल एवं सेवा कर में संक्रमण की तैयारी"** को सम्मिलित किया गया है।

विभागों ने ₹ 140.34 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है तथा ₹ 2.09 करोड़ की वसूली की है। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से V में की गयी है।

अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो राज्य सरकार के विभागों की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किये गये हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

अध्याय–II: राज्य आबकारी

2.1 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व[1] का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क[2] भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियम[3], मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी), राज्य आबकारी विभाग, (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं जिनको दो अपर आबकारी आयुक्त (अ0आ0आ0) सहायता करते हैं। विभाग के पाँच जोन हैं जिनके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) होते हैं, जिनको 18 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) सहायता करते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) जिले के प्रमुख होते हैं जिन्हें आबकारी निरीक्षक (आ0नि0) आबकारी अभिकर और उससे जुड़ी उगाही के आरोपण/संग्रहण का नियंत्रण व विनियमन करने में सहायता करते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला अधिकारी के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आबकारी प्राप्तियों के संग्रह एवं लेखाकरण के प्रभारी होते हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्न प्रकार है:

चार्ट 2.1 संगठनात्मक ढाँचा

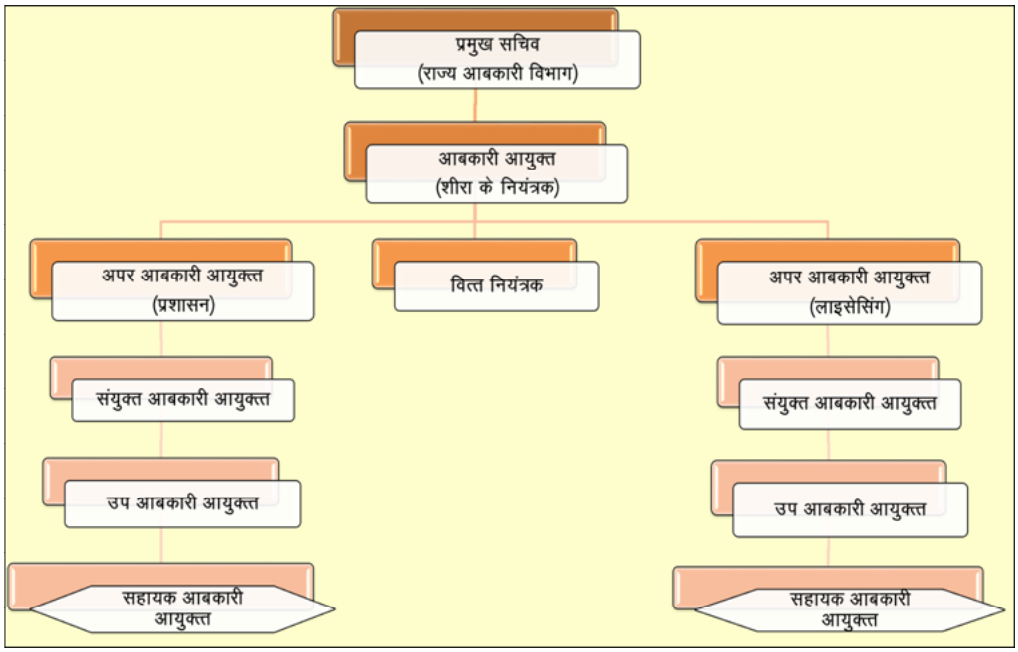

---

1 2016–17 के कुल आबकारी राजस्व में देशी मदिरा 51 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 33 प्रतिशत, बीयर 13 प्रतिशत एवं अन्य तीन प्रतिशत हिस्सा था।

2 दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बार, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

3 उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग की 231 लेखापरीक्षित इकाइयों में से 82[4] इकाइयों (35 प्रतिशत) में कुल 13,144 मामलों में से 4,006 मामलों (30 प्रतिशत) की नमूना जाँच की जिसमें से 2,332 मामलों (58 प्रतिशत) में ₹ 190.96 करोड़ की अनियमितताएं पायी गयी थी। विभाग ने 2016–17 के दौरान ₹ 14,273.49 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 9,125.01 (64 प्रतिशत) करोड़ संग्रहित किये थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आबकारी अभिकर का कम वसूली होना, अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज आदि, की वसूली न किये जाने के 199 प्रस्तरों में ₹ 190.96 करोड़ की धनराशि का पता चला जैसा कि **सारणी 2.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.1

क्र0 सं0	श्रेणियां	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	आबकारी अभिकर का कम वसूली होना	8	80.46	42.13
2.	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	159	110.29	57.76
3.	अन्य अनियमितताएं[5]	32	0.21	0.11
कुल		**199**	**190.96**	

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किए गये 717 मामलों में ₹ 53.80 करोड़ की धनराशि को विभाग ने (अप्रैल 2017 व सितम्बर 2019 के मध्य) स्वीकार किया। विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) प्रतिवेदित किया कि ₹ 7.52 करोड़ की वसूली की गयी जिसमें से तीन मामलों में ₹ 90.04 लाख वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है और अवशेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

इस अध्याय में ₹ 62.57 करोड़ रूपये के 860 मामलों की विवेचना की गयी। विभाग ने ₹ 52.90 करोड़ की धनराशि के 667 मामलों को स्वीकार किया। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया जैसा कि **सारणी 2.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाइयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिविम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किए गए हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

सारिणी 2.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	639	53.68	-	-	32	3.66	1,007	37.43	14,334	1,297.07	16,012	1,391.84
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना।	1,370	16.80	87	1.31	-	-	364	6.70	720	13.59	2,541	38.40
मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण	393	7.51	-	-	2	0.36	-	-	44	2.49	439	10.36

स्रोतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचना के अनुसार (राजस्व क्षेत्र)।

[4] इसमें आबकारी आयुक्त (विभाग प्रमुख), 47 जिला आबकारी अधिकारी व 34 आसवनियाँ सम्मिलित हैं।

[5] रोकड़ बही का रखरखाव न किया जाना, वेयरहाउस पर कम किराये का आरोपण, बाण्ड का निष्पादन न किया जाना, किराये के गोदाम पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण, एम0एफ0एस0 पंजिका का पूर्ण न किया जाना और बकाये की वसूली में धीमी प्रगति।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिये कि लेखापरीक्षा के दौरान नियमित रूप से पाये जाने वाले सतत् अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

2.3 दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 28.35 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 30.50 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 58.85 करोड़, के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

उत्तर प्रदेश आबकारी (फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) की विभिन्न नियमावलियाँ[6] निर्दिष्ट करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[7] (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क[8] (अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति[9] धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष 2012–13, 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के 16,012 मामलों में ₹ 1,391.84 करोड़ की धनराशि की सतत् क्षति को उजागर किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 2012–13 के प्रस्तर 3.8.8.1 में उजागर किये गये समान मामले पर लोक लेखा समिति ने प्रमुख सचिव, आबकारी को संस्तुति (मई 2015) किया कि चूककर्त्ता अनुज्ञापियों के विरूद्ध कार्यवाही करे एवं यह सुनिश्चित करे कि समान अनियमितता भविष्य में न दोहरायी जाय।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 47 में से 15 जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि 15 जनपदों में 4,851 मदिरा की दुकानों में से 714 अनुज्ञापियों (14.72 प्रतिशत), जो कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण निहित धनराशि ₹ 58.85 करोड़ (बे0अ0शु0/अ0शु0 ₹ 28.35 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा ₹ 30.50 करोड़) निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि 02 से 327 दिनों की थी। तथापि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों (जि0आ0अ0) द्वारा नियमों के अन्तर्गत जिसमें कोई छूट अनुमन्य नहीं थी, कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। देय धनराशि के जमा

---

6 उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

7 बे0अ0शु0– ₹ 23 प्रति बी0एल0 (2013–14), ₹ 24 प्रति बी0एल0 (2014–15) एवं ₹ 25 प्रति बी0एल0 (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18)।

8 अ0शु0– ₹ 184 प्रति बी0एल0 (2013–14), ₹ 204 प्रति बी0एल0 (2014–15), ₹ 227 प्रति बी0एल0 (2015–16) एवं ₹ 226 प्रति बी0एल0 (2016–17 एवं 2017–18)।

9 दुकान के लिये निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 10 प्रतिशत।

में इस तरह की विलम्ब पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 58.85 करोड़ की धनराशि समपहृत नहीं हुई।

विभाग ने समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान बताया कि दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन में बहुत समय व्यतीत हो जाता है। अतः, ऐसे विलम्ब सामान्यतः स्थानीय स्तर पर जि0आ0अ0 द्वारा अनुमन्य की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि 15 दिनों की और अधिक अनुमति देने के बाद भी जो कि एक आवंटिती को आमतौर पर देय राशि जमा करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में लगता है, जैसा कि विभाग द्वारा समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान कहा गया था, 15 जि0आ0क0 की 667 मदिरा दुकानों में निहित धनराशि का आगणन ₹ 52.90 करोड़ (बे0अ0शु0/अ0शु0 ₹ 25.78 करोड़ एवं ₹ 27.12 करोड़ प्रतिभूति) किया गया था। जमा में विलम्ब 16 दिनों एवं 327 दिनों के मध्य हुयी। इस प्रकार, जि0आ0अ0 द्वारा विलम्ब का अधिकतम प्रतिशत (93.42 प्रतिशत) 15 दिनों की अनुग्रह अवधि से अधिक अनुमन्य किया गया था **(परिशिष्ट–I)**।

संस्तुतियाँ :

1. **विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।**
2. **विभाग को मदिरा दुकान का अनुज्ञापन का व्यवस्थापन करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रणाली का तंत्र तैयार करना चाहिए, जब कोई उच्चतम बोलीदाता आवंटन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।**

2.4 बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना

बोतल बंद बीयर की फुटकर बिक्री के लिये 119 अनुज्ञापियों के सम्बन्ध में बीयर बार अनुज्ञापन जारी न किये जाने से ₹ 2.36 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

जैसा कि उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002, में परिभाषित है, विदेशी मदिरा में माल्ट, स्प्रिट, व्हिस्की, आदि शामिल है, परन्तु बीयर शामिल नहीं है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2002, के अनुसार होटलों, डाक बंगलों या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र एफ0एल0–7ख, में बीयर बार अनुज्ञापन अपेक्षित है। एफ0एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 अनुज्ञापन केवल ड्राफ्ट बीयर[10] की बिक्री को आच्छादित करता है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष 2012–13 से 2013–14 और 2015–16 से 2016–17 के दौरान 2,541 मामलों में ₹ 38.40 करोड़ की धनराशि की सतत् हानि को उजागर किया था। पिछले अवसरों पर, राज्य सरकार ने जोर देकर कहा था कि विदेशी मदिरा में बीयर शामिल है, और किसी प्रकार के अलग अनुज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षा ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910[11] के नियम जो 2002 के नियमों से पहले के थे को कायम रखा, विदेशी मदिरा की वर्तमान परिभाषा में बोतलबन्द बीयर को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, इसकी बिक्री के लिए एक अलग अनुज्ञापन की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने 47 में से 10 जिला आबकारी कार्यालयों के होटलों/रेस्तरां बारों के उपभोग विवरण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि होटलों/रेस्तरां

[10] ड्राफ्ट बीयर एक बोतल या कैन की बजाय एक पीपा या छोटा पीपा से परोसी गई बीयर है।
[11] अध्याय 1: प्रारम्भिक एवं परिभाषा : धारा 3 (10) एवं 3 (11)

बारों के, 362 अनुज्ञापनों में से 119 को, वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान एफ0एल0–7 श्रेणी के तहत व्यवस्थित या नवीनीकृत किया गया था, जिन्होंने भा0नि0वि0म0 के अतिरिक्त बोतलबन्द बीयर की बिक्री की थी। बोतलबन्द बीयर की बिक्री के लिए 2002 के नियमों के तहत एफ0एल0–7बी अनुज्ञापन की आवश्यकता थी जो कि उन्हें जारी नहीं किया गया था। जानकारी होने के बावजूद इन जिलों के स0आ0आ0 ने कोई वांछित कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, शासन ₹ 2.36 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा (जैसा कि **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (अगस्त 2017 से मार्च 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान, विभाग ने विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में बताया कि विदेशी मदिरा की विभिन्न परिभाषाओं से उत्पन्न प्रकरणों को समाप्त करने हेतु बीयर की बिक्री के लिए पहले से विद्यमान दो अनुज्ञापनों एफ0एल0–7ए एवं एफ0एल0–7बी और नये सम्मिश्र अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क बढ़ाकर आबकारी नीति 2019–20 में एक नया अनुज्ञापन एफ0एल0–7 प्रस्तुत किया गया है। लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्धित उन नियमों को विभाग द्वारा संशोधित करने के लिए की गई स्वीकृति को स्वीकार करता है, जो कि प्रत्याशित प्रभाव से हैं। लेकिन विभाग ने यह नहीं बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये अनुज्ञापन शुल्क की हानि की वसूली कैसे होगी (अगस्त 2019)।

2.5 मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण

आबकारी नीति में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मॉडल शॉप्स का अनुज्ञापन शुल्क नियत न किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1.36 करोड़ का कम आरोपण।

राज्य आबकारी नीति के अनुसार, मॉडल शॉप[12] की दुकान के लिये अनुज्ञापन शुल्क उसी वर्ष नगर में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एव बीयर दोनों की फुटकर दुकानों के उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की संचित धनराशि पर नियत किया जाना था। परन्तु यह आबकारी नीति में निर्धारित की गयी न्यूनतम/अधिकतम सीमा से कम/अधिक नहीं हो सकता जैसा कि **सारणी–2.3** में वर्णित है।

सारणी–2.3

			(₹ लाख में)
वर्ष	**अधिसूचना की तिथि**	**न्यूनतम अनुज्ञापन शुल्क**	**अधिकतम अनुज्ञापन शुल्क**
2013–14	28 फरवरी 2013	11.00	30.00
2014–15	29 जनवरी 2014	12.65	34.50
2015–16	12 जनवरी 2015	14.55	39.70
2016–17	17 फरवरी 2016	14.55	39.70
2017–18	17 फरवरी 2016	14.55	39.70

(स्रोतः शासन द्वारा जारी आबकारी नीति की सूचना के अनुसार)

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि 2012–13, 2014–15 और 2016–17 के दौरान 439 मामलों में ₹ 10.36 करोड़ की धनराशि की सतत् हानि को उजागर किया गया था।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन के स्तर की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने राज्य के सात जि0आ0का0 के 46 मॉडल शॉप्स में से 44 की नमूना जांच की। वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान नवीनीकृत 27 मॉडल शॉप्स के मामले में, आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था। सभी 27 मॉडल शॉप्स का विवरण **परिशिष्ट–III** में उपलब्ध है।

[12] मॉडल शॉप्स एक अनुज्ञापन प्राप्त मदिरा की दुकान होती है जिसमें कम से कम 600 वर्ग फीट कारपेट एरिया एवं पीने की सुविधा हो।

एटा नगर पालिका में एक मॉडल शॉप[13] के निम्नलिखित मामले से अनुपालन न किये जाने को समझा जा सकता है :

भा0नि0वि0म की दुकान[14] की वास्तविक आरोपित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क –	₹ 22.40 लाख
बीयर की दुकान[15] का वास्तविक आरोपित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क –	₹ 7.15 लाख
मॉडल शॉप की कुल संचित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क होनी थी –	₹ 29.55 लाख
जि0आ0आ0 एटा द्वारा ठंडी सड़क की मॉडल शॉप का निर्धारित किया गया अनुज्ञापन शुल्क –	₹ 24.45 लाख
अन्तर (संचित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क के अनुसार) –	₹ 5.10 लाख

इस प्रकार, उपरोक्त शॉप में, राज्य सरकार को ₹ 5.10 लाख की क्षति हुई।

उपरोक्त तर्ज पर, सात नगरों/जनपदों की सभी 27 मॉडल शॉप्स में ₹ 1.36 करोड़ की क्षति आगणित हुई (**परिशिष्ट– III**)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (सितम्बर 2017 से मार्च 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान, विभाग ने बताया कि मॉडल शॉप्स की दुकानों की अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण उस नगर के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण प्रस्थिति के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है, परन्तु लेखापरीक्षा ने जनपद में सभी दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर प्रेक्षण किया था। अग्रेतर, विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में, आबकारी नीति 2019–20 में मॉडल शॉप्स के लिए अनुज्ञापन शुल्क की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है।

विभाग का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लेखापरीक्षा ने केवल एक ही नगर पालिका में स्थित विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों के आगणित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क पर टिप्पणी करते हुए मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापन शुल्क की गणना की है।

[13] ठंडी सड़क एटा मॉडल शॉप।
[14] आगरा चौराहा जलेसर, एटा।
[15] आगरा चौराहा जलेसर, एटा।

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। 1 जुलाई, 2017 से विभाग राज्य में माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) का प्रशासन भी देख रहा है।

विभागीय संगठनात्मक ढाँचा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक ढाँचा

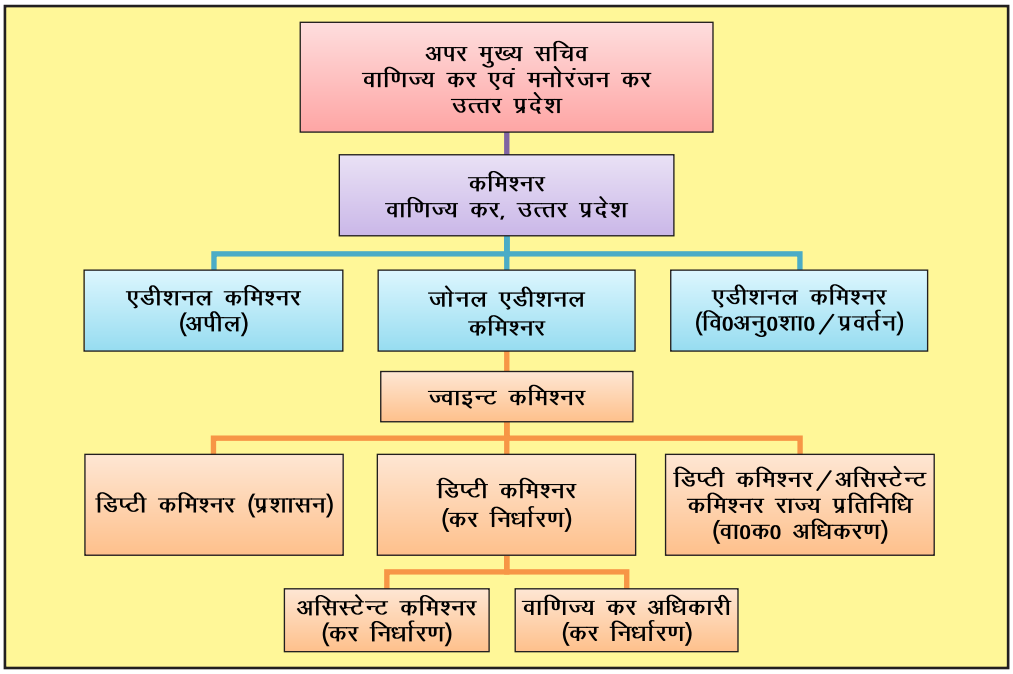

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 5,71,634 कर निर्धारण वादों में से 1,05,080 कर निर्धारण वादों (18.40 प्रतिशत) की नमूना जाँच की एवं वाणिज्य कर विभाग के कुल 772 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 256[1] लेखापरीक्षित इकाइयों (33 प्रतिशत) के 2,087 कर निर्धारण वादों (दो प्रतिशत) में अनियमितता देखी गयी। विभाग ने 2016–17 के दौरान ₹ 51,882.88 करोड़ का राजस्व संग्रह किया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 25,111.88 करोड़ (48 प्रतिशत) का संग्रह किया। लेखा परीक्षा ने 2,087 प्रस्तरों में ₹ 252.99 करोड़ की धनराशि के अनियमितताएँ चिन्हित की जैसा कि लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग को प्रतिवेदित किया गया। ये **सारणी 3.1** में वर्णित हैं :

[1] अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन (01), कमिश्नर वा0 कर (01), एडी0 कमिश्नर (01), ज्वा0 कमि0 (25), खण्ड (208), सचल दल इकाइयाँ (14) एवं प्रशासनिक इकाइयाँ (5) एवं कर वसूली इकाई (01)।

सारणी–3.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1	कर का अवनिर्धारण	571	55.47	21.93
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	26	6.19	2.45
3	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	40	5.39	2.13
4	आई0टी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	261	33.88	13.39
5	ब्याज का न/ कम प्रभारित किया जाना	194	18.38	7.26
6	अर्थदण्ड का अनारोपण	837	112.73	44.56
7	अन्य अनियमितताएं	158	20.95	8.28
योग		**2,087**	**252.99**	

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 के दौरान इंगित किये गये 514 मामलों में ₹ 44.87 करोड़ की धनराशि को विभाग ने (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2019 के मध्य) स्वीकार किया। विभाग (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ने ₹ 6.49 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया, जिसमें से ₹ 2.43 करोड़ के 151 मामले वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित थे एवं अवशेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

यह अध्याय उपरोक्त मामलों में से उनके महत्व के आधार पर ₹ 71.91 करोड़ के 394 मामलों की विवेचना करता है। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार–बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं, जैसा कि **सारणी–3.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग अन्य इकाइयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना लेखा परीक्षा में शामिल नहीं किये गये हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाइयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

सारणी–3.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षणों की प्रकृति	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कर की गलत दर का लगाया जाना	95	2.36	75	8.49	132	7.49	35	2.72	24	2.00	361	23.06
पंजीयन प्रमाणपत्र (पं0प्र0) से अनाच्छादित वस्तु पर अनियमित छूट की अनुमन्यता	10	1.00	16	1.03	9	0.41	7	0.27	24	3.80	66	6.51
अननुमन्य आई0टी0सी0	–	–	15	12.41	21	0.87	15	0.77	20	1.18	71	15.23
माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना	–	–	–	–	4	0.08	6	0.13	–	–	10	0.21

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षणों की प्रकृति	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर कर योग्य माल के क्रय पर आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जाना	10	0.67	–	–	3	0.47	7	0.25	10	1.64	40	3.03
मिथ्या/कपटपूर्ण आई0टी0सी0 का दावा	32	3.59	28	8.62	16	7.45	13	1.54	–	–	89	21.20
ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना	19	0.60	20	0.42	46	5.85	8	2.17	30	1.53	123	10.57
टर्नओवर का छिपाया जाना	55	3.27	61	1.98	31	2.66	23	1.02	–	–	170	8.93
स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना	27	0.99	69	4.95	75	2.37	30	1.45	–	–	201	9.76
स्रोत पर कटौती किये गये कर को विलम्ब से जमा किया जाना	13	2.88	28	8.74	25	8.75	14	2.98	28	8.05	108	31.40

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत् अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुतिः

विरासत के मू0सं0क0 मामलों का कर निर्धारण अभी प्रक्रिया में है, राज्य सरकार ऐसे मामलों के कालातीत होने से पूर्व, प्रतिवेदित किये गये अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठा सकती है। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि इस स्तर पर राजस्व का अघोषित रिसाव बिना पता लगे ही रह जाये क्योंकि निकट भविष्य में प्रणाली पूर्ण रूप से जी0एस0टी0 प्रशासन पर केन्द्रित रहेगी।

3.3 कर की गलत दर का लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 148.62 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों को अनुसूची के अनुसार सत्यापित किये बिना, व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 12.36 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008, के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा वस्तुओं पर लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त कर के अतिरिक्त, शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 361 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त प्रावधानों का पालन करने में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.06 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रतिक्रिया में समुचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया है। अभी तक, उपरोक्त में से, लो0ले0स0 में 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है जिसमें विभाग ने ₹ 37.93 लाख की वसूली प्रतिवेदित की है।

51 वा0क0का0[2] (लेखापरीक्षित 256 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 58 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 23,247 व्यापारियों में से), के मामलों में क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2008–09 से 2014–15 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य), ₹ 148.62 करोड़ के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से नौ प्रतिशत की कर की दर को स्वीकार किया। क0नि0प्रा0 अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी चार से 17.5 प्रतिशत की दर को सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, धनराशि ₹ 12.36 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ **(परिशिष्ट–IV)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (नवम्बर 2016 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तर में (जनवरी/मई 2019), विभाग ने 23 मामलों में ₹ 1.43 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से तीन मामलों में ₹ 19.65 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गयी।

20 मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया। 20 में से 10 मामले जो उनके द्वारा स्वीकार नहीं किये गये, में विभाग का मुख्य विषय वस्तु यह है कि सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय अपने प्रारम्भिक आदेश में, टंकण की त्रुटि[3] की थी, जिसे उन्होंने लेखा परीक्षा प्रेक्षण प्राप्त होने के पश्चात् ठीक कर लिया। लेखापरीक्षा विभाग से इस प्रकार के प्रतिवेदित कमियों के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह करता है। इन 20 मामलों में शासन के उत्तर का विश्लेषण **सारणी 3.3 (i)** एवं **3.3 (ii)** में सूचीबद्ध है।

सारणी–3.3 (i)

मामले जिनमें विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलों में कर निर्धारण आदेश में टंकण की त्रुटि का उल्लेख किया है

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–10 आगरा** **प्रेक्षण :** बिना फार्म सी के कैनवास फुटवियर की बिक्री को केन्द्रीय बिक्री में पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखा परीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, पी0वी0सी0 फुटवियर के स्थान पर कैनवास फुटवियर टंकित हो गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 15 जून 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 30 सितम्बर 2016 को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर कैनवास फुटवियर का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं पायी जा सकती है। अग्रेतर व्यापारी ने स्वयं भी अपने वार्षिक विवरणी में इसी वस्तु को शूज के रूप में दर्शाया है, जो कि 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। अग्रेतर विभाग द्वारा पी0वी0सी0 फुटवियर की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार शूज/कैनवास फुटवियर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
2.	**खण्ड–11, आगरा (ख)** **प्रेक्षण :** फायर इक्स्टिंग्विशर की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। लेखापरीक्षा के	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, पी0वी0सी0 पाइप, होज पाइप एवं फिटिंग के स्थान पर, फायर इक्स्टिंग्विशर का	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 19 सितम्बर 2016 को पारित किये गये प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर फायर इक्स्टिंग्विशर की बिक्री प्रदर्शित की गयी थी। एक टंकण की

[2] वा0क0का0 का नाम, कर की दर एवं अन्य विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

[3] बार–बार की गयी त्रुटियाँ कर निर्धारण आदेश में वस्तु के विवरण से सम्बन्धित हैं।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर, व्यापारी ने स्वयं ही अपने वार्षिक विवरणी में इस वस्तु को फायर इक्स्टिंग्विशर दर्शाया है। अग्रेतर विभाग द्वारा पी0वी0सी0 पाइप, होज पाइप एवं फिटिंग की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार फायर इक्स्टिंग्विशर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
3.	**खण्ड–2 औरैया** **<u>प्रेक्षण :</u>** कम्प्यूटर एवं इसके पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया एवं करारोपण किया गया था। इसके स्थान पर 13.5 एवं 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण खरीद एवं बिक्री की सूची के अनुलग्नक में, कम्प्यूटर पार्ट्स का उल्लेख कर दिया गया था। खरीद एवं बिक्री के संशोधित अनुलग्नक दाखिल किये जा रहे हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये अभिलेख के अनुसार, उनके त्रैमासिक विवरणी एवं खरीद सूची एवं विक्रय सूची दोनों में, कम्प्यूटर पार्ट्स का उल्लेख किया गया था एवं कर निर्धारण के समय क0नि0प्रा0 द्वारा स्वीकार किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई प्रावधान नहीं दर्शाया गया था जिसके द्वारा क0नि0प्रा0 प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश के पश्चात् संशोधित अनुलग्नक स्वीकार कर सकता हो।
4.	**खण्ड–2 गाजियाबाद (क)** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में बिना फार्म सी के इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स की केन्द्रीय बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, वाइन्डिंग वायर एवं स्ट्रिप्स आदि के स्थान पर, इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत 1 अगस्त 2017 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये वार्षिक विवरणी में वस्तु के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। क0नि0प्रा0 द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2016 एवं 10 जनवरी 2017 को दोनों कर निर्धारण आदेश को पारित करते समय इसे स्पष्ट कर दिया गया था। कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स का उल्लेख किया गया था। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर, विभाग द्वारा वाइन्डिंग वायर एवं स्ट्रिप्स इत्यादि की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
5.	**खण्ड–2 गाजियाबाद (ख)** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में बिना फार्म 'सी' के स्कूटर पार्ट्स की केन्द्रीय बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, एच0डी0 पी0ई0 क्लाथ के स्थान पर, स्कूटर पार्ट्स का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत 19 मई 2017	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा अपने वार्षिक विवरणी में दाखिल किये गये अभिलेखों में, वस्तु के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते समय अनेक पृष्ठों पर इसको स्पष्ट कर दिया गया था। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	लेखापरीक्षा के अनुसार इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	को संशोधित कर दिया गया है।	नहीं हो सकती है। अग्रेतर विभाग द्वारा एच0डी0पी0ई0 की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार स्कूटर पार्ट्स पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
6.	**खण्ड–29 कानपुर** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में वार्निश की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, केमिकल एवं मिनरल के स्थान पर, वार्निश का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये वार्षिक विवरणी में, वस्तु के नाम को दर्शाया नहीं गया। क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते समय इसे स्पष्ट कर दिया गया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यापारी पेन्ट, वार्निश एवं एडहेसिव का व्यापार करते हैं। आदेश में वार्निश की बिक्री किये जाने का उल्लेख कई बार किया गया है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर विभाग द्वारा केमिकल एवं मिनरल की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार वार्निश पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
7.	**खण्ड–13, लखनऊ** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में फूड सप्लीमेन्ट की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, मसाले एवं कस्टर्ड के स्थान पर मेडिसिन एवं फूड सप्लीमेन्ट लिख दिया गया था, जो कि क्रमशः अनुसूची–II (चार प्रतिशत) एवं V (12.5 प्रतिशत) की दर से करयोग्य है। इस प्रकार, व्यापारी फूड सप्लीमेन्ट की बिक्री करते हुए नहीं पाये गये हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। 23 जनवरी 2017 को पारित किये गये प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश में विभिन्न पृष्ठों पर फूड सप्लीमेन्ट की बिक्री दर्शायी गयी थी। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं हो सकती है। अग्रेतर, यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी ने स्वयं ही अपने वार्षिक विवरणी में इस वस्तु को फूड आइटम दर्शाया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा मसाले एवं कस्टर्ड की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार फूड सप्लीमेन्ट पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
8.	**खण्ड–3 सुल्तानपुर** **(क)** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में मशीनरी पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखा परीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की	व्यापारी ने गलत विवरणी दाखिल की थी, जिसमें मोनो ब्लाक सबमर्सिबल पम्प, इत्यादि के स्थान पर मशीनरी एवं प्लाण्ट दर्शाया गया था। इसी कारण, कर निर्धारण आदेश में मशीनरी एवं	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों के अनुसार, प्लाण्ट एवं मशीनरी का उल्लेख किया गया था एवं इसे क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण के समय भी स्वीकार किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा को कोई ऐसा प्रावधान नहीं दर्शाया गया था जिसके द्वारा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	दर से करारोपण होना चाहिए था।	प्लाण्ट दर्शाया गया था, जिसे व्यापारी द्वारा सही विवरणी दाखिल करने पर धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित कर दिया गया है।	पारित किये जाने के पश्चात् क0नि0प्रा0 संशोधित विवरणी स्वीकार कर सकता हो।
9.	**खण्ड–3 सुल्तानपुर (ख)** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में सेट टाप बाक्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 एवं 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, सेट टाप बाक्स यूजर चार्जेज के स्थान पर, सेट टाप बाक्स की बिक्री लिखा गया था। व्यापारी सेट टाप बाक्स की बिक्री नहीं कर रहे हैं अपितु राइट टू यूज के अन्तर्गत सेट टाप बाक्स यूजर चार्जेज पर कर अदा कर रहे हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर निर्धारण आदेशों की एक श्रृंखला दिनांक 1 जुलाई 2014, 31 जुलाई 2014 एवं 29 दिसम्बर 2016 में सेट टाप बाक्स की बिक्री का विशिष्ट सन्दर्भ दर्ज किया गया है। एक टंकण की त्रुटि सभी कर निर्धारण आदेश की अवधि 2014 से 2016 तक में नहीं पायी जा सकती है। अग्रेतर, व्यापारी ने अपने वार्षिक विवरणी में स्वयं ही इस वस्तु को सेट टाप बाक्स की तरह दर्शाया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा राइट टू यूज के अन्तर्गत सेट टाप बाक्स यूजर चार्जेज पर कर अदा करने से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार सेट टाप बाक्स पर 13.5 एवं 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
10.	**खण्ड–8, वाराणसी** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में फर्नीचर की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, प्लाइवुड के स्थान पर, फर्नीचर का उल्लेख कर दिया गया था। व्यापारी ने संशोधित विवरणी दाखिल की है, जिसमें प्लाइवुड एवं फर्नीचर की बिक्री को अलग–अलग दर्शाया गया है। एक संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों के अनुसार, विवरणी में फर्नीचर की बिक्री का उल्लेख किया गया था एवं क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते समय इसे स्वीकार भी किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा को कोई ऐसा प्रावधान नहीं दर्शाया गया था जिसके द्वारा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् क0नि0प्रा0 संशोधित विवरणी स्वीकार कर सकता हो। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 11 अक्टूबर 2012 के अनुसार, प्लाइवुड पर भी 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।

सारणी–3.3(ii)
मामले जिनमें विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–11 आगरा (क)** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में कम्प्यूटर पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि कम्प्यूटर पार्ट्स अनुसूची–II पार्ट–बी के क्र0 सं0–22 के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कम्प्यूटर पार्ट्स पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देयता 20 दिसम्बर 2014 से प्रभावी है। लेखा परीक्षा प्रेक्षण कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित है, जब कम्प्यूटर पार्ट्स 12.5 प्रतिशत एवं अतिरिक्त कर उस अवधि में कर योग्य थे।
2.	**ज्वा0 कमि0 (का0स0) इलाहाबाद** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में कॉपर कंडक्टर की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा है कि व्यापारी कॉपर से निर्मित कान्टेक्ट वायर का निर्माण करते हैं।	विभाग के उत्तर का यह आधार कि वस्तु कान्टेक्ट वायर है, लेखापरीक्षा को इस तथ्य के आलोक में स्पष्ट नहीं है कि व्यापारी ने स्वयं ही अपने वार्षिक विवरणी में कहा है कि वस्तु कॉपर कन्डक्टर है। अग्रेतर, कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय विशिष्ट रूप से कहा है कि वस्तु कॉपर कन्डक्टर है। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार कॉपर कन्डक्टर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
3.	**खण्ड–4 गाजियाबाद** **प्रेक्षण :** व्यापारी ने मिट्टी के मूल्य के बदले में ₹ 390.28 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, जिस पर कोई कर आरोपित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने, अपने उत्तर में, कहा कि व्यापारी द्वारा प्राप्त सभी भुगतान लेबर एवं भाड़ा से सम्बन्धित है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा मिट्टी की कोई खरीद नहीं की गयी थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि व्यापारी ने ₹ 390.28 लाख का भुगतान मिट्टी की बिक्री किये जाने से प्राप्त किया था, जिस पर कर आरोपित नहीं किया गया था। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार मिट्टी पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय है।
4.	**खण्ड 6, गाजियाबाद** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में मशीनरी एव मशीनरी पार्ट्स की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने, अपने उत्तर में, कहा है कि वी–बेल्ट (मशीनरी पार्ट्स) अनुसूची–II के अन्तर्गत कमोडिटी कोड के अनुसार पाँच प्रतिशत की दर से वर्गीकृत किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में मशीनरी पार्ट्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार मशीनरी पार्ट्स पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
5.	**खण्ड–8 गाजियाबाद (क)** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में मिल बोर्ड की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि धारा 59 के अन्तर्गत कमिश्नर के निर्णय के अनुसार, मिल बोर्ड पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल पर कर का आरोपण कानून के प्राधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। कमिश्नर का निर्णय उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार मिल बोर्ड पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
6.	**खण्ड–8 गाजियाबाद** **(ख)** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर की बिक्री दर्शायी गयी थी एवं पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा है कि व्यापारी ने स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर की बिक्री नहीं किया था। उसकी जगह, केवल केमिकल की बिक्री की थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर का विशिष्ट उल्लेख है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
7.	**खण्ड–10 गाजियाबाद** **(ख)** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में स्क्रैप की बिक्री चार प्रतिशत की दर से दर्शायी गयी थी। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा है कि व्यापारी एम0 एस0 स्क्रैप की बिक्री कर रहे है जो कि चार प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में स्क्रैप का विशिष्ट उल्लेख है। अग्रेतर व्यापारी प्लाण्ट एवं मशीनरी के निर्माता हैं। इस प्रकार व्यापारी उपरोक्त उत्पाद के स्क्रैप की बिक्री कर रहे हैं। इसलिए उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार उत्पाद पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय है।
8.	**खण्ड–21 कानपुर** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में टॉफी की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि टॉफी अनुसूची–IIए क्र0सं0–137 के अन्तर्गत वर्गीकृत है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी परफेटी ब्राण्ड के टॉफी जैसे कि मेन्टास, एल्पेनलीबे आदि की बिक्री करते हैं। इन ब्रान्डेड टॉफियों में 70 प्रतिशत से कम शुगर होता है। केवल वे टॉफियां जिनमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शूगर, 25 प्रतिशत लिक्विड ग्लूकोज एवं पाँच प्रतिशत एसेन्स कलर का मिश्रण हो, वो ही कही गयी अनुसूची के अन्तर्गत आयेंगी जैसे कि लेमनचूस, लालीपाप इत्यादि। इसलिए उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार परफेटी ब्राण्ड की टॉफी पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
9.	**खण्ड–2, कासगंज** **प्रेक्षण :** कर निर्धारण आदेश में टॉफी की बिक्री को पाँच प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि धारा 59 के अन्तर्गत कमिश्नर निर्णय के अनुसार कैण्डी (टॉफी) जिसमें 70 प्रतिशत शुगर हो वह अनुसूची–II के अन्तर्गत आयेगी जैसे कि लेमनचूस, लालीपाप इत्यादि।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी आई0टी0सी0 लिमिटेड के उत्पाद जैसे कि कैण्डीमैन, इक्लेयर्स, जेलीमाल्स इत्यादि की बिक्री करते हैं। इन ब्राण्डेड टॉफियों में 70 प्रतिशत से कम शुगर होता है। केवल वे टॉफियाँ जिनमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शुगर, 25 प्रतिशत लिक्विड ग्लूकोज एवं पाँच प्रतिशत एसेन्स कलर का मिश्रण हो, वो ही कही गयी अनुसूची के अन्तर्गत आयेंगी जैसे कि लेमनचूस, लालीपाप इत्यादि। कैण्डीमैन, इक्लेर्यस, जेलीमाल्स इत्यादि जैसे आई0टी0सी0 लिमिटेड के उत्पाद पर उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाइयाँ / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
			अन्तर्गत 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय हैं।
10.	**खण्ड–17, लखनऊ** **<u>प्रेक्षण :</u>** कर निर्धारण आदेश में स्क्रैप की बिक्री को चार प्रतिशत की दर से दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुसार, इस वस्तु पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि धारा 28 सपठित धारा 32 के अन्तर्गत 16 नवम्बर 2018 को पुनर्कनिर्धारण किया गया था जिसमें व्यापारी स्क्रैप के कुल ₹ 235.93 लाख के बिक्री में से चार प्रतिशत की दर से कर योग्य ₹ 229.83 लाख के एम0एस0 स्क्रैप तथा ₹ 2.21 लाख के पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य स्क्रैप की बिक्री किये जाते पाये गये थे।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये किये विवरणी एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दोनों में प्लास्टिक एवं ग्लास के स्क्रैप का विशिष्ट उल्लेख है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार प्लास्टिक एवं ग्लास के स्क्रैप की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय है।

अवशेष ₹ 59.30 लाख की धनराशि के 15 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 को उन मामलों में जहाँ कर की गलत दर लगाये जाने के लिए टंकण की त्रुटि को कारण कहा गया है, सर्तकता के दृष्टिकोण से जाँच शुरू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.4 केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0)

3.4.1 कर की अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 55.97 करोड़ के स्टाक ट्रांसफर पर ₹ 2.80 करोड़ की अनियमित छूट अनुमन्य की जबकि व्यापारी प्रेषण के प्रमाण के साथ वांछित घोषणा–पत्र फार्म 'एफ' दाखिल करने में विफल रहा था।

के0बि0क0[4] अधिनियम के अन्तर्गत, जहाँ कोई व्यापारी यह दावा करता है कि, वह किसी माल के सम्बन्ध में, कर देने का दायी इस आधार पर नहीं है कि, एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचलन उसके द्वारा यथास्थिति, उसके व्यापार के किसी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्ता या स्वामी को ऐसे माल के अन्तरण के फलस्वरूप हुआ है, न कि विक्रय के फलस्वरूप, वहाँ पर यह प्रमाणित करने का भार कि उस माल का संचलन इस भाँति हुआ था, व्यापारी पर होगा और इस प्रयोजन के लिये वह, यथास्थिति, व्यापार के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी या उसके अभिकर्ता या मालिक द्वारा सम्यक रूप से भरी गई और हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें विहित विशिष्टियाँ विहित अधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारूप में कर निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय के भीतर ऐसे माल के भेजने के साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि व्यापारी ऐसा घोषणापत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो, ऐसे माल का संचलन इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रयोजनों के लिये यह माना जायेगा कि बिक्री के परिणामस्वरूप घटित हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा था कि माल के सभी प्रकार के अन्तरण जो कि बिक्री से भिन्न प्रकार से हुये हों, के लिये फार्म 'एफ' दाखिल किया

[4] धारा 6क (1)

जाना आवश्यक है (मेसर्स अम्बिका स्टील्स लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के 2008 की सिविल अपील सं0 4970 निर्णीत दिनांक 31 मार्च 2009)।

खण्ड–1 फिरोजाबाद के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में (जून 2017), लेखापरीक्षा ने देखा कि एक व्यापारी के मामले में (803 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) क0नि0प्रा0, ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लिये कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (फरवरी 2016 एवं मार्च 2017 के मध्य) ₹ 55.97 करोड़ के माल का एक राज्य से अन्य राज्य को किये गये स्टाक ट्रांसफर पर ₹ 2.80 करोड़ की अनियमित छूट अनुमन्य की थी, जबकि व्यापारी अपने दावे को सिद्ध करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक घोषणा पत्र फार्म 'एफ' के साथ प्रेषण के प्रमाण को क0नि0प्रा0 के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा था। विवरण **सारणी 3.4** में अंकित हैं।

सारणी–3.4
कर की अनियमित छूट

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	माल का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	कर
1	डि0क0 खण्ड–1 फिरोजाबाद	1	2012–13 (फरवरी–2016)	जैकेट्स, ट्राउजर्स आदि	29.23	5	1.46
			2013–14 (मार्च–2017)	जैकेट्स, ट्राउजर्स आदि	26.74	5	1.34
	योग	**1**			**55.97**		**2.80**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (जुलाई 2017) को प्रतिवेदित किया। विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी/मई 2019), में बताया कि धारा 17 के अन्तर्गत, व्यापारी पर कोई कर का दायित्व नहीं है और माल का निर्माण केवल रक्षा उद्देश्यों के लिये किया गया था। व्यापारी द्वारा कोई खरीद/बिक्री नहीं की गई है। अतएव, यह धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के आधार पर इस संव्यवहार के लिये व्यापारी को फार्म 'एफ' प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 17 मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजीयन के लिये है। यह धारा व्यापारी को किसी प्रकार की छूट की अनुमन्यता नहीं प्रदान करती है। जैसा कि कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है, व्यापारी माल की खरीद–बिक्री का व्यापार करता है। अतएव, व्यापारी को स्टाक ट्रांसफर के लिये छूट का दावा करने के लिये, फार्म 'एफ' प्रस्तुत करना अनिवार्य था जो कि ऊपर उद्धृत किये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी समर्थित है।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 को चाहिये कि वह ऐसे समस्त मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करे जिसमें कि क0नि0प्रा0 द्वारा इस प्रकार की छूटें अनुमन्य की गई हों।

3.4.2 पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0) से अनाच्छादित माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता

व्यापारियों ने घोषणा पत्र फार्म 'सी' के विरूद्ध कर की रियायती दर से ₹ 6.81 करोड़ के मूल्य का माल क्रय किया जो कि उनके पं0प्र0 से आच्छादित नहीं था। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की संवीक्षा न किये जाने से ₹ 1.05 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत[5] एक पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर से कोई माल की खरीद कर सकता है। के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत[6] यदि उससे सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसे माल को आच्छादित नहीं करता है, तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा। तथापि, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इसे उचित समझे, तो, वह अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2012–13 से 2016–17 में 66 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.51 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उपरोक्त में से, अब तक, 2012–13 के प्रतिवेदन की लो0ले0स0 में चर्चा हुई है जिसमें कि विभाग ने ₹ 21.56 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया था।

लेखापरीक्षा ने 13 वा0क0का0 (256 लेखापरीक्षित वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2017 एवं दिसम्बर 2017 के मध्य)। इसमें देखा कि 14 व्यापारियों ने (3,710 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 6.81 करोड़ मूल्य के माल की खरीद फार्म 'सी' में घोषणा के विरूद्ध कर की रियायती दर से की थी। तथापि, खरीदा गया माल उनके सम्बन्धित पं0प्र0 से आच्छादित नहीं था जिसके लिये वे अभियोजन के स्थान पर, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय सुसंगत पं0प्र0 और प्रश्नगत व्यापारियों के फार्म 'सी' के उपयोग के ब्यौरों की संवीक्षा नहीं की एवं परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हो सका **(परिशिष्ट-V)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मार्च 2017 एवं जनवरी 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों में विभाग ने बताया कि (जनवरी/मई 2019) 11 मामलों में ₹ 92.29 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है जिसमें से, दो मामलों में, ₹ 4.49 लाख की वसूली प्रतिवेदित थी। दो मामलों में विभाग के उत्तर की समीक्षा की गई और स्वीकार्य योग्य नहीं पायी गयी, जैसा कि **सारणी 3.5** में विस्तृत रूप से विश्लेषित है।

[5] केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956 की धारा 8।

[6] के0बि0क0 अधिनियम की धारा 10।

सारणी 3.5
मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–9 गाजियाबाद** **प्रेक्षण:** पं0प्र0 के अनुसार व्यापारी बिटूमिन की फार्म 'सी' के विरुद्ध कर की रियायती दर से खरीद के लिये अधिकृत नहीं हैं। इसलिये, वह देय कर के डेढ़ गुने अर्थदण्ड भुगतान के दायी है।	विभाग ने बताया कि व्यापारी बिटूमिन की खरीद के लिये अपने पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0) में अधिकृत है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये पं0प्र0 के ब्यौरों के अनुसार व्यापारी बिटुमिन की रियायती दर से खरीद के लिये अधिकृत नहीं थे। अतः अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिये था।
2.	**खण्ड–2 शाहजहाँपुर** **प्रेक्षण:** पं0प्र0 के अनुसार व्यापारी जनरेटर, मशीनरी कम्प्रेशर प्लेट एवं एलीवेटर की फार्म सी के विरूद्ध कर की रियायती दर से खरीद के लिये अधिकृत नहीं हैं। इसलिये, वह देय कर के डेढ़ गुने अर्थदण्ड भुगतान के दायी हैं।	विभाग ने बताया कि व्यापारी विद्युत सामग्री की खरीद के लिये अपने पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0) में पंजीकृत है। इसलिये, जनरेटर, मशीनरी, कम्प्रेशर प्लेट एवं एलीवेटर विद्युत सामग्री के अन्तर्गत आती हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जनरेटर,[7] मशीनरी, कम्प्रेशर प्लेट एवं एलीवेटर विद्युत सामग्री की श्रेणी में नहीं आती हैं। यह वस्तुयें मशीनरी की श्रेणी में आती हैं।

शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

संस्तुति:

वा0क0वि0 यह सुनिश्चित करे कि कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय पं0प्र0 एवं उपयोग प्रमाण पत्रों, जहाँ क0नि0प्रा0 ऐसी रियायतों पर विचार करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

3.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें

विभाग के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में 2009–10 से 2014–15 की अवधि में 54 वा0क0का0 के 66 व्यापारियों के मामलों में आई0टी0सी0 दावों से सम्बन्धित अनियमितताओं जैसे, व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता, अधिक दावे, आई0टी0सी0 के उत्क्रमित न किये जाने, अर्थदण्ड का आरोपण न किये जाने एवं उस पर ब्याज को प्रभारित न किये जाने आदि के ₹ 14.32 करोड़ धनराशि के मामले पाये। इन मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है।

3.5.1 व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 64.88 लाख की धनराशि की आई0टी0सी0 का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि क0नि0प्रा0 द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.01 करोड़ की आई0टी0सी0 ब्याज सहित अनुत्क्रमित रही।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत[8] पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ राज्य के भीतर व्यापारियों को कर बीजकों के विरुद्ध राज्य के पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे माल पर अदा किये गये कर अथवा अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये माल पर नकद जमा किये गये कर का लाभ उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक

[7] कमिश्नर व्यापार कर बनाम अल्मेक इन्जीनियर्स के वाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निर्णय।
[8] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13।

आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य है। अग्रेतर[9] यदि कोई व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण रीति से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित होगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2013–14 से 2016–17 में 71 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के पालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.23 करोड़ की आई0टी0सी0 उत्क्रमित नहीं की गई थी। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) 24 वा0क0का0 (256 लेखापरीक्षित वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की। इसमें देखा कि 9,855 व्यापारियों में से 27 व्यापारियों की नमूना जाँच में वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान ₹ 64.88 लाख की आई0टी0सी0 का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जो कि उन्हें अनुमन्य नहीं था। क0नि0प्रा0 को अपेक्षित था कि वे मार्च 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस गैर–अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करते एवं व्यापारियों को अनुत्क्रमित आई0टी0सी0 की राशि को साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देते, जो कि उत्क्रमित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.01 करोड़ (आई0टी0सी0 ₹ 0.65 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.36 करोड़) की आई0टी0सी0 का ब्याज सहित उत्क्रमण नहीं हुआ **(परिशिष्ट-VI)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (फरवरी 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 13 मामलों में ₹ 36.32 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया, जिसमें से सात मामलों में ₹ 15.35 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई। सात मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। विभाग द्वारा न स्वीकार किये गये सात में से पाँच मामलों में विभाग का मुख्य कथन यह था कि सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय टंकण की त्रुटियाँ[10] अपने आरम्भिक आदेशों में की थीं, जिसको कि उनके द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्राप्त करने के बाद उन्हें सही कर दिया गया। लेखापरीक्षा विभाग से आग्रह करता है कि वह इस प्रकार की चूकों के लिये जवाबदेही निर्धारित करे। इन सात मामलों में शासन/विभाग के उत्तरों का विश्लेषण सारणी **3.6 (i) एवं सारणी 3.6 (ii)** में सूचीबद्ध है।

सारणी 3.6 (i)
मामले जहाँ विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलों में टंकण की त्रुटियाँ होने का उल्लेख किया है।

क्र0 सं0	लेखा–परीक्षित इकाई/ संक्षेप में प्रेक्षण	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–15, आगरा** **प्रेक्षणः** व्यापारी द्वारा प्रस्तुत खरीद सूची के अनुसार करमुक्त वस्तु (कोई कर नहीं) अर्थात्–क्लाथ पर आई0टी0सी0 का दावा किया जा रहा है। अतः, व्यापारी द्वारा करमुक्त वस्तु क्लाथ की खरीद पर दावाकृत आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया जाना चाहिये।	टंकण की त्रुटि के कारण अपने मासिक विवरणी में, अपनी खरीद की सूची में क्लाथ की खरीद प्रदर्शित की थी, तथापि, व्यापारी द्वारा करयोग्य वस्तु की खरीद पर ही आई0टी0सी0 का दावा किया गया है।	क्लाथ एक करमुक्त वस्तु है जिस पर मू0सं0क0 की देयता नहीं है। अतः क्लाथ की खरीद पर अधिक आई0टी0सी0 का लाभ दिये जाने का आधार स्पष्ट नहीं है। व्यापारी के अभिलेखों के परीक्षण से प्रत्येक मास की खरीद सूची के विवरण में 'क्लाथ' की खरीद इंगित/संदर्भित है। अतः टंकण की त्रुटि सम्बन्धी उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

[9] धारा 14(2)।

[10] खरीद की त्रुटिपूर्ण सूची प्रस्तुत की गई थी, अनुमन्य आई.टी.सी. की उच्च दर को न्यूनतम धनराशि प्रदर्शित की गई थी, मिथ्या आई.टी.सी. अग्रेनीत की गई थी, आदि।

क्र0 सं0	लेखा–परीक्षित इकाई/ संक्षेप में प्रेक्षण	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
2.	**खण्ड–18 आगरा (ख)** **प्रेक्षण:** गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करते समय, अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण, जूस की खरीद ₹ 25.76 लाख के स्थान पर ₹ 60.54 लाख एवं कोल्ड ड्रिंक्स की खरीद ₹ 60.54 लाख के स्थान पर ₹ 25.76 लाख प्रदर्शित की गई थी जिसे कि धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसाकि व्यापारी ने, अपने वार्षिक विवरणी में, खरीदों का विभाजन नहीं दिया है। खरीद का विभाजन दिया जाना उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य है। दिनांक 28 अक्टूबर 2015 को कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय और कर निर्धारण आदेश पारित करते समय खरीद के विभाजन को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था।
3.	**खण्ड–3 गोरखपुर** **प्रेक्षण:** गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करते समय, अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण, सीमेण्ट शीट की खरीद ₹ 77.05 लाख के स्थान पर ₹ 46.60 लाख एवं आयरन शीट की खरीद ₹ 1600.30 लाख के स्थान पर ₹ 1630.74 लाख प्रदर्शित की गई थी। इसे धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित कर लिया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी ने, अपने वार्षिक विवरणी में, खरीदों का विभाजन नहीं दिया है। खरीद का विभाजन दिया जाना उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 45 के उपनियम (7) के अनुसार अनिवार्य है। दिनांक 11 जनवरी 2017 को कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय एवं पारित करते समय खरीद के विभाजन को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था।
4.	**खण्ड–20 लखनऊ** **प्रेक्षण:** गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करते समय, अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण ₹ 6.09 लाख की आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई एवं ₹ 2.89 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत की गई थी, जो कि कर निर्धारण आदेश में वार्षिक विवरणी के अनुसार थी, जिसे कि दिनांक 6 मार्च 2017 को धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित करते हुए ₹ 3.20 लाख की आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई एवं शून्य आई0टी0सी0 अग्रेनीत की गई थी।	जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, उत्तर इस तथ्य का उल्लेख नहीं करता कि ब्याज सहित आई0टी0सी0 को उत्क्रमित क्यों नहीं किया गया। वर्ष 2012–13 के कर निर्धारण वर्ष के लिये धारा 31 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश में संशोधन दि0 6 मार्च 2017 को किया गया। तब तक व्यापारी ने अगले कर निर्धारण वर्षों के लिये अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर दिया है एवं क0नि0प्रा0 द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये कर निर्धारण आदेश पारित करते समय अधिक निर्धारित आई0टी0सी0 का दावा कर लिया था। उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम/नियमावली कर निर्धारण के समय व्यापारी को अधिक लाभ दी गई आई0टी0सी0 को ब्याज सहित मांग निकाले जाने की अपेक्षा करता है।
5.	**खण्ड–6 मेरठ** **प्रेक्षण:** गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करते समय, अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	टंकण की त्रुटि के कारण ₹ 16.98 लाख के गैस स्टोव की खरीद को विस्तृत खरीद की सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया था जिसे दिनांक 21 मई 2018 को धारा 31 के अन्तर्गत संशोधित कर लिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी ने, अपने वार्षिक विवरणी में, खरीदों का विभाजन नहीं दिया है। खरीद का विभाजन दिया जाना उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य है। दिनांक 20 अगस्त 2016 को कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय और कर निर्धारण आदेश पारित करते समय खरीद के विभाजन को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा दिये गये उत्तर में गैस स्टोव के खरीद मूल्य का खुलासा अभी भी नहीं किया गया है।

सारणी 3.6 (ii)
मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–13 आगरा** **प्रेक्षण:** डिस्काउन्ट पर आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	कर निर्धारण आदेश पारित करते समय आदेश में केवल व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी एवं खाते में प्रदर्शित खरीद को ही सम्मिलित किया गया है। इसलिए व्यापारी द्वारा प्रस्तुत खरीद में कोई छूट एवं क्रेडिट नोट को घटाया नहीं गया है।	विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कर निर्धारण आदेश पारित करते समय देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करने में लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित डिस्काउन्ट को ध्यान में नहीं रखा गया। उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 21 में यह विशेष उल्लेख है कि डिस्काउन्ट पर आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होगी।
2.	**खण्ड–4 झाँसी** **प्रेक्षण:** गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करते समय, अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य की गई।	विभाग ने कहा कि धारा 14 के अन्तर्गत खरीद के समस्त कर बीजकों का सत्यापन किया गया और सही पाया गया। अतः आई0टी0सी0 का उत्क्रमण किया जाना आवश्यक नहीं है।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी के तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी को आई0टी0सी0 अनुमन्य करते समय कर निर्धारण आदेश में हुई गणना की त्रुटि स्वयं सिद्ध है।

शेष चार मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

सस्तुतिः

वा0क0वि0 को ऐसे संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिये जहाँ कि व्यापारियों द्वारा आई0टी0सी0 का दावा किया जा रहा है और क0नि0प्रा0 द्वारा आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है।

3.5.2 माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 1.40 करोड़ की ब्याज सहित आई0टी0सी0 जिनकी बिक्री व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008, के अन्तर्गत[11], जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया गया है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस मूल्य पर विक्रय किया गया है, जो पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल के विक्रय मूल्य, अथवा निर्मित माल पर संदेय कर की सीमा तक होगी। यदि व्यापारी आई0टी0सी0 की सम्पूर्ण धनराशि का दावा करता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा से अधिक आई0टी0सी0 की धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर के साथ उत्क्रमणीय होगी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2014–15 से 2015–16 में 10 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के पालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ के

[11] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (च) के अन्तर्गत।

आई0टी0सी0 को उत्क्रमित नहीं किया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

लेखापरीक्षा ने 13 वा0क0का0 (256 लेखापरीक्षित वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी 2017 एवं फरवरी 2018 के मध्य)। इसमें देखा गया कि 13 व्यापारियों (3,507 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 90.25 करोड़ मूल्य के माल की खरीद की थी, ₹ 4.86 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया था तथा इस माल को ₹ 69.68 करोड़ में बेचा था। व्यापारियों ने माल के विक्रय मूल्य पर देय कर ₹ 3.98 करोड़ की सीमा के बजाय माल के खरीद मूल्य पर आई0टी0सी0 प्राप्त किया। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया और न ही साधारण ब्याज सहित इसकी माँग सृजित की। इस प्रकार कुल ₹ 1.40 करोड़ (आई0टी0सी0 ₹ 0.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.52 करोड़) की ब्याज सहित आई0टी0सी0 उत्क्रमित नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-VII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मार्च 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने चार मामलों में ₹ 1.18 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किये। इनमें से, तीन मामलों में, ₹ 8.95 लाख की वसूली कर ली गई थी। ₹ 0.73 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाला एक स्वीकृत, मामला अभी भी कार्यवाही के लिये शेष है। दो मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार न किये गये दो मामलों में से एक में विभाग का मुख्य कथन यह था कि सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय टंकण की त्रुटियाँ[12] अपने प्रारंभिक आदेशों में की थी, जिसको कि उन्होंने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्राप्त करने के बाद सही कर दिया। विभाग से लेखापरीक्षा यह आग्रह करता है कि ऐसी चूकों के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाये। इन दो मामलों में शासन के उत्तरों का विश्लेषण **सारणी–3.7 (i) एवं सारणी–3.7 (ii)** में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.7 (i)
मामले जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में विभाग ने उल्लेख किया कि कर निर्धारण आदेशों में टंकण की त्रुटियाँ हुई हैं।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–10 वाराणसी** **<u>प्रेक्षण:</u>** खरीद की तुलना में कम बिक्री प्रदर्शित की गई है अतः हानि पर बिक्री किये जाने से आई0टी0सी0 उत्क्रमित किया जाना अपेक्षित है।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश के अन्तिम रहतिया में 14 प्रतिशत की दर से खरीदे गये माल को पाँच प्रतिशत की दर से खरीद माल के स्थान पर एवं इसी विपरीतता से उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 में संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधित कर निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप पाँच प्रतिशत करदेयता वाले माल की बिक्री ₹ 1.70 लाख कम पायी गई जिस पर ₹ 0.09 लाख की आर0आई0 टी0सी0 की गई थी जिसे कि व्यापारी ने बाद में 1 मई 2018 को जमा कर दिया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय एवं कर निर्धारण आदेश पारित करते समय व्यापारी के व्यापारिक खाते को स्वीकार किया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात, व्यापारी ने संशोधित विवरणी प्रस्तुत की जिसमें उसने अन्तिम रहतिया में 14 प्रतिशत वाले माल को पाँच प्रतिशत वाले माल से एवं इसी विपरीतता से प्रदर्शित किया था। यह टंकण की त्रुटि नहीं है क्योंकि कर निर्धारण पारित करने के पश्चात व्यापारी ने संशोधित विवरणी दाखिल की थी। अग्रेतर, आरंभिक आदेश पारित करने के पश्चात क0नि0प्रा0

[12] कर–निर्धारण आदेशों में विभिन्न माल की कर की दरों के आंकड़े त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित थे।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
			द्वारा संशोधित विवरणी को स्वीकार करने सम्बन्धी किसी प्रावधान को लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

सारणी–3.7 (ii)
मामले जहाँ विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं

क्र0 सं0	लेखा–परीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–1, फैजाबाद** **<u>प्रेक्षण:</u>** खरीद की तुलना में कम बिक्री प्रदर्शित की गई है, अतः हानि पर बिक्री किये जाने से आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया जाना अपेक्षित है।	विभाग ने कहा कि धारा 31 के, अन्तर्गत व्यापारी के खातों का सत्यापन किया गया और स्वीकार किया गया है। अतएव, आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करने की आवश्यकता नहीं है।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अपने वार्षिक विवरणी के तथ्यों के अनुरूप नहीं है। खरीद की तुलना में कम बिक्री कर निर्धारण आदेश के साथ–साथ व्यापारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी से भी स्वयं सिद्ध है। अतः कर निर्धारण आदेश से हानि पर बिक्री प्रमाणित होने के कारण आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया जाना आवश्यक है।

शेष सात मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 को चाहिये कि व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 के मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करें।

3.5.3 व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्रय पर आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जाना

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों के उन वस्तुओ के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 2.20 करोड़ की आई0टी0सी0, ब्याज सहित जो व्यापारियों द्वारा किये गये दावे से कम दरों पर करयोग्य थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 2008 के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ, एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रान्त के अन्दर से की गई करयोग्य माल की खरीद पर संदत्त या संदेय कर पर उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य है। अग्रेतर[13], यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 से 2016–17 अवधि तक में 40 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के पालन में क0नि0प्रा0 की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.03 करोड़ के त्रुटिपूर्ण आई0टी0सी0 दावों को उजागर किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उपर्युक्त में से, अब तक, वर्ष 2012–13 के प्रतिवेदन की चर्चा लो0ले0स0 में हुई है जिसमें कि विभाग ने ₹ 5.33 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया।

[13] अधिनियम 14(2) के अर्न्तगत।

लेखापरीक्षा ने पाँच वा0क0का0 (256 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2017 एवं सितम्बर 2017 के मध्य), देखा कि पाँच व्यापारियों ने (1,330 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान ₹ 18.06 करोड़ मूल्य के माल की खरीद की थी एवं पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 90.28 लाख के बजाय 13.5 से 14 प्रतिशत की दर से ₹ 2.53 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया था। व्यापारियों द्वारा खरीदा गया माल उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित है और इन पर लागू कर की दर पाँच प्रतिशत थी। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2016 एवं जनवरी 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया और बिना विस्तृत जाँच और प्रति सत्यापन किये व्यापारियों को ₹ 1.62 करोड़ की अधिक गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को अनुमन्य किया। यह त्रुटिपूर्ण दावा ब्याज सहित ₹ 2.20 करोड़ (आई0टी0सी0 ₹ 1.62 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.58 करोड़) की आई0टी0सी0 के उत्क्रमण को आकर्षित करता है, जो कि क0नि0प्रा0 द्वारा नहीं किया गया था। विवरण **सारणी–3.8** में अंकित है।

सारणी–3.8
व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्रय पर आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जाना।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	माल का नाम	माल का मूल्य	व्यापारी द्वारा दावाकृत आई0टी0 सी0	व्यापारी को अनुमन्य आई0टी0 सी0	क0नि0प्रा0 द्वारा उत्क्रमित न की गई आई0टी0सी0	आरोपणीय ब्याज
1	खण्ड–1 आगरा	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	फोम एवं फैब्रिक्स	28.22	3.95	1.41	2.54	1.23
2	ज्वा0कमि0 (का0स0) गोरखपुर	1	2012–13 (मार्च 2016)	वुडेन ड्रम	25.43	3.52	1.27	2.25	1.18
3	डि0क0 खण्ड–1 गौ0बु0 नगर	1	2013–14 (जनवरी 2017)	सेन्ट्रिफ्यूँगल मोनो ब्लॉक पम्प सेट्स, होस कॉलर एवं स्पेयर पार्ट्स	21.74	3.04	1.09	1.95	0.97
4	डि0क0 खण्ड–2 कानपुर	1	2014–15 (जनवरी 2017)	मल्टीमीडिया स्पीकर, हेडफोन	1,645.95	230.43	82.30	148.13	51.20
5	डि0क0 खण्ड–6 नोएडा	1	2013–14 (जुलाई 2016)	डिजिटल वीडियो कैमरा	84.21	11.79	4.21	7.58	3.17
योग		**5**			**1,805.55**	**252.73**	**90.28**	**162.45**	**57.75**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (मार्च 2017 एवं सितम्बर 2017 के मध्य), प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों में (जनवरी/मई 2019), विभाग ने तीन मामलों में ₹ 17.10 लाख की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। शेष दो मामलों में, विभाग ने प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया। इन मामलों में विभाग के उत्तर की समीक्षा की गई और **सारणी 3.9(i) एवं सारणी 3.9(ii)** में विस्तृत विश्लेषण के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सारणी 3.9(i)
मामले जहाँ विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलों में कर निर्धारण आदेशों में टंकण की त्रुटियाँ होने का उल्लेख किया है।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–1, आगरा** **प्रेक्षण:** कर निर्धारण आदेश में फोम एवं फैब्रिक्स की खरीद 14 प्रतिशत की दर से प्रदर्शित की गई थी। लेखापरीक्षा के अनुसार, पाँच प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 देय थी।	विभाग ने बताया कि वास्तव में व्यापारी ने एडहेसिव की खरीद की थी, जिसे कि त्रुटिवश कर निर्धारण आदेश में फोम एवं फैब्रिक्स का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे कि धारा–31 के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च 2018 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को पारित प्रारंम्भिक आदेश में फोम एवं फैब्रिक्स की खरीद विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं पायी जा सकती है। अग्रेतर, व्यापारी ने अपने वार्षिक विवरणी में स्वंय ही उसी माल की खरीद दिखायी है। अग्रेतर विभाग द्वारा एडहेसिव की खरीद से सम्बन्धित दावे को स्थापित करने के लिये कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा को नहीं दिया गया। अतः फोम एवं फैब्रिक्स का उच्चतर दरों से दावाकृत आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किये जाने की आवश्यकता है।

सारणी 3.9(ii)
मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**खण्ड–2, कानपुर** **प्रेक्षण:** स्पीकर, माइक्रोफोन आदि पर आई0टी0सी0 अनुसूची V की बजाय अनुसूची II के अनुसार अनुमन्य है।	विभाग ने कहा कि व्यापारी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली यथा–स्पीकर, माइक्रोफोन आदि की खरीद–बिक्री का कार्य करते है जो कि 12.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर को जोड़ते हुये कर योग्य है।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची II, भाग 2ख, क्रम सं0 2 स्पष्ट रूप से यह अनुबन्धित करता है कि स्पीकर, माइक्रोफोन आदि इस प्रविष्टि के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं और इसलिये इन वस्तु पर आई0टी0सी0 पाँच प्रतिशत की दर से ही अनुमन्य है। अतः स्पीकर, माइक्रोफोन आदि पर उच्चतर दर से दावाकृत आई0टी0सी0 उत्क्रमित किये जाने योग्य है।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 यह सुनिश्चित करने के लिये कि आई0टी0सी0 के दावे निर्धारित दरों पर ही किये जा रहे हैं, आई0टी0सी0 के समस्त दावों की आवधिक एवं यादृच्छिक समीक्षा करे।

3.5.4 मिथ्या / कपटपूर्ण आई0टी0सी0 का दावा

विभाग द्वारा किये गये प्रति सत्यापन पर, व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 1.94 करोड़ की आई0टी0सी0 की धनराशि मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि, इसको क0नि0प्रा0 द्वारा उत्क्रमित किया गया था, दोषियों के विरूद्ध ₹ 9.71 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008[14] के अन्तर्गत, यदि खरीदे हुए माल की पुनः बिक्री की जाती है तो, व्यापारी द्वारा उक्त माल की खरीद या बिक्री पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि की सीमा तक आई0टी0सी0 अनुमन्य है। अग्रेतर[15], यदि कर निर्धारण

[14] मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(19)।
[15] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 13 सपठित उ0प्र0 मू0सं0क0नि0 2008 के नियम 24।

प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी व्यापारी द्वारा मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया गया है तो, वह ऐसे व्यापारी को कर के अतिरिक्त आई0टी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर अर्थदण्ड का भुगतान के लिए निर्देशित कर सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के वर्ष 2012–13 से 2015–16 में 89 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.20 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त में से, अब तक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 पर लो0ले0स0 में चर्चा की जा चुकी है, जिसमें विभाग द्वारा ₹ 11.13 लाख की वसूली की गयी।

लेखापरीक्षा ने 20 वा0क0का0 (256 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (अक्टूबर 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की जिसमें पाया गया कि 21 व्यापारियों (5,727 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) के वादों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों द्वारा दावा की गयी आई0टी0सी0 का प्रति सत्यापन किया और पाया कि व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009–10 से 2014–15 के दौरान ₹ 1.94 करोड़ आई0टी0सी0 की धनराशि का मिथ्या/कपटपूर्ण ढंग से दावा किया था। यद्यपि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य) कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आई0टी0सी0 को उत्क्रमित कर दिया, परन्तु उन्होंने ₹ 9.71 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया **(परिशिष्ट–VIII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (दिसम्बर 2016 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने ₹ 5.05 करोड़ की धनराशि के 18 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। दो मामलों में ₹ 41.46 लाख की वसूली की गयी। शेष तीन मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 को ऐसे मामलों की ध्यानपूर्वक जाँच एवं सत्यापन करना चाहिए जिसमें व्यापारी द्वारा मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया जा रहा है।

3.6 ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 5.56 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया, जिस पर ब्याज प्रभार्य था। तथापि, कर निर्धारण करते समय इसे प्रभारित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ की धनराशि का ब्याज प्रभारित नहीं हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008, एवं स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007[16] के अन्तर्गत, कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए जिसमें असफल रहने पर असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक 1 जनवरी 2008 से सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2016–17 में 123 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.57 करोड़ का ब्याज न/कम प्रभारित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में उचित

[16] उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) को उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 13 के साथ पढ़ें।

कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। उपरोक्त में से, अब तक, वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लो0ले0स0 में चर्चा की गयी है, जिसमें विभाग द्वारा ₹ 33.24 लाख की वसूली की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने 25 वा0क0का0 (256 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (मार्च 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की, देखा कि 28 व्यापारियों (13,651 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान स्वीकार किया गया कर ₹ 5.56 करोड़, 32 दिनों से 2,610 दिनों के विलम्ब से, देरी के कारण देय ब्याज का भुगतान किये बिना जमा किया। स्वीकृत कर की विलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर जमा करने की तिथि तक ₹ 2.60 करोड़ ब्याज आकर्षित हुआ, जबकि व्यापारियों ने मात्र ₹ 4.02 लाख जमा किया। क0नि0प्रा0 ने जुलाई 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 2.56 करोड़ ब्याज प्रभारित नहीं किया **(परिशिष्ट–IX)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (अप्रैल 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 23 मामलों में ₹ 55.74 लाख की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से 13 मामलों में ₹ 28.05 लाख की वसूली प्रतिवेदित थी। विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामलों में, कानून के अनुसार, स्वीकृत कर के विलम्बित जमा के प्रकरणों में ब्याज वसूलने में उनकी असफलता के लिए क0नि0प्रा0 के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का कोई संकेत नहीं है। विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया, जहाँ यह बताया कि व्यापारी ने समाधान योजना का विकल्प चुना है और समाधान शुल्क विभिन्न तिथियों को लागू नियमों के अनुसार जमा की गयी थी और इस तरह की ब्याज ₹ 0.11 लाख और ₹ 0.06 लाख को क्रमशः दिनांक 02 फरवरी 2018 और 25 जनवरी 2018 को जमा किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है। व्यापारी ने लेखापरीक्षा द्वारा विलम्ब इंगित करने के पश्चात् ब्याज जमा किया। अग्रेतर, व्यापारी द्वारा सम्पूर्ण ब्याज अर्थात् ₹ 1.07 लाख (1 अक्टूबर 2013 से 05 अक्टूबर 2016) को जमा नहीं किया गया था। शेष चार मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुतिः

जहाँ व्यापारियों ने देय कर को विलम्ब से जमा किया है, वहाँ ब्याज की धनराशि की गणना वा0क0वि0 द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

3.7 अर्थदण्ड का अनारोपण

कर से सम्बन्धित कानून दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों द्वारा दुराशयपूर्ण क्रिया–कलापों को हतोत्साहित करने के लिए बनाये गये है। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अनेक अपराधों जैसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं संव्यवहार, कर का विलम्ब से जमा किया जाना, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि की उपेक्षा किया। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान है, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने 2007–08 (मू0सं0क0) से 2015–16 तक की अवधि के लिये 125 वा0क0का0 से सम्बन्धित 218 व्यापारियों में धनराशि ₹ 33.52 करोड के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैः

3.7.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये टर्नओवर की धनराशि ₹ 20.44 करोड़ पर ₹ 3.66 करोड की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम[17] के अन्तर्गत, जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझकर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो, या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या संदाय कर का अपवंचन किया हो, जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि, वह कर यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ–साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2015–16 में 170 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.93 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में विभाग ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त में से, अब तक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 पर लो0ले0स0 में चर्चा की गयी, जिसमें विभाग द्वारा ₹ 9.58 लाख की वसूली की गयी है।

लेखापरीक्षा ने 56 वा0क0का0 (256 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (जनवरी 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की, पता चला कि 69 व्यापारियों (25,491 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान ₹ 20.44 करोड़ की खरीद और बिक्री के टर्नओवर को छिपाया था। चूँकि व्यापारियों ने गलत तरीके से अपने टर्नओवर को छिपाया, वे छिपाये गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी थे। हालांकि, क0नि0प्रा0 ने (सितम्बर 2012 एवं मार्च 2017 के मध्य), कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये हुए टर्नओवर पर केवल ₹ 1.22 करोड़ की धनराशि का कर आरोपित किया। सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने न तो ₹ 3.66 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया **(परिशिष्ट–X)**। यह इस तथ्य के बावजूद कि 32 खण्डों के अन्तर्गत आने वाले 40 मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने (जून 2014 एवं नवम्बर 2017 के मध्य) यह पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया/देय कर के भुगतान का अपवंचन किया गया था अथवा व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार कर लिया था और छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर को जमा कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मार्च 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 56 मामलों में ₹ 2.81 करोड की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से 15 मामलों में ₹ 49.25 लाख की वसूली की जा चुकी थी। तीन मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन तीनों मामलों में, अपीलेट प्राधिकारियों द्वारा अपवंचन की पुष्टि की गयी है जैसा कि निम्नलिखित **सारणी 3.10** में दर्शाया गया है।

[17] धारा 54(1)(2)।

सारणी 3.10
मामले जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	ज्वा0क0(का0स0) गोरखपुर	विभाग ने बताया कि यदि अपवंचन जानबूझकर नहीं है तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है।	सभी तीनों मामलों में व्यापारियों द्वारा छिपाये गये टर्नओवर के सम्बन्ध में अपील दायर की गयी है। इन सभी मामलों में अपीलेट अथोरिटी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के तर्क को सही ठहराया गया है, जिससे अपवंचन के तथ्य की पुष्टि होती है। इन परिस्थितियों में, विभाग का उत्तर कि अपवंचन जानबूझकर नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।
2	खण्ड 3 गोरखपुर		
3	खण्ड 2 कांशीरामनगर (कासगंज)		

शेष 10 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है (अगस्त 2019)।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 को ऐसे सभी मामले की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा टर्नओवर के छिपाये जाने का पता लगता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित अर्थदण्ड लगाया जाये।

3.7.2 स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा होना

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 15.31 करोड़ की धनराशि के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 3.06 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड और ₹ 55.30 लाख ब्याज आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम[18] के अन्तर्गत, यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निश्चित अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में देय कर जमा करने में असफल रहा है, तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के साथ–साथ ऐसे देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में अदा करे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2015–16 में 201 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के जवाब में विभाग ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त में से, अब तक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 पर लो0ले0स0 में चर्चा की गयी जिसमें विभाग द्वारा ₹ 8.82 लाख की वसूली की गयी है।

लेखापरीक्षा ने 60 वा0क0का0 (256 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की (सितम्बर 2015 और मार्च 2018 के मध्य) नमूना जाँच की, पता चला कि 80 व्यापारियों (26,519 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने 2008–09 से 2014–15 की अवधि के लिए स्वयं स्वीकार किये गये कर, ₹ 15.31 करोड़ को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि 5 दिनों से 1,397 दिनों की थी। चूँकि कर विलम्ब से जमा किया गया था, जिसके लिये वो आरोपित कर के साथ–साथ देय कर के 20 प्रतिशत की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के भी दायी थे जो कि विचाराधीन व्यापारी

[18] धारा 54(1)(1)(ए)।

द्वारा भुगतान योग्य थी। तथापि, क0नि0प्रा0 ने (मई 2012 एवं मार्च 2017 के मध्य), कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 55.30 लाख ब्याज के साथ ₹ 3.06 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया और न ही अर्थदण्ड और ब्याज के अनारोपण के लिए कोई कारण ही अंकित किया **(परिशिष्ट–XI)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (अप्रैल 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उनके उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 58 मामलों में ₹ 2.14 करोड़ की धनराशि का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया, जिसमें से 10 मामलों में ₹ 17.92 लाख की वसूली की गयी थी। चार मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी चारों मामलों में स्वीकृत कर बिना ब्याज के/लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने के बाद जमा किया गया था जो कि निम्नलिखित **सारणी 3.11** में विस्तृत विश्लेषण के अनुसार मू0सं0क0 अधिनियम के प्रावधान के विपरीत है।

सारणी 3.11
प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	**खण्ड–12 इलाहाबाद** **<u>प्रेक्षण:</u>** माह 03/14 का स्वीकृत कर 278 से 887 दिन विलम्ब से जमा किया गया था। इस प्रकार मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि व्यापारी ने समाधान योजना को चुना है और विभिन्न समाधान शुल्कों ₹ 9.64 लाख को ब्याज सहित विभिन्न तिथियों को जमा किया गया है। इस तरह, अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं है।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी द्वारा अपने कर विवरणी में संलग्न चालान की छायाप्रति इंगित करती है कि स्वीकार किये गये कर को लेखापरीक्षा के समय तक बिना ब्याज के जमा किया गया था। अतः विभाग का यह उत्तर कि व्यापारी ने ब्याज सहित स्वीकृत कर जमा कर दिया था, सही नहीं है। इस प्रकार, अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।
2	**खण्ड–5 बरेली** **<u>प्रेक्षण:</u>** माह जुलाई 2012 और अगस्त 2012 का स्वीकृत कर छः से नौ दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इस प्रकार उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि स्वीकृत कर पर ब्याज ₹ 2,000 और ₹ 4,000 दिनांक 4 अगस्त 2017 को जमा किया गया और कमिश्नर के परिपत्र के अनुसार यदि विलम्ब 10 दिन के लिए है और स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा कर दिया गया है तो अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं होगा।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कमिश्नर के परिपत्र के अनुसार, यदि स्वीकृत कर का विलम्ब 10 दिनों तक का है और व्यापारी द्वारा उचित कारणों के साथ स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा किया गया है, तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा। वर्तमान मामले में व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर को विलम्ब और बिना ब्याज के जमा किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कमिश्नर के परिपत्र वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।
3	**खण्ड–8 लखनऊ** **<u>प्रेक्षण:</u>** माह दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014 का स्वीकृत कर पाँच से सात दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इस प्रकार उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि यदि स्वीकृत कर ब्याज के साथ जमा किया गया है तो मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26 अक्टूबर 2004 के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं होगा।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी द्वारा अपने कर विवरणी में संलग्न चालान की छायाप्रति इंगित करती है कि स्वीकार किये गये कर को लेखापरीक्षा के समय तक बिना ब्याज के जमा किया गया था। अतः विभाग का यह उत्तर कि व्यापारी ने ब्याज सहित स्वीकृत कर जमा कर दिया है, सही नहीं है। इस तरह, अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
4	**खण्ड–14 वाराणसी** **(ख) <u>प्रेक्षण:</u>** माह मई 2011 और जून 2011 का स्वीकृत कर 50 से 77 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया गया था, इस प्रकार उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है।	विभाग ने कहा कि विलम्ब के लिए ब्याज दिनांक 29 सितम्बर 2018 को जमा किया गया था। इस तरह, अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा।	विभाग का यह उत्तर कि स्वीकृत कर के विलम्ब से जमा के लिए व्यापारी द्वारा ब्याज जमा किया गया है स्वीकार्य नहीं है जैसाकि लेखापरीक्षा के समय व्यापारी ने स्वीकृत कर बिना ब्याज के जमा किया था, और इसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय और पारित करते समय स्वीकार किया गया था। चूँकि लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने के बाद व्यापारी ने ब्याज जमा किया है, इसलिए अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

शेष 18 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही हैं (अगस्त 2019)।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 विभाग को उन मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकृत कर को देय ब्याज के बिना जमा किया जा रहा है।

3.7.3 स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर ₹ 13.40 करोड़ की धनराशि को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यापारियों पर ₹ 26.80 करोड़ के अर्थदण्ड की धनराशि के साथ ₹ 14.26 लाख ब्याज आरोपित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[19] के अन्तर्गत, ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2012–13 से 2016–17 में 108 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.40 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर में विभाग ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उपरोक्त में से, अब तक, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लो0ले0स0 में चर्चा की गयी जिसमें विभाग द्वारा ₹ 24.00 लाख की वसूली की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने 47 वा0क0का0 (256 वा0क0का0 में से) के कर निर्धारण अभिलेखों (मार्च 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) की नमूना जाँच की, पता चला कि 69 व्यापारियों (17,490 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने वर्ष 2008–09 से 2014–15 के दौरान संविदाकार को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 13.40 करोड़ कर की धनराशि की कटौती की परन्तु इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया।

[19] धारा 34(8) सपठित धारा 34(1)।

विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से लेकर 349 दिनों तक की थी। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2017 के मध्य), न तो ₹ 26.80 करोड़ के देय धनराशि के अर्थदण्ड के साथ देय ब्याज ₹ 14.26 लाख का आरोपण किया और न ही अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण के लिए कोई कारण ही अंकित किया **(परिशिष्ट–XII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (अप्रैल 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। अपने उत्तरों (जनवरी/मई 2019) में, विभाग ने 53 मामलों में ₹ 18.71 करोड़ की धनराशि का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया, जिसमें से दो मामलों में ₹ 2.35 लाख की वसूली की गयी थी। चार प्रकरणों में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि **सारणी 3.12** में विवरण दिया गया है।

सारणी 3.12
प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	**खण्ड–16 आगरा (क)** **<u>प्रेक्षण:</u>** माह मार्च 2014 का टी0डी0एस0 बिना ब्याज के आठ दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इसलिए, मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।	विभाग ने बताया कि विलम्ब आठ दिनों का था और कमिश्नर के परिपत्र के अनुसार, यदि विलम्ब की अवधि 10 दिनों से कम है, तो अर्थदण्ड उद्ग्रहणीय नहीं है। विलम्ब के लिए व्यापारी द्वारा ₹ 1,305/– ब्याज जमा किया गया था।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कमिश्नर के परिपत्र के अनुसार, यदि स्वीकृत कर का विलम्ब 10 दिनों तक है और व्यापारी द्वारा उचित कारणों के साथ स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा किया गया है, तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा। वर्तमान मामले में, व्यापारी द्वारा बिना ब्याज के स्वीकृत कर को विलम्ब से जमा किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कमिश्नर का परिपत्र वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।
2	**खण्ड–16 आगरा (ख)** **<u>प्रेक्षण:</u>** माह अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के लिए विभिन्न टी0डी0एस0 बिना ब्याज के आठ से नौ दिनों के विलम्ब की अवधि से जमा किये गये थे। इसलिए मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।	विभाग ने बताया कि विलम्ब आठ दिनों का था और कमिश्नर के परिपत्र के अनुसार, यदि विलम्ब की अवधि 10 दिनों से कम है, तो अर्थदण्ड उद्ग्रहणीय नहीं है। विलम्ब के लिए व्यापारी द्वारा ₹ 19,743/– ब्याज जमा किया गया था।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कमिश्नर के परिपत्र के अनुसार, यदि स्वीकृत कर का विलम्ब 10 दिनों तक की है और व्यापारी द्वारा उचित कारणों के साथ स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा किया गया है, तो अर्थदण्ड आरोपित नहीं होगा। वर्तमान मामले में व्यापारी द्वारा बिना ब्याज के स्वीकृत कर को विलम्ब से जमा किया गया है। अतः उपरोक्त कमिश्नर का परिपत्र वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।
3	**खण्ड–8 गाजियाबाद (ख)** **<u>प्रेक्षण:</u>** माह जनवरी 2012 के लिए टी0डी0एस0 बिना ब्याज के 11 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इसलिए उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।	विभाग ने कहा कि 8 फरवरी 2012 को कर की कटौती की गयी थी जिसे 2 मार्च 2012 को नियत समय में जमा किया गया था, इस प्रकार टी0डी0एस0 समय से जमा था।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। व्यापारी की विवरणी बताती है कि माह जनवरी 2012 का टीडीएस जो 20 फरवरी 2012 तक या उससे पहले जमा होना था, 11 दिनों के विलम्ब से 2 मार्च 2012 को जमा किया गया था। अतः व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
4	**खण्ड–17 वाराणसी (ख)** **<u>प्रेक्षण:</u>** माह फरवरी 2013 के लिए टी0डी0एस0 बिना ब्याज के 11 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था। इसलिए मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।	विभाग ने कहा कि माह फरवरी 2013 में कोई कटौती नहीं की गयी थी। चालान फार्म में मई 2013 के स्थान पर गलती से फरवरी 2013 उल्लिखित हो गया था। इस तरह, कोई विलम्ब नहीं था।	विभाग का उत्तर व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार नहीं है। लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे माह मई 2013 का टी0डी0एस0 काटे जाने से पहले 31 मार्च 2013 को जमा हो गया था। व्यापारी की विवरणी से यह स्पष्ट होता है कि माह फरवरी 2013 का टी0डी0एस0 जो 20 मार्च 2013 को या उससे पहले जमा किया जाना था, 11 दिनों के विलम्ब से 31 मार्च 2013 को जमा किया गया था। अतः व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

शेष 12 मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही हैं (अगस्त 2019)।

संस्तुतिः

वा0क0वि0 को व्यापारियों/ठेकेदारों द्वारा टी0डी0एस0 को समय से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.8 व्यापारियों द्वारा कर के रूप में गलत तरीके से वसूल की गई धनराशि को जब्त नहीं किया जाना

व्यापारियों ने अपने कर दायित्व से ₹ 4.61 करोड़ का अधिक कर एकत्र किया था। तथापि, कर क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों द्वारा गलत तरीके से वसूल की गयी धनराशि को जब्त नहीं किया।

उ0प्र0 मू0सं0क0अधिनियम[20] के अन्तर्गत, जहाँ किसी व्यापारी द्वारा किसी भी व्यक्ति से अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में माल की बिक्री या खरीद पर कर की वसूली के माध्यम से ऐसा करने के लिए किसी भी राशि की वसूली की गयी है, किसी व्यापारी द्वारा जमा की गयी ऐसी राशि एक सीमा तक देय कर नहीं है, राज्य सरकार द्वारा रोक दी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने आठ वा0क0का[21] (256 वा0क0का0 में से) के अभिलेखों (अप्रैल 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ व्यापारियों (2,824 व्यापारियों की नमूना जाँच में से) ने 2011–12 एवं 2013–14 से 2014–15 की अवधि के लिए अधिनियम की प्रावधानों के उल्लंघन में कर के रूप में ₹ 4.61 करोड़ की अधिक धनराशि प्रभारित/वसूली की थी। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2015 एवं मार्च 2017 के मध्य कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय उपरोक्त व्यापारी द्वारा वसूल की गई धनराशि को जब्त नहीं किया गया **(परिशिष्ट–XIII)**।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

---

[20] धारा 43(2)।

[21] ज्वां0कमि0 रेंज–बी, जीबी नगर–1, ₹ 138.75 लाख, खण्ड–2 कानपुर–1, ₹ 293.55 लाख, खण्ड–16 कानपुर–1, ₹ 0.88 लाख, खण्ड–3 ल0खीरी–1, ₹ 16.67 लाख, खण्ड–1 ललितपुर–2 ₹ 2.77 लाख और ₹ 2.17 लाख, खण्ड–1 नोयडा–1 ₹ 5.33 लाख, खण्ड–2 पीलीभीत–1 ₹ 0.67 लाख, खण्ड–3 सुल्तानपुर–1 ₹ 0.53 लाख।

संस्तुतिः

वा0क0विभाग को उन प्रकरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अन्य व्यापारियों से धनराशि कर के रूप में गलत तरीके से वसूल किया गया है।

3.9 माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी

3.9.1 प्रस्तावना

1 जुलाई 2017 से, क्रियान्वित माल और सेवा कर (मा0से0क0)[22], राज्यांतर्गत माल अथवा सेवा (मानव उपभोग के लिये मदिरा एवं पाँच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों[23] को छोड़कर) की आपूर्ति पर अलग से परन्तु संघ (के0मा0से0क0) और राज्यों (रा0मा0से0क0)/संघ शासित प्रदेशों (सं0शा0मा0से0क0) द्वारा अलग अलग लेकिन समवर्ती रूप से आरोपित किया जाता है। अग्रेतर, प्रावधान के तहत नये करारोपण व्यवस्था में, वस्तुओं एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति (आयातों सहित) पर एकीकृत मा0से0क0 (ए0मा0से0क0) आरोपित हो रहा है। संसद के पास ए0मा0से0क0 आरोपित करने की अनन्य शक्ति है। मा0से0क0 ने राज्य और केन्द्रीय करों की बहुलता का स्थान ले लिया है। जो प्रमुख कर प्रतिस्थापित किये गये हैं, उनमें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत, क्रमिक व्यापारियों द्वारा राज्यान्तर्गत बिक्री के क्रम में मूल्य संवर्धित कर (मू0सं0क0) तथा के0बि0क0 अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के क्रम में वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) आरोपित किये जाते थे।

पूर्ववर्ती मू0सं0क0 व्यवस्था के अन्तर्गत, राज्य सरकार को उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार था। दूसरी ओर मा0से0क0 से सम्बन्धित प्रावधानों को, केन्द्र और राज्य द्वारा माल और सेवा कर परिषद (मा0से0क0प0) जो मा0से0क0 से सम्बन्धित मामलों के लिये केन्द्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ गठित की गयी है, की सिफारिश पर विनियमित किया जाता है। राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानीय एवं केन्द्रीय[24] करों को सम्मिलित करते हुये उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (मई 2017) तथा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जून 2017) अधिसूचित किया। राज्य एवं केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को आई0टी0 सेवाएं प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा, माल और सेवा कर नेटवर्क (जी0एस0टी0एन0) की स्थापना एक निजी कम्पनी के रूप में की गयी। जी0एस0टी0एन0, मा0से0क0 पोर्टल के सम्पूर्ण आई0टी0 प्रणाली को व्यवस्थित करता है। सरकार के द्वारा इसका उपयोग प्रत्येक वित्तीय संव्यवहार का पता लगाने के लिये, और करदाताओं को पंजीकरण से कर जमा करने तक तथा सभी कर विवरणों को बनाये रखने की सभी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है। यह कर दाताओं के लिये अभीष्ट फ्रन्ट इन्ड आई0टी0 सेवायें जैसे पंजीकरण, कर का भुगतान और विवरणियों का दाखिल किया जाना और कर प्राधिकारियों के उपयोग के लिये बैक इन्ड आई0टी0 सेवायें जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाताओं के विवरण की दर्शिका, वापसी प्रक्रिया, एम0आई0एस0 प्रतिवेदन आदि को समाविष्ट करता है। बैक इन्ड सेवायें केवल मॉडल–II[25] राज्यों, के लिये उपलब्ध हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश एक है।

---

22 केन्द्रीय मा0से0क0: के0मा0से0क0 एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र मा0से0क0: रा0मा0से0क0/सं0शा0 मा0से0क0।

23 पेट्रोलियम उत्पादों: क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एवं प्राकृतिक गैस।

24 मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं मनोरंजन कर।

25 मॉडल I राज्यः जीएसटीएन द्वारा केवल फ्रन्ट इन्ड सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
मॉडल II राज्यः जीएसटीएन द्वारा फ्रन्ट इन्ड तथा बैक इन्ड दोनों सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

3.9.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि:

- आई0टी0 समाधान को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार की तैयारी का मूल्यांकन करना;
- नियमों/विनियमों/आई0टी0 प्रणाली को तैयार/कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये किये गये क्षमता निर्माण उपायों का आंकलन करना; और
- राज्य सरकार द्वारा विरासती कर व्यवस्था के मुद्दों को संभालने के लिये तय की गयी रणनीति का विश्लेषण करना।

3.9.3 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं उनके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से प्राप्त किये गये है:

- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;
- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017;
- मा0से0क0 (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017;
- कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017;
- सम्मिलित करों से सम्बन्धित अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों:
    - उत्तर प्रदेश मू0सं0क0 अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं केन्द्र/राज्य सरकार और मा0से0क0 परिषद द्वारा जारी किये गये अन्य दिशा निर्देशों।

3.9.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भारत के संविधान के 101वें संशोधन से अर्थात 8 सितम्बर 2016 से 31 मार्च 2018 तक प्रभावी मा0से0क0 के कार्यान्वयन से संबंधित, राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग की गतिविधियों की, लेखापरीक्षा के दौरान समीक्षा की गयी। इसके अतिरिक्त, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से मा0से0क0 में व्यापारियों के जाने, ट्रांजिशनल क्रेडिट एवं मा0से0क0 वापसी से संबन्धित सूचना/डेटा प्राप्त किये गये। विरासती मुद्दों जैसे करनिर्धारण, वसूली/वापसी आदि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की भी जाँच की गयी।

राज्य वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा को न तो जी0एस0टी0एन0 की ऐक्सेस दी व न ही मा0से0क0 डेटा से संबन्धित अपने अधिकार का कोई डेटा डम्प सतत प्रयास के बावजूद उपलब्ध कराया। चूंकि मा0से0क0 का डेटा साझा नहीं किया गया, हम लेखापरीक्षा नहीं कर सके एवं इसलिए प्रतिवेदन का यह खण्ड लेखापरीक्षा द्वारा किये गये प्रश्नों एवं माँग पत्रों पर उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं पर, परन्तु बिना किसी वास्तविक डाटाबेस या दस्तावेजों के स्वतंत्र सत्यापन के, आधारित है।

18 मार्च 2019 को कमिश्नर, वाणिज्य कर के साथ एक प्रारम्भिक विचार गोष्ठी की गई। विभाग को प्रेक्षणों को 11 जून 2019 को प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में 14 जून 2019 को विभाग के साथ निष्कर्षों पर विचार विमर्श करने के लिये एक गोष्ठी की गई। अन्तिम प्रेक्षणों को राज्य सरकार को 16 जुलाई 2019 को अग्रेषित किया गया। विभाग के उत्तर 12 सितम्बर 2019 को प्राप्त हुये। कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं शासन

के साथ 1 अक्टूबर 2019 को निष्कर्षों पर विचार विमर्श करने के लिये समापन विचार गोष्ठी की गई।

3.9.5 जी0एस0टी0एन0 डाटाबेस की ऐक्सेस

मा0से0क0 कार्यान्वयन के लिये आई0टी0 प्लेटफार्म के आरम्भ के साथ, जी0एस0टी0एन0 आई0टी0 प्रणाली की ऐक्सेस और इसके डेटा लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक हो जाते हैं जिससे कि प्रणाली की मजबूती के सम्बन्ध में आवश्यक आश्वासन प्राप्त किया जा सके। नि0म0ले0प0 की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जी0एस0टी0एन0 आई0टी0 प्रणाली और डेटा तक पूर्ण ऐक्सेस के लिये नि0म0ले0प0 दलों के लिये, भारत सरकार को लागिन क्रिडेंशियल बनाने के लिये जी0एस0टी0एन0 ने अनुशंसा की थी (अक्टूबर 2016)।

इस कार्यालय[26] द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था (अप्रैल 2018) कि भारत के नि0म0ले0प0 को कुछ प्रासंगिक प्रोटोकाल्स के साथ मा0से0क0 डेटा को साझा किया जा सकता है। विभाग नें उत्तर में बताया[27] (मई 2018) कि जी0एस0टी0एन0 पोर्टल की ऐक्सेस उपलब्ध कराना और भूमिका की पटकथा बनाना केवल जी0एस0टी0एन0 परिषद के द्वारा ही सम्भव है।

विभाग ने अग्रेतर बताया (सितम्बर 2019) कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ डेटा शेयरिंग प्रोटोकाल का प्रकरण मा0से0क0 परिषद को संदर्भित कर दिया गया है। जी0एस0टी0एन0 एवं डेटा डम्प को एक्सेस करने के लिये मामले का निर्णय होने तक, प्रतीक्षा किया जाना औचित्यपूर्ण होगा।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि नि0म0ले0प0 के डी0पी0सी0 अधिनियम, 1971 की धारा 18 के अधीन नि0म0ले0प0 को किसी भी अभिलेख, लेखे और अन्य अभिलेख जो कि उसकी जाँच से सम्बन्धित हैं के ऐक्सेस का प्राधिकार होगा। अग्रेतर, नि0म0ले0प0 के डी0पी0सी0 अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन, नि0म0ले0प0 का कर्त्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करे जो भारत और प्रत्येक राज्य की संचित निधि में देय हैं। अग्रेतर, लेखा तथा लेखापरीक्षा, विनियमन 2007 के विनियम 181 में यह और स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्व यह सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रणाली स्थापित एवं कार्यान्वित कर सकें जिससे कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित डेटा, सूचना तथा दस्तावेज नि0म0ले0प0 को उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार, नि0म0ले0प0 को मा0से0क0 आँकड़ों की ऐक्सेस डेटा डम्प उपलब्ध न कराना नि0म0ले0प0 डी0पी0सी0 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह तथ्य कि कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार और छत्तीसगढ़ ने मा0से0का0 डेटा लेखापरीक्षा से साझा करना शुरू कर दिया, यह दर्शाता है कि डेटा के साझाकरण की मा0से0क0 परिषद अथवा भारत सरकार की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.9.6 2013–14 से 2017–18 तक राजस्व का रुझान

वर्ष 2017–18 के दौरान गैर सम्मिलित/सम्मिलित करों सहित मू0सं0क0/के0बि0क0 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ₹ 31,436.89 करोड़ थीं और रा0मा0से0क0 प्राप्तियाँ (अग्रिम अंश जोड़ते हुये ए0मा0से0क0 अंश सहित) ₹ 25,373.96 करोड़ थीं। वर्ष 2017–18 के दौरान पिछले वर्ष 2016–17 के ₹ 52,664.47 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राप्तियाँ ₹ 56,810.85 करोड़ अर्थात् 7.87 प्रतिशत की वृद्धि थी। कर आधार भी 6,97,457 प्रव्रजित व्यापारियों से बढ़कर 13,30,281 व्यापारियों[28] का हो गया। यह इस अवधि के दौरान राजस्व में वृद्धि की व्याख्या करता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ **सारणी 3.13** में उल्लिखित हैं।

---

[26] पत्र सं0 एजी (ई एण्ड आरएसए), यूपी/सेक्रेट./2018–19/03 दिनांक 05.04.2018 द्वारा।

[27] पत्र सं0 ज्वाइंट कमिश्नर (आडिट)/2018–19/431/वाणिज्य कर दिनांक 21.05.2018 द्वारा।

[28] 11.06.2018 तक।

सारणी–3.13
राजस्व का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मू0सं0क0 एवं के0बि0क0 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	मा0से0क0 के अन्तर्गत अन्य सम्मिलित करों की प्राप्तियाँ[29]	रा0मा0से0क0 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	पूर्व वर्षों से प्राप्तियों में वृद्धि (प्रतिशत में)	प्राप्त मा0से0क0 मुआवजा	कुल प्राप्तियाँ
2013–14	39,645.45	509.36		40,154.81			40,154.81
2014–15	42,931.54	541.68		43,473.22	8.26		43,473.22
2015–16	47,692.40	745.76		48,438.16	11.42		48,438.16
2016–17	51,882.88	781.59		52,664.47	8.73		52,664.47
2017–18	31,112.52	324.37	25,373.96	56,810.85	7.87	2,124.00	58,934.85

(स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे)।

अपने उत्तर में विभाग ने बताया (सितम्बर 2019) कि 11 जून 2018 को कुल व्यापारी 13.30 लाख[30] थे जिसमें से जी0एस0टी0एन0 के प्रव्रजित 6.97 लाख व्यापारी थे तथा नये 6.33 लाख व्यापारी थे। इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि कर आधार में वृद्धि हुई है।

3.9.7 विभाग की अवस्थापना

3.9.7.1 कर्मचारियों की कमी

किसी संगठन के दक्ष प्रदर्शन के लिये, यह आवश्यक है कि कर विधियों एवं नियमों के संचालन एवं अनुश्रवण तथा सम्बन्धित प्रबन्धन हेतु इसमें अधिकारियों के साथ सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या हो। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा, विभाग के स्तर पर मानव संसाधनों की उपलब्धता की सीमा पर केन्द्रित थी।

यह देखा गया कि बहुत बड़ी मात्रा में अधिकारी और सहायक कर्मचारियों के संवर्ग में कमी थी जैसा कि **सारणी–3.14** में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी–3.14 मानवशक्ति की स्थिति

क्र0सं0	संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (2018–19)	कमी	कमी (प्रतिशत में)
1	अधिकारी	3,033	2,433	600	20
2	लिपिकीय	5,328	3,096	2,232	42
3	आशुलिपिक	1,302	722	580	45
4	संख्या संवर्ग	111	77	34	31
5	लेखापरीक्षक	91	26	65	71
6	लेखा संवर्ग	131	31	100	76
7	संग्रह संवर्ग	481	309	172	36
8	कम्प्यूटर संचालक	235	173	62	26

(स्रोतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि विभाग में छः सौ अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी थी जो कि स्वीकृत पद 3,033 की 20 प्रतिशत आती है। वैसे ही प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण और विश्लेषणात्मक कार्य के लिये संख्या, लेखापरीक्षा और लेखा संवर्ग महत्वपूर्ण हैं। तथापि, इन संवर्गों में क्रमशः 31, 71 और 76 प्रतिशत तक की कमी है। ठीक इसी तरह, कम्प्यूटर संचालकों के 26 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं।

मा0से0क0 दौर में संबद्ध कार्य प्रौद्योगिकी से संचालित है और कार्य का माहौल कागज रहित बनाना है। मा0से0क0 परिवेश में कर प्रबन्धन के उद्देश्य से आई0टी0 प्रशिक्षित अधिकारियों और विश्लेषकों की महत्ता की आवश्यकता है। प्रशासन और प्रवर्तन के उद्देश्य हेतु आवश्यक व्यवसायिक ज्ञान का प्रतिरूप विकसित करने के लिये संवर्गों के पुनर्गठन और आई0टी0 दक्ष कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है।

[29] आँकड़े मुख्य लेखा शीर्ष 0023 होटल प्राप्तियाँ, 0045 वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क से शामिल किये गये।
[30] 11 जून 2018 तक।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में कहा कि मा0से0क0 में आवश्यकतानुसार संवर्ग का पुनर्गठन किया जा रहा था। परन्तु, उन्होंने अपने कथन की पुष्टि करने के लिये लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

3.9.7.2 मनोरंजन कर के कर्मचारियों की तैनाती

मनोरंजन कर मा0से0क0 में सम्मिलित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप, मनोरंजन कर विभाग, जो कर का प्रबन्धन करता है का भी वा0क0वि0 के साथ विलय[31] (अप्रैल 2018) हो चुका है। लेखापरीक्षा ने पाया कि मा0से0क0 के कार्यान्वयन के नौ माह के पश्चात विलय पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिसूचित किया जा सका। इसके बाद भी, विभाग पूर्ववर्ती मनोरंजन कर विभाग के 131 अधिकारियों को वा0क0वि0 में उनकी नये काम पर तैनाती करने में विफल रहा क्योंकि जिलाधिकारियों ने मनोरंजन कर अधिकारियों को विविध कार्य सौंपे थे। जुलाई 2017 और फरवरी 2019 के मध्य इन अधिकारियों की स्थापना पर ₹ 21.15 करोड़ खर्च किये जा चुके थे। विभाग उनकी सेवाओं से वंचित रहा, जो कि अधिकारी संवर्ग में हुयी कमी को आसान कर सकते थे।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि पूर्ववर्ती मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्गों के पुनर्गठन का कार्य अभी भी प्रगति पर है तथा बताया कि कर्मचारियों को मनोरंजन कर के विविध कार्यो में लगाया गया था।

3.9.7.3 विभाग द्वारा मा0से0क0 दौर के लिये क्षमता निर्माण के प्रयास

मा0से0क0 के कार्यान्वयन के साथ ही वा0क0वि0 ने अपने अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 2017–18 के दौरान, कुल 2,920 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 2,537 मा0से0क0 में प्रशिक्षित किये गये थे। वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में वर्ष 2018–19 के दौरान, कुल 815 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 393 मा0से0क0 में प्रशिक्षित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 82 स्थानों पर सहायता केन्द्रों को स्थापित किया और 5,494 सेमिनारों को संचालित किया जिसमें 3,71,329 व्यक्तियों ने भाग लिया।

3.9.8 कानूनी/वैधानिक तैयारी

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 की अधिसूचना (मई 2017) जारी किया। अग्रेतर, राज्य में मा0से0क0 कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचनायें जारी किया गया। राज्य सरकार/वाणिज्य कर विभाग ने मा0से0क0 के सम्बन्ध में जून 2017 से मार्च 2019 तक, 189 अधिसूचनायें, 66 परिपत्रों को जारी किया।

3.9.9 ई–वे बिल प्रणाली

मा0से0क0 अधिनियम अधिनियमित होने के पूर्व, पुराने दौर के अन्तर्गत, निर्धारित दस्तावेजों/सूचनाओं से अनाच्छादित कथित रूप से अपंजीकृत व्यापारियों की इस प्रकार के वस्तुओं के राज्य के अन्दर और/राज्य से संक्रमण के दौरान करापवंचन की जाँच करने के लिये सचल दल इकाइयाँ (स0द0इ0) नियोजित थीं। असिस्टेंट कमिश्नर (सचल दल) इस प्रकार की स0द0इ0 के प्रभारी थे। उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी राज्य के अन्दर फर्जी दस्तावेजों से परिवहित की जा रही वस्तुओं की जाँच करना, तथा रेल और सड़क के द्वारा आयात की जा रही वस्तुओं की प्रभावशाली जाँच द्वारा कर अपवंचन रोकना। नेशनल इनफारमैटिक सेन्टर (एनआईसी), लखनऊ ने उत्तर प्रदेश से हो कर एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के लिये पारगमन पास/पारगमन घोषणा

[31] अधिसूचना सं0 624/11.03.2018–103/2017 दिनांक 24.04.2018 तथा 520/11.03.2018–13/2017 दिनांक 24.04.2018।

प्रपत्र (पा0घो0प्र0) जारी करने/डाउन लोड करने के लिये आवश्यक साफ्टवेयर विकसित किया। इस साफ्टवेयर ने वर्धित प्रबन्धन सूचना पद्धति (प्र0सू0प0) तथा स0द0इ0 को और अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करने की प्रतिवेदन क्षमता, कर अपवंचन पकड़ने में सहायता करने और परिणामस्वरूप बड़ा राजस्व संग्रहण उपलब्ध कराना था।

मा0से0क0 अधिनियम अधिनियमित होने के बाद, पा0घो0प्र0 पद्धति स्वतः अप्रचलित हो गयी। अग्रेतर, अखिल भारतीय स्तर पर 31 मार्च 2018 तक मा0से0क0 परिषद द्वारा कोई वैकल्पित व्यवस्था नहीं की गयी। माल के परिवहन के अनुश्रवण को मजबूती प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने अपना स्वयं का ई–वे बिल प्रारम्भ[32] किया (16 अगस्त 2017)। तथापि, मार्च 2018 तक प्रणाली स्थिर नहीं किया जा सका। इस अवधि (जुलाई 2017–मार्च 2018), में सिस्टम दो अवसरों[33] पर तथा कुल मिला कर 52 दिनों की अवधि के लिये, स्थगित रहा। इस प्रकार, जुलाई 2017 और मार्च 2018 के बीच, अखिल भारत स्तर पर करयोग्य माल ढ़ोने वाले वाहनों के संचलन के अनुश्रवण की पद्धति, जिससे कर अपवंचन का पता लगाना था, बहुत प्रभावशाली नहीं थी। राष्ट्रीय ई–वे बिल प्रणाली 1 अप्रैल 2018 से प्रारम्भ हुआ।

3.9.10 विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) की तैयारी

3.9.10.1 जी0एस0टी0एन0 द्वारा आई0टी0 की तैयारी

जी0एस0टी0एन0 का आई0टी0 प्लेटफार्म दो भागों में ''फ्रन्ट इन्ड'' एवं ''बैक इन्ड'' में विभाजित है। फ्रन्ट इन्ड कर दाताओं को यथा पंजीकरण, कर का भुगतान और विवरण जमा करना इत्यादि उपलब्ध कराता है। बैक इन्ड में कर कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के कार्य की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली आई0टी0 प्रणाली से सम्बन्धित जैसे कि पंजीकरण अनुमोदन, करनिर्धारण, लेखापरीक्षा एवं प्रवर्तन, न्यायनिर्णयन, वसूली और विश्लेषण होता है। मॉडल–I विकल्प का चयन करने वाले राज्यों और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क परिषद (के0उ0 एवं सी0शु0प0) के लिये बैक इन्ड एप्लीकेशन का विकास उनके द्वारा किया जाना था। मॉडल–II राज्यों के लिये, बैक इन्ड एप्लीकेशन का विकास जी0एस0टी0एन0 द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश ने मा0से0क0 के कार्यान्वयन के लिये, मॉडल–II विकल्प का चयन किया था, बैक इन्ड एप्लीकेशन जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाताओं के विवरण की दर्शिका, वापसी की प्रक्रिया और प्रबन्धन सूचना पद्धति (प्र0सू0प0) के प्रतिवेदन, इत्यादि मा0से0क0 प्रशासन के प्रयोजन के लिए जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित किया गया।

जी0एस0टी0एन0 ने इन्ट्रानेट पर एक पोर्टल बनाया है जिसके अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग (वा0क0वि0) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये, उनको अपने कार्य सीधे इस पर निष्पादित करने के लिये लागिन क्रिडेन्शियल बनाया गया है। वा0क0वि0 के लिये मा0से0क0 पोर्टल पर पंजीकरण और भुगतान, करदाताओ की सेवाओं से सम्बन्धित माड्यूल उपलब्ध हैं। प्र0सू0प0 प्रतिवेदन जैसे नामांकन प्रतिवेदनों, पंजीकरण प्रतिवेदनों, भुगतान प्रतिवेदनों एवं प्रतिदाय प्रतिवेदन भी उपलब्ध हैं। अधिकारी जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर इन्ट्रानेट जैसे विभाग के अपने निजी सुरक्षित नेटवर्क द्वारा एक्सेस करते हैं।

कर निर्धारण प्राधिकारियों को कुछ दायित्व रा0मा0से0क0 अधिनियम के अनुसार निष्पादित करना होता है। अपने दायित्व को निष्पादित करने के लिये, उनको जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर आधिकारिक अभिलेख, प्रतिदाय की प्रक्रिया, पंजीकरण, पंजीकरण अनुमोदन, पंजीकरण कार्यस्थल निरीक्षण, न्यायनिर्णयन/प्राधिकारी, डैशबोर्ड को देखना, प्र0सू0प0 प्रयोगकर्ता, एलयूटी (वचनबंध पत्र) की प्रक्रिया शिकायत की प्रक्रिया, देखने के लिये भूमिकाएं आवंटित की गयी।

---

[32] परिपत्र सं0 1028 दिनांक 27.07.2017।

[33] 01.07.2017 से 15.08.2017 तथा 02.02.2018 से 08.02.2018 तक।

जी0एस0टी0एन0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमिका के अनुसार, करनिर्धारण अधिकारियों को केवल अपने अधिकार क्षेत्र के व्यापारियों तक एक्सेस है।

लेखापरीक्षा ने जी0एस0टी0एन0 तथा आई0टी0 पद्धति की स्थिति तथा क्रियात्मकता पर वा0क0वि0 से सूचनाएं प्राप्त किया और निम्नलिखित रिक्तता/कमियाँ पायीः

(i) **करनिर्धारण प्राधिकारियों के साथ व्यापारियों की मैपिंगः** करनिर्धारण प्राधिकारियों के साथ प्रव्रजित व्यापारियों के मैपिंग का कार्य फरवरी 2019 तक पूर्ण हुआ जो खुद में मैपिंग के प्रक्रिया की देरी का खुलासा करता है। व्यापारियों पर सीमांकित क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति में करनिर्धारण प्राधिकारियों की दिन–प्रतिदिन की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग (सितम्बर 2019) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

(ii) **जी0एस0टी0एन0 प्रणाली में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) कार्यालयों को शामिल करने में विलम्बः** ज्वा0कमि0 (कार्पोरेट सर्किल) को विशिष्ट क्षेत्र के शीर्ष स्तर के व्यापारियों के करनिर्धारण की जिम्मेदारी दी गयी थी। परन्तु इन कार्यालयों को इस राज्य के जी0एस0टी0एन0 के मास्टर में जी0एस0टी0एन0 द्वारा केवल दिसम्बर 2018 में शामिल किया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन कार्यालयों के अधिकारियों ने, जी0एस0टी0एन0 पोर्टल का एक्सेस नहीं किया तथा ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिये दिसम्बर 2018 से समर्थ हो सके थे।

विभाग (सितम्बर 2019) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया ।

(iii) **जी0एस0टी0एन0 का अस्थिरीकरण तथा विभाग द्वारा आई0टी0 सम्बन्धी पहलः** जी0एस0टी0एन0 अभी भी अनुप्रयोग विकसित कर रहा है तथा मा0से0क0 के कार्यान्वयन के 22 माह[34] व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अस्थिर है। चूंकि, उत्तर प्रदेश मॉडल II राज्य है, जी0एस0टी0एन0 को सभी बैक इन्ड माड्यूल (करनिर्धारण, प्रतिदाय, प्रवर्तन आदि) विकसित करने की आवश्यकता थी। प्रारम्भिक रूप से जी0एस0टी0एन0 ने डेटा को समेकित स्वरूप में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया एवं विभाग को अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रतिवेदन विकसित करना था। प्रतिदाय माड्यूल अभी भी परिचालन में नहीं है। इसलिए, मा0से0क0 कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिये, विभाग की आई0टी0 शाखा ने कुछ पद्धतियाँ तथा माड्यूल[35] विकसित किये हैं।

विभाग ने लेखापरीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकार किया (सितम्बर 2019) और कहा कि प्रारम्भिक अवस्था में मा0से0क0 परिषद द्वारा कई बदलाव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप माड्यूल के स्थिरीकरण में विलम्ब हुआ, अनुप्रयोग एवं समाधान विकसित हो रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुप्रयोगों/समाधानों को विकसित किया जा रहा है और चलाया जा रहा है। मा0से0क0 प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है। समय–समय पर बाब वेब पोर्टल पर प्र0सू0प0 प्रतिवेदन उपलब्ध है। अब तक 51 प्र0सू0प0 प्रतिवेदन जी0एस0टी0एन0 द्वारा उपलब्ध करायी गई हैं। वर्तमान में प्रतिदाय की प्रक्रिया आनलाइन उपलब्ध नहीं है तथा करदाताओं का एचएसएन वार प्रतिवेदन जी0एस0टी0एन0 द्वारा अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

---

[34] अप्रैल 2019 तक।

[35] (i) व्यापारी अनुश्रवण पद्धतिः परिचालन विविध डैशबोर्ड के साथ एकल विन्डो, पंजीकरण की स्थिति, व्यापारियों की प्रोफाइल, दाखिल/न दाखिल करने की स्थिति, प्रतिदाय की स्थिति और वसूली की स्थिति, सूचनाओं/आदशों को अनुमन्य करना उपलब्ध कराता है। (ii) आनलाइन सचल दल प्रबन्धन पद्धतिः पद्धति विभाग के सचलदल इकाइयों की वास्तविक समय गतिविधियों के अनुश्रवण के लिये अनुमन्य करती है। विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) मामलों की करीब से निगरानी के लिये वि0अनु0शा0 प्रबन्धन पद्धति स्थापित है।

विभाग का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि जी0एस0टी0एन0 स्थिर नहीं हुआ है।

(iv) **वैधानिक कर्तव्यों के अनुसार भूमिका:** प्रारम्भिक अवस्था में विभाग नें विशिष्ट सवाल का उत्तर नहीं दिया कि क्या विभागीय अधिकारियों को उनके वैधानिक कर्तव्यों को निष्पादन करने के लिये निर्धारित की गयी भूमिका उनकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है।

विभाग ने अपने अन्तिम उत्तर (सितम्बर 2019) में कहा कि जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की भूमिका के कार्यान्वयन में समय लग सकता है।

विभाग ने अपने उत्तर में समय सीमा जिसमें इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी को इंगित नहीं किया।

इस प्रकार मा0से0क0 कार्यान्वयन के प्रारम्भिक अवधि के दौरान कर निर्धारण अधिकारियों के साथ व्यापारियों की मैपिंग में विलम्ब, ज्वा0कमि0 (कार्पोरेट) के कार्यालय दिसम्बर 2018 तक सृजन न होना और विभिन्न स्तर के करनिर्धारण अधिकारियों के लिये अलग अलग भूमिका उपलब्ध न कराना, आदि कारणों से वा0क0वि0 के अधिकारियों के लिये अपने दिन प्रतिदिन कार्यों को प्रभावशाली ढ़ंग से करना सम्भव नहीं था।

3.9.10.2 हार्डवेयर एवं नेटवर्क सुरक्षा की उपलब्धता

विभाग द्वारा (30 अप्रैल 2019) उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, विभाग ने सभी उपलब्ध 2,433 अधिकारियों[36] को 2,433 टर्मिनल और 4,064 अधीनस्थ कर्मचारियों[37] के बीच 3,051 टर्मिनल उनको अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिये आवंटित किये। जी0एस0टी0एन0 से सम्बद्ध सभी टर्मिनल/कम्प्यूटर, इन्ट्रानेट से, जैसे विभाग के निजी सुरक्षित नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं। जबकि वे, खुली इन्टरनेट लाइनों से भी जुड़े हैं जो नेटवर्क की सुरक्षा के साथ समझौता है और डेटा के लिये खतरा/भेद्यता की पर्याप्त गुंजाइश छोड़ता है।

विशेष सवाल के उत्तर में विभाग ने कहा कि टर्मिनलों/कम्प्यूटरों यूटीएम[38] फायरवाल गेटवे युक्ति द्वारा आवश्यक सुरक्षा नीति और प्रतिबन्धों के साथ सम्बद्ध हैं। विभाग ने अवांछित डेटा को प्रतिबन्धित करने और छानने तथा यातायात को रोकने के लिये एक्सेस नियंत्रण सूची लागू किया है तथा डेटा सुरक्षा नीति के लिये दिशानिर्देश जारी किये है, बाह्य ड्राइव को प्रतिबन्धित करने के लिये कदम उठाये और इस प्रकार के टर्मिनलों/कम्प्यूटरों की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एन्टीवाइरस डीएलपी[39] समाधान और फाइल एनक्रिप्शन विकसित किया गया।

विभाग द्वारा इस प्रकार के कदम उठाये जाने के बावजूद, कम्प्यूटरों/टर्मिनलों की जी0एस0टी0एन0 की सुरक्षित सीमा और साथ ही खुली इन्टरनेट लाइनों से संबद्धता नेटवर्क को आक्रमण हेतु भेद्य बनाता है।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में कहा कि यह नीतिगत मामले से सम्बन्धित है अतः कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है।

विभाग को इस तथ्य को ध्यान में रखने की आवश्कता है कि आई0टी0 पद्धतियाँ, जिन पर जी0एस0टी0एन0 डेटाबेस ऐक्सेस है उसे सुरक्षित होना चाहिये। जी0एस0टी0एन0 डेटा गोपनीय एवं गम्भीर प्रकृति के होने के कारण, असुरक्षित नेटवर्क से

---

[36] सभी कार्यकारी प्राधिकारियों एवं कर निर्धारण प्राधिकारियों।

[37] वरि0 प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, सहायक साख्यिकी अधिकारी, लेखाकार, कम्प्यूटर संचालक।

[38] यूनीफाइड थ्रीट मैनेजमेंट।

[39] डाटा लास प्रिवेंशन।

जी0एस0टी0एन0 डेटा को संचालित करने वाली आई0टी0 पद्धतियों के अनावरण से, डेटा की अखंडता, विश्वसनीयता और उपलब्धता के लिये गम्भीर खतरा हो सकता है।

3.9.11 जीएसटी का कार्यान्वयन

मा0से0क0 के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा महसूस किये गये मुख्य मुद्दे/चुनौतियाँ पंजीकरण, प्रव्रजन, करदाताओं के आबन्टन, विवरणियाँ दाखिल करना, कर का भुगतान, ट्रांजिशनल क्रेडिट, प्रतिदाय आदि हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से बनाये गये विनियमों तथा नियमों में परिवर्तनों के साथ इन मुद्दों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित प्रस्तरों में इन पर संक्षेप में चर्चा की गयी है:

3.9.11.1 करदाताओं का पंजीयन

किसी पूर्व–मा0से0क0 विधियों के अन्तर्गत पंजीकृत और वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक प्रत्येक व्यक्ति को अनन्तिम आधार पर पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाना था। तत्पश्चात निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर अन्तिम पंजीयन प्रमाणपत्र देना था। अग्रेतर, निर्धारित सीमा ₹ 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को मा0से0क0 के अन्तर्गत पंजीयन लेना था।

(i) वाणिज्य कर विभाग में विद्यमान करदाताओं का प्रव्रजन

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 24 के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, या विद्यमान विधि के अधीन पंजीकृत और स्थाई खाता संख्या रखने वाले इनपुट सेवा वितरक को, अपने ई–मेल पते और मोबाइल संख्या को विधिमान्यकृत करते हुये, सामान्य पोर्टल पर सीधे या कमिश्नर द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से नामांकित कराना होगा। नामांकित किये जाने पर, कथित व्यक्ति को अनन्तिम आधार पर पंजीयन प्रदान किया जायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसे अनन्तिम पंजीयन प्रदान किया गया हो, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित आवेदन पत्र विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, सामान्य पोर्टल पर तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यदि सूचना पूर्ण व सही पायी गयी तो, पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

किन्हीं विद्यमान विधियों में से किसी विधि के अधीन पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत किये जाने के लिये दायी नहीं है, अपने विकल्प पर स्वयं, को प्रदान किये गये पंजीयन के रद्दीकरण के लिये नियत तिथि से तीस दिन के भीतर, आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा, और उचित अधिकारी ऐसी जाँच संचालित करने के पश्चात जैसा कि वह उचित समझे, उक्त पंजीयन को रद्द कर सकेगा।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आधार पर, वाणिज्यकर विभाग में विद्यमान व्यापारियों का अनन्तिम और स्थायी रूप से पंजीयन की स्थिति **सारिणी 3.15** में दी गयी है।

सारणी 3.15
व्यापारियों का प्रव्रजन

विद्यमान मू0सं0क0 व्यापारियों की कुल संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अनन्तिम आईडी की कुल संख्या	प्रारम्भिक रूप से नामांकित व्यापारियों की संख्या (कालम–2 के सापेक्ष प्रतिशत)	व्यापारियों की संख्या जिन्हें पूर्ण रूप से नामांकन प्रदान किया गया था (कालम–3 के सापेक्ष प्रतिशत)	अन्तिम रूप से प्रव्रजित नहीं हुये व्यापारियों की संख्या
1	2	3	4	5
8,31,694	9,84,206	9,09,323 (92.39 प्रतिशत)	7,23,978 (79.62 प्रतिशत)	1,85,345 (20.38 प्रतिशत)

(स्रोतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

जी0एस0टी0एन0 से प्राप्त अनन्तिम आईडी विद्यमान मू0सं0क0 व्यापारियों की संख्या से 1,52,512 अधिक है जो यह इंगित करता है कि इसमें मू0सं0क0 के व्यापारियों के साथ साथ अन्य सम्मिलित कर भी शामिल हैं। कुल योग में से, 92.39 प्रतिशत विद्यमान व्यापारियों ने प्रारम्भिक पंजीयन पूर्ण करवा लिया है। यहाँ तक कि, जो प्रारम्भिक रूप से नामांकित थे, उनमें से मात्र 79.62 प्रतिशत प्रव्रजन तकनीक अपनाते हुये अन्तिम रूप से मा0से0क0 में पंजीकृत हुये। शेष 20,38 प्रतिशत व्यापारी प्रव्रजित नहीं हुये।

विभाग विभिन्न कारणों से प्रव्रजित न करने वाले व्यापारियों की संख्या पृथक रूप से उपलब्ध नहीं करा सका, जैसे कि–

(क) निर्धारित सीमा में वृद्धि,
(ख) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण,
(ग) करारोपण के दायी नहीं थे या मा0से0क0 में पूर्ण रूप से करमुक्त थे,
(घ) प्रव्रजन के योग्य थे पर इसके लिये आवेदन नहीं किये,
(ङ) वे जो अन्य किन्हीं कारणों से प्रव्रजित नहीं हुये।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि प्रव्रजित न होने वाले व्यापारियों की डाटा पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है। निर्धारित सीमा की वृद्धि ₹ 20 लाख तक हो जाने के कारण, मा0से0क0 से पहले और बाद के प्रव्रजित व्यापारियों की संख्या में वृद्धि अन्तर आया है जो कि स्वाभाविक है। कुछ वस्तुओं के मा0से0क0 में करमुक्त होने के कारण भी प्रव्रजन प्रभावित हुआ है जो कि पहले कर योग्य थीं और विलोमतः। विभाग के प्रयास के द्वारा ही कर आधार में वृद्धि हुई। यह बताया गया कि 31 अगस्त 2019 तक मा0से0क0 व्यापारियों की कुल संख्या बढ़कर 14.88 लाख हो गयी।

विभाग का उत्तर इंगित करता है कि वे 20.38 प्रतिशत विद्यमान करदाताओ के पूर्ववर्ती अधिनियम से मा0से0क0 व्यवस्था में प्रव्रजन न करने के कारणों का पूर्ण रूप से समाधान करने में सक्षम नहीं हैं।

(ii) केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

(क) वाणिज्य कर विभाग एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के विद्यमान पंजीकृत करदाताः

मा0से0क0 परिषद की अनुशंसा के अनुसार, ₹ 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले विद्यमान करदाताओं का, 90 प्रतिशत तथा ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले विद्यमान करदाताओं का, 50 प्रतिशत राज्य को आवंटित किये गये। तद्नुसार, 6,31,521 विद्यमान पंजीकृत करदाताओं (अप्रैल 2019) का अधिकार क्षेत्र राज्य को आवंटित किया गया जैसा कि विस्तृत व्यौरा **सारणी 3.16** में दिया गया है।

सारणी 3.16
केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

	विद्यमान पंजीकृत करदाता		योग
	₹ 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर	₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर	
राज्य	41,619	5,89,902	6,31,521
केन्द्र	41,621	65,547	1,07,168
योग	83,240	6,55,449	7,38,689

(स्रोतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा अप्रैल 2019 तक अद्यतनीकृत उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

(ख) नये करदाताः

मा0से0क0 पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से केन्द्र और राज्य के बीच नये पंजीकृत करदाताओं के अधिकार क्षेत्र का आवंटन करदाताओं द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन करने के दौरान किया जाता है। राज्य के अधिकार क्षेत्र में 31 मार्च 2018 को नये पंजीकृत व्यापारियों की स्थिति का विवरण **सारिणी 3.17** में दिया गया है।

सारणी 3.17
नये करदाता

31 मार्च 2018 तक प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
6,05,924	18,068	5,58,312	29,544

(स्रोतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा अप्रैल 2019 तक अद्यतनीकृत उपलब्ध कराई गयी सूचना)।

31 मार्च 2018 तक कुल, 29,544 आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर पंजीयन हेतु लम्बित थे।

3.9.11.2 विवरणी दाखिल करना एवं कर का भुगतान

उत्तर प्रदेश मा0 एवं से0 क0 नियमावली 2017 के नियम 59 से 61 तक के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल एवं सेवा या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर–1 में, माल एवं सेवा या दोनो की आवक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर–2 में एवं जीएसटीआर–3 में मासिक विवरण (जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–2 में भरे गये विवरण के आधार पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रणाली द्वारा तैयार) प्रस्तुत करेंगे, जबकि समाधान के करदाताओं को जीएसटीआर–4 में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना था। अग्रेतर, ₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटीआर–1 में त्रैमासिक रूप से विवरण दाखिल करना था।

नयी कर व्यवस्था के प्रारम्भिक अवस्था में करदाताओं के समक्ष उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये विवरणियों के दाखिल करने के निर्धारित तरीके में सुधार किया गया है। जीएसटीआर–2 व जीएसटीआर–3 को दाखिल करने को स्थगित कर दिया गया था तथा सभी करदाताओं को जीएसटीआर–3बी में एक साधारण मासिक विवरण अगले अनुवर्ती माह की 20 तारीख तक कर का भुगतान करते हुये प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया।

देय कर के भुगतान के पश्चात मासिक विवरण जीएसटीआर–3बी तथा त्रैमासिक विवरण जीएसटीआर–4 में प्रस्तुत करना था। अतः, करदाताओं द्वारा समयानुसार कर के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये इन विवरणियों की निगरानी जरूरी थी।

जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिये विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं (अप्रैल 2019) से यह ज्ञात हुआ कि प्रान्त में 8,07,861 पंजीकृत व्यापारियों में से, जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के लिये 5,95,631 करदाताओं को जीएसटीआर–3बी दाखिल करना था जिसके विरूद्ध 5,72,002 (96.03 प्रतिशत) व्यापारियों ने अपने मासिक विवरण जीएसटीआर–3बी दाखिल किये। शेष 23,629 करदाताओं ने अपने जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किये। अग्रेतर, 2,12,230 समाधान के व्यापारियों को अपने विवरण जीएसटीआर–4 में दाखिल करना था जिसके विरूद्ध केवल 1,96,738 (92.70 प्रतिशत) ने अपने त्रैमासिक विवरण दाखिल किये। इस प्रकार 15,492 समाधान के व्यापारियों ने अपने जीएसटीआर–4 दाखिल नहीं किये।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि विवरणी दाखिल न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्यालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियमित रूप से अनुदेश जारी करता रहा है। आगे यह भी बताया कि फील्ड अधिकारी विवरणी दाखिल न करने वालों की नियमित रूप से निगरानी करते रहे हैं, जिसके कारण विवरणी दाखिल करने की स्थिति तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में बेहतर है। यह भी अवगत कराया कि जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–4 सम्बन्धी विवरण दाखिल करने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। शत–प्रतिशत विवरणी दाखिल न किये जाने का मुख्य कारण विभाग ने बताया कि नये मा0से0क0 प्रणाली से व्यापारी अभी भी अवगत हो रहे हैं। मा0से0क0 पोर्टल के यूजर इन्टरफेस में आने वाली कठिनाइयों ने भी शत–प्रतिशत विवरणी दाखिले को प्रभावित किया। व्यापारियों की समस्याओं के संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा उसे ठीक किया जा रहा है। विवरणियों के दाखिले में

वृद्धि के लिये, विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करते हुये उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। मा0से0क0 के अधिनियमों और नियमावली के प्रावधानों के तहत् विवरणियाँ दाखिल न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती रही है।

विभागीय उत्तर से स्पष्ट होता है कि करदाताओं द्वारा विवरणियाँ दाखिल करने में, अन्तर विद्यमान है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.9.11.3 जी0एस0टी0एन0 पर अन्तर्राज्यीय आई0टी0सी0 के सत्यापन की कोई पद्धति नहीं

एक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति के लिये उस पर प्रभारित क्रेडिट टैक्स लेने का हकदार होगा जिसका उसके व्यापार के दौरान उपयोग किया जाता है। उक्त रकम ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाती है।

मालों/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के आधार पर आई0टी0सी0 अर्जित होता है। पंजीकृत व्यापारी के अन्तर्राज्यीय संव्यवहार की स्थिति में जहाँ आपूर्तिकर्ता दूसरे राज्य में पंजीकृत हों, उक्त संव्यवहार पर राज्य के कर निर्धारण प्राधिकारियों को ऐक्सेस की उपलब्धता नहीं है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा की गयी आई0टी0सी0 की शुद्धता पर निगरानी रखने के लिये इसका स्वतन्त्र सत्यापन आवश्यक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि करनिर्धारण प्राधिकारी के पास आई0टी0सी0 सत्यापन हेतु यदाकदा अनुरोध करने की स्थिति पर दूसरे राज्य के मा0से0क0 प्राधिकारियों द्वारा इस आशय हेतु उपलब्ध कराये गये सूचनाओं पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

अन्तर्राज्यीय आई0टी0सी0 सत्यापन के सम्बन्ध में, जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर ऐक्सेस न होने की स्थिति में वाणिज्य कर विभाग द्वारा अपने अधिकारियों के लिये इस आशय हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं बनाया गया है।

इस प्रकार अन्तर्राज्यीय आई0टी0सी0 सत्यापन के अभाव में आई0टी0सी0 के गलत दावों की सम्भावना हो सकती है, जिसका उपयोग देयकर के समायोजन अथवा अप्रयुक्त अवशेष इनपुट टैक्स क्रेडिट के वापसी के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार, सरकारी खजाने की क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि जीएसटीआर–01 व्यापारियों के द्वारा भरा जाता है। यद्यपि, जीएसटीआर–2 स्थगित है, विक्रेता के जीएसटीआर–01 की प्रविष्टियाँ प्राप्त करने वाले के जीएसटीआर–2ए में स्वतः प्रदर्शित होता है, जो कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आई0टी0सी0 प्रदान किये जाने से पहले सत्यापित किया जाता है।

विभागीय उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर–2 में व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली सूचनायें आई0टी0सी0 अर्जन की शुद्ध गणना हेतु आवश्यक है। एक बार आई0टी0सी0 की ग्राह्यता की जाँच हो जाये उसके बाद ही सही वापसी हो सकती है। अग्रेतर, दिनांक 26 जून 2019 के परिपत्र[40] से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में जी0एस0टी0एन0 द्वारा राज्य प्राधिकारी को अन्य राज्यों के व्यापारियों के अभिलेख देखने का एक्सेस प्रदान नहीं किया गया था। यहाँ तक कि, अब भी, जून 2019 से केवल वरिष्ठ अधिकारियों[41] को ही ''पूरे भारत वर्ष के अभिलेख'' देखने का अधिकार सब स्टेट एडमिन द्वारा कर के अपवंचन की जाँच के मामले सत्यापन तथा नये पंजीकरण मामले से पहले प्रारम्भिक जाँच के उद्देश्य के लिये प्रदान किया गया है।

---

[40] आईटी सब–स्टेट एडमिन/2019–20/678/1920028/वाणिज्य कर दिनांक 26 जून 2019।

[41] एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–I और II, ज्वा0कमि0 (कार्यपालक), ज्वा0कमि0 (टैक्स आडिट), ज्वा0कमि0 (एसआईबी), ज्वा0कमि0 (कार्पोरेट सर्किल), सचल दल, एसआईबी तथा खण्ड के अधिकारीगण।

संस्तुतिः

आई0टी0सी0 सत्यापन के नियमन हेतु विभाग उपयुक्त विधि और दिशा निर्देश तैयार करें।

3.9.12 विरासती मामले

लेखापरीक्षा में निर्धारण, बकाया वसूली तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरणों के विरासती मामलों को देखा गया। लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित खण्डों में संक्षेपित किया गया हैं।

3.9.12.1 मू0सं0क0 मामलों के निर्धारण

मा0से0क0 के कार्यान्वयन होने से पहले व्यापारी उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 एवं के0बि0क0 अधिनियम 1956 तथा अन्य लघु कर जैसे विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि के अन्तर्गत पंजीकृत रहे।

मा0से0क0 अवधि के पहले के सभी कर से सम्बन्धित कर निर्धारण तथा अन्य मामले वा0क0वि0 के अधिकारियों द्वारा ***व्यास***[42] सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर आनलाइन संभाला जाता रहा है। वर्ष 2016–17 के वादों के निस्तारण से सम्बन्धित वा0क0वि0[43] द्वारा जारी परिपत्र (अप्रैल 2019) के अनुसार, वर्ष 2016–17 के वादों के डीम्ड के रूप में आनलाइन चिन्हित किये जाने की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। ₹ 50 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के वादों को कर निर्धारण हेतु रिस्क पैरामीटर के आधार पर आनलाइन चिन्हित किया जाना था। यह 31 मई 2019 तक पूर्ण होना था। वर्ष 2016–17 के अन्य लम्बित वादों के कर निर्धारण पूर्ण किये जाने की अन्तिम तिथि व0क0वि0 द्वारा 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2017–18 (मू0सं0क0 अवधि– अप्रैल 2017 से जून 2017) के मू0सं0क0 कर निर्धारण पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि मू0सं0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2017–18 के मू0सं0क0 कर निर्धारण को पूर्ण करने की नियत तिथि मार्च 2021 है लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारियों को वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के वादों को वर्ष 2019–20 में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है।

3.9.12.2 घोषणा पत्रों के अनुश्रवण की कोई पद्धति नहीं

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (के0बि0क0), 1956 की धारा 6 एवं धारा 8 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी उत्तर प्रदेश प्रान्त के बाहर से टर्नओवर के दो प्रतिशत की कर की रियायती दर से विक्रेता व्यापारी को प्रारूप 'सी' में घोषणा पत्र जारी करते हुये माल खरीद सकता है।

अग्रेतर, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (के0बि0क0), 1956 की धारा 6ए के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी अपने व्यापार स्थल के किसी अन्य स्थान से प्रान्त के बाहर से या प्रान्त के बाहर अपने एजेन्ट या प्रिंसिपल से घोषणा पत्र 'एफ' जारी करते हुये बिना कर के भुगतान किये वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है।

फार्म 'सी' एवं 'एफ' विभाग से प्राप्त किये जाते हैं।

मा0से0क0 अधिनियमित होने के पश्चात के0बि0क0 अधिनियम की धारा केवल गैर–मा0से0क0 वस्तुओं पर लागू है जिसके लिये प्रपत्र विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

---

[42] वाणिज्य कर आटोमेशन प्रणाली– मू0सं0क0 वादों के वार्षिक कर निर्धारण की समय सीमा निर्धारित है इसलिये वर्तमान में पूर्व जीएसटी (मू0सं0क0) वादों के कर निर्धारण तथा अन्य कार्य यथा बकाया वसूली एवं वापसी आदि की कार्यवाही *व्यास* पर की जा रही है।

[43] सं0 सीसीटी/निरीक्षण अनुभाग/(2019–20)/1920006/54/वाणिज्य कर दिनांक 11 अप्रैल 2019।

चूँकि दोनों ही घोषणा पत्रों से काफी अधिक कर की रियायत/करमुक्ति का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुमन्यता से अधिक ऐसे प्रपत्र का उपयोग न कर लिये जायें।

मा0से0क0 कार्यान्वित होने के बाद की तिथि से विभाग के पास पड़े घोषणा प्रपत्रों का स्टाक, मू0सं0क0 व्यापारियों को जारी किया गया प्रपत्र तथा मू0सं0क0 व्यापारियों के पास अवशेष प्रपत्र से सम्बन्धी सूचनायें लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से माँगा गया। विभाग ने बताया कि ऐसे प्रपत्र अभी भी व्यापारियों को पूर्व मा0से0क0 संव्यवहारों के लिये जारी किये जा रहे हैं, मा0से0क0 पश्चात अवधि में मू0सं0क0 के पंजीकृत व्यापारियों के पास उपलब्ध प्रपत्र 'सी' और 'एफ' की समग्र सूचना उपलब्ध करा पाना विभाग के लिये सम्भव नहीं है।

इलाहाबाद[44] के दो खण्डों की समीक्षा से यह पता चला कि

(i) मू0सं0क0 व्यापारियों के पास पड़े शेष प्रपत्र से सम्बन्धी कोई डाटा बेस नहीं बनाया गया है।

(ii) कर निर्धारण प्राधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि मा0से0क0 के पश्चात व्यापारियों द्वारा खण्डों को प्रपत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

(iii) व्यापारियों के द्वारा प्रयुक्त किये गये प्रपत्रों की जाँच उनके द्वारा घोषित किये विवरणों से कर निर्धारण के समय ही केवल की जाती है।

इस प्रकार, व्यापारियों के द्वारा प्रयुक्त किये गये प्रपत्रों की कोई जाँच कर निर्धारण प्राधिकारी के स्तर पर नहीं की जाती है।

यह स्पष्ट रूप से व्यापारियों के पास अवशेष प्रपत्रों की संख्या अथवा उनके उपयोग सम्बन्धी सत्यापन के लिये विभाग में किसी तंत्र की कमी को इंगित करता है। इसके, परिणामस्वरूप घोषण पत्रों का गलत उपयोग हो सकता है, अग्रेतर, जिसका परिणाम बड़ी राशि की गलत रियायती कर/करमुक्ति हो सकता है।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2019) में बताया कि घोषणा प्रपत्र के स्टाक व डेटाबेस के रखरखाव की पुरानी व ठोस पद्धति है। नये प्रपत्र जारी करते समय पूर्व में प्रयुक्त घोषणा पत्रों का व्यौरा प्राप्त किया जाता है। अग्रेतर, टर्नओवर के निर्धारित सीमा से ऊपर के व्यापारियों को आनलाइन प्रपत्र जारी करने की व्यवस्था है।

विभाग की टिप्पणी अति सामान्य है तथा कोई विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया, उदाहरण के लिएः–

(i) जून 2017, मार्च 2018 तथा मार्च 2019[45] के अन्त में प्रिंटिंग प्रेस में कितने फार्म उपलब्ध थे, इसका कोई डेटाबेस विभाग के पास नहीं है।

(ii) उ0प्र0[46] के पंजीकृत मू0सं0क0 व्यापारियों के पास अभी भी कितने प्रपत्र अवशेष हैं इसका कोई डेटाबेस विभाग के पास नहीं है।

(iii) विभाग यह बता नहीं पा रहा था कि जून 2017 तक व्यापारियों के पास के अवशेष समस्त प्रपत्र उनके[47] द्वारा अभ्यर्पित किये गये की नहीं।

(iv) घोषणा पत्रों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में, विभाग ने बताया[48] कि कर निर्धारण के समय घोषणा पत्रों का व्यौरा प्राप्त कर मिलान कर सुनिश्चित किया जाता है कि इनका दुरूपयोग नहीं हुआ है।

---

44 खण्ड 7 एवं 10, इलाहाबाद।

45 विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

46 विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

47 विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत केवल ब्यौरे के आधार पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कि प्रपत्रों का दुरूपयोग नहीं हुआ है। कर निर्धारण से पूर्व माल और मूल्य जिसके लिये प्रपत्र जारी किया गया है, का सत्यापन अन्य प्रान्त के व्यापारियों की विवरणियों (प्रपत्रों के प्राप्तकर्ता) से किया जाना आवश्यक है।

(v) जून 2017[49] के बाद व्यापारियों द्वारा कितनी संख्या में प्रपत्र का मू0सं0क0 अवधि में उपयोग किया गया, विभाग के पास इसका कोई डेटाबेस नहीं है।

(vi) मा0से0क0[50] के उपरान्त के0बि0क0 में माल की नयी परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले माल की मा0से0क0 अवधि में संव्यवहार के लिये कितनी संख्या में फार्म जारी किये गये, इसका डेटाबेस विभाग के पास नहीं था।

विभाग उपरोक्त मामलों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करा सका, यह लेखापरीक्षा के अभिमत को स्पष्ट रूप से साबित करता है कि जारी प्रपत्रों के उपयुक्त सत्यापन व अनुश्रवण हेतु विभाग के पास तंत्र की कमी थी।

3.9.13 निष्कर्ष

सारांश में, मा0से0क0 को कार्यान्वित करने की तैयारी में विभाग अग्रणी था, जैसा कि मा0से0क0 परिषद द्वारा अनुमोदित मॉडल कानून के अन्तर्गत अधिनियम और नियमों को अधिनियमित करने में और विद्यमान करदाताओं के प्रारम्भिक नामांकन को संचालन करने वाले नियम, क्षमता निर्माण के प्रयास आदि में देखा जा सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मा0से0क0 परिषद की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से अधिनियमों/नियमों में बार–बार परिवर्तन किया गया जिसके कारण रा0मा0से0क0 के बहुत सारी निर्धारित क्रियाविधियाँ गैरकार्यान्वित रहीं।

जी0एस0टी0एन0 पूर्ण रूप से आई0टी0 समाधान उपलब्ध कराने में विफल रहा, परिणामस्वरूप कर निर्धारण प्राधिकारी अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी रूप से निष्पादित नहीं कर पाये।

जैसा कि जी0एस0टी0एन0 द्वारा वाणिज्य कर विभाग को अर्न्तराज्यीय व्यापारियों से सम्बन्धित अभिलेखों की ऐक्सेस उपलब्ध न कराने के कारण अर्न्तराज्यीय व्यापारियों के आई0टी0सी0 का सत्यापन विभाग द्वारा आनलाइन नहीं किया जा सका। गलत आई0टी0सी0 के दावों की सम्भावना, उसका देय कर के रूप में उपयोग तथा अप्रयुक्त आई0टी0सी0 के गलत चित्रण के कारण वापसी की माँग के निपटारे के रूप में उसका दुरूपयोग हो सकता है जिससे सरकारी खजाने की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता।

विरासती मामलों जैसे मा0से0क0 पूर्व के निर्धारण के समयबद्ध तरीके से शीघ्र निपटारे की आवश्यकता है जिससे कि मा0से0क0 पूर्व के लम्बित राजस्व की वसूली शीघ्रता पूर्वक किया जा सके और अधिकारी केवल मा0से0क0 पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

व्यापारियों के विलम्बित मैपिंग तथा जी0एस0टी0एन0 के अधूरे समाधान के कारण अधिकारियों के दैनिक कार्य बाधित हुये।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वा0क0वि0 अभी तक राज्य में मा0से0क0 लागू करने के लिये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था।

---

[48] विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

[49] विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

[50] विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2019।

अध्याय–IV: अन्य कर प्राप्तियाँ

(क) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0 अधिनियम), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के0मो0या0 नियमावली), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै0बा0रो0 अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै0बा0रो0 नियमावली), तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय में तीन अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19[2] सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है। संगठनात्मक ढाँचा का विवरण निम्न प्रकार है:

चार्ट 4.1 संगठनात्मक ढाँचा

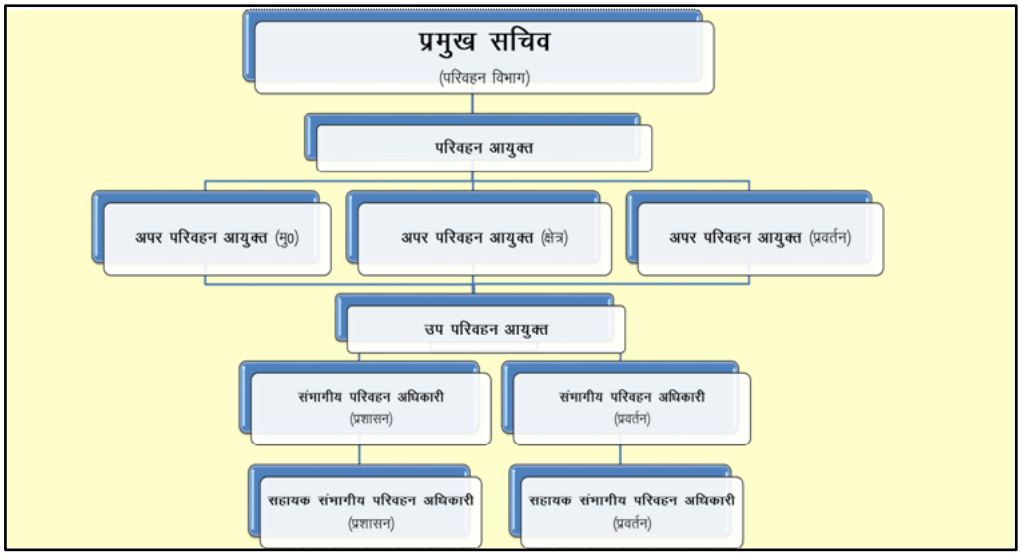

राज्य में 114 प्रर्वतन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं। मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल तैनात हैं। मुख्यालय स्तर पर एक अपर प0आ0 (प्रवर्तन) तथा मण्लीय[3] स्तर पर छः उप प0आ0 के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

2 आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

में 10 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जनपद स्तर पर तैनात हैं। प्रवर्तन प्रबंधन पर अपंजीकृत वाहनों/अतिभार वाहन/करापवंचन/राज्य में बिना वैध परमिट के, चालक अनुज्ञप्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र वाहन संचालन और प्रदूषण के मापदण्डों का लागू अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित अपराधों के जाँच करने का दायित्व है।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, **वाहन** को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और शुल्क का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया था। अतः विभाग के पास **वाहन** के रूप में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण यंत्र है। इस साफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। यद्यपि, नि0म0ले0प0 द्वारा विगत प्रतिवेदनों में उठाई गयी आपत्तियाँ इंगित करती है कि विभागीय प्राधिकारी इस प्रकार की विशिष्ट प्रतिवेदन का संज्ञान लेने में निरन्तर विफल रहे जिसके कारण वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के प्रकरणों की पुनरावृत्ति हुई।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 59[4] इकाईयों (78 प्रतिशत) में पंजीकृत 8,18,953 वाहनों में से 89,221 वाहनों (11 प्रतिशत) की नमूना जाँच की। नमूना जाँच के मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 35,895 वाहनों (40 प्रतिशत) के विरूद्ध अनियमितता सम्बन्धी धनराशि ₹ 37.60 करोड़ की है। विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में संग्रहीत सकल राजस्व ₹ 5,148.37 करोड़ में से, लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 4,199.31 करोड़ (82 प्रतिशत) संग्रहीत किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में कर के कम वसूली, अतिरिक्त कर एवं स्वस्थता शुल्क के अनारोपण, शास्ति के अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 37.60 करोड़ के धनराशि के 670 प्रस्तर प्रकाश में आये जैसा कि **सारणी–4.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी – 4.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	**कम वसूली** • यात्री कर/अतिरिक्त कर • मालकर	334	25.15	66.89
2.	**कर का अपवंचन** • यात्री कर/अतिरिक्त कर • मालकर	58	2.70	7.18
3.	**अन्य अनियमितताएं**[5]	278	9.75	25.93
योग		**670**	**37.60**	

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किये गये 14,640 मामलों में ₹ 17.79 करोड़ की धनराशि को विभाग (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ने स्वीकार किया गया। विभाग ने प्रतिवेदित (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) किया कि ₹ 19.85 करोड़ की

[4] एक प्रमुख सचिव, एक परिवहन आयुक्त, 13 स0प0अ0 एवं 44 स0स0प0अ0।

[5] 1. प्रक्रियात्मक खामियाँ।
2. विभागीय आदेशों के अनुपालन में विलम्ब।
3. नियमों के अनुसार प्रशमन न किया जाना।
4. सामान्य भविष्य निधि पासबुक एवं रोकड़ बही, आदि का रख–रखाव का न किया जाना।

वसूली की गयी जिसमें से 27 मामलों में ₹ 1.56 करोड़ वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है और अवशेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

इस अध्याय में ₹ 4.77 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 1,306 मामलों को निदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि विवरण **सारणी–4.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किये गये हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमनानुसार कार्य कर रही हैं।

सारणी – 4.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण	–	–	–	–	1,786	4.08	1,430	4.00	836	2.18	4,052	10.26
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया	–	–	248	19.20	464	30.36	805	35.69	210	1.95	1,727	87.20

संस्तुतियाँ:

1. **विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार–बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाए।**
2. **विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम उदग्रहण किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।**

4.3 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत अतिभार माल वाहनों पर शास्ति आरोपित नहीं की गयी

परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभार में निरूद्ध 913 माल वाहनों पर कैरिज बाई रोड (सी0बी0आर0) अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति ₹ 2.16 करोड़ भी आरोपित नहीं किया गया।

सी0बी0आर0 अधिनियम, 2007 अतिभार मोटर वाहनों (माल) पर मो0या0 अधिनियम के अधीन निर्धारित शास्ति के समान शास्ति का आरोपण इस तथ्य के होते हुए भी प्रावधानित करता है कि इस प्रकार के वाहनों से पहले ही यह शास्ति अधिरोपित एवं वसूल की जा चुकी है।

सी0बी0आर0 अधिनियम यह भी प्रावधानित करता है कि व्यापार में संलिप्त कोई अपंजीकृत सामान्य वाहक[6], अपराध के लिए अर्थदण्ड ₹ 4,000[7] प्रति अपराध से दण्डनीय होगा।

---

[6] सामान्य वाहक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो माल की रसीद पर माल वाहक द्वारा ढ़ोये जाने वाले माल के संग्रहण, भंडारण, अग्रेषण व वितरण के व्यवसाय में लिप्त हैं और जिसमें माल बुकिंग कम्पनी, ठेकेदार, अभिकर्ता, दलाल तथा कोरियर सेवा सम्मिलित हैं जो प्रपत्रों/माल/वस्तुओं को किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से सेवायें लेते हुए ऐसे प्रपत्रों, माल व वस्तुओं को दरवाजे–दरवाजे पहुँचाने में लिप्त हैं।

[7] उ0प्र0 अधिसूचना सं0 7/800/30–4–2014–172/89 दिनांक 05 जून 2014।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2014–15 से 2016–17 में सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत 4,052 अतिभार वाहनों पर शास्ति का आरोपण न किये जाने के कारण सतत् शासकीय राजस्व क्षति ₹ 10.26 करोड़ को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु, 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 59 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में से 50 स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2017 के दौरान, माल वाहनों के अतिभार के 13,398 में से 913 मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत वाहन स्वामियों/पट्टा धारकों पर ₹ 2.16 करोड़ की शास्ति[8] जो कि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित शास्ति की धनराशि के समतुल्य थी, के आरोपण में विफल रहे **(परिशिष्ट–XIV)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया गया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) में, विभाग ने बताया कि सी0बी0आर0 अधिनियम के अर्न्तगत जनपद मुजफ्फर नगर एवं मिर्जापुर में तीन वाहनों को प्रशमित कर ₹ 0.76 लाख शास्ति की वसूली की गई। विभाग ने अग्रेतर बताया कि अधिकतर वाहन जो लेखापरीक्षा प्रेक्षण में शामिल है केवल खदानों से खनिजों का परिवहन बाजार में बिक्री हेतु किये जा रहे हैं। यद्यपि ये वाहन, जो कि खनन विभाग में पंजीकृत है, को सी0बी0आर0 अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने की आवश्यकता को स्पष्ट नहीं करता। अतः प्रकरण पर खनन विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने दोनों भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा परिवहन विभाग के साथ एक गोष्ठी का आयोजन (अप्रैल 2019) किया, जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा संस्तुति की गयी कि लघु खनिजों का अतिभार करने वाले परिवहन वाहन भी असुरक्षित हैं, खनन पट्टा धारकों के परिवहन यानों को सी0बी0आर0 अधिनियम, 2007 के क्षेत्राधिकार के अधीन लाया जा सकता है। खनन विभाग उप खनिजों के परिवहन में लगे हुए वाहनों द्वारा भार–सहित एवं भार–रहित वजन से सम्बन्धित क्षेत्र जोड़कर एम0एम0–11 को डाउनलोड करने हेतु इन ऑन–लाइन आवेदनो को अद्यतन कर सकता है। एम0एम0–11 में सी0बी0आर0 पंजीयन संख्या का भी उल्लेख होना चाहिए।

विभाग ने दिनांक 12 अप्रैल 2019 के अपने उत्तर में, बताया कि समस्त प्रवर्तन दलों को सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य वाहकों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने के लिए आवश्यक आदेशों को जारी किया गया। जबकि लेखापरीक्षा का मत हैं कि उक्त उप खनिजों को ले जाने वाले सभी वाहनों को समावेशित नही करता है।

संस्तुतिः

परिवहन विभाग उप खनिजों को ढोने वाले अतिभार वाहनों को रोकने के लिए सी0बी0आर0 अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत परिभाषित सामान्य वाहक में पंजीकृत करें, ताकि ऐसे उप खनिजों के अतिभार परिवहन यानों को रोका जा सके।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग परिवहन विभाग के साथ परामर्श कर परिवहन विभाग द्वारा एम0एम0–11 के आधार पर सड़क पर संचालित अतिभार वाहनों को पकड़ने के लिए एक ऑन–लाइन पद्धति विकसित करें।

[8] न्यूनतम अर्थदण्ड दो हजार रुपये व एक हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि अतिभार के प्रति टन पर।

4.4 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 393 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2013–14 से 2016–17 में 1,727 चूककर्ता वाहनों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण ₹ 87.20 करोड़ की धनराशि को उजागर किया गया था। दिनांक 02 जुलाई 2018 (2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु) की गोष्ठी में लो0ले0स0 के द्वारा की गयी विवेचना के अनुसरण में ₹ 17.36 करोड़ की धनराशि विभाग द्वारा वसूली गयी है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु, 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 59 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में से तीन स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गों के साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के सूची की पुनः जाँच की, और यह देखा कि फरवरी 2016 से जुलाई 2017 तक तीन राज्य परिवहन उपक्रम (कानपुर नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड, लखनऊ नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड, और आगरा–मथुरा नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड) के अन्तर्गत 590 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों में से 393 बसें इन नगर निगमों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थी, जिसके लिए वे ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने इन जे0एन0एन0यू0 आर0एम0 बसों के मार्ग–सारणी की जाँच नहीं की, और इनको निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर जैसा कि नगर निगम द्वारा पारिभाषित किया गया है, संचालित होने पर संज्ञान लेने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि **सारणी–4.3** में वर्णित है।

सारणी–4.3

(₹ धनराशि में)

क्रम सं0	जनपद का नाम		रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की संख्या	बसों की संख्या जिसमें आपत्ति देखी गयी	अवधि (आरोपणीय अतिरिक्त कर)	कुल अतिरिक्त कर
1	स0प0अ0	कानपुर नगर	270	183	04/16 से 04/17	11518650
2	स0प0अ0	लखनऊ	260	180	04/16 से 06/17	12435750
3	स0स0प0अ0	मथुरा	60	30	02/16 से 07/17	2187000
योग			**590**	**393**		**26141400**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया गया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018), में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि अतिरिक्त कर की वसूली का मुद्दा पहले ही नगरीय परिवहन निदेशालय के अधिकारियों के साथ उठाया जा चुका था। हालांकि, वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2019)।

(ख): स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

4.5 कर प्रशासन

राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0 स्टा0 अधिनियम), निबन्धन अधिनियम, 1908 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों जैसे कि उत्तर प्रदेश में लागू है, के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के प्रमुख होते है। वह निबन्धन कार्य के प्रशासन तथा अधीक्षण हेतु अधिकृत है। म0नि0 की सहायता जिला/मुख्यालय स्तर पर 92 सहायक महानिरीक्षकों (स0म0नि0) तथा तहसील स्तर पर 355 उप निबन्धकों (उ0नि0) द्वारा की जाती है।

संगठनात्मक ढाँचे का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

सारणी–4.2 संगठनात्मक ढाँचा

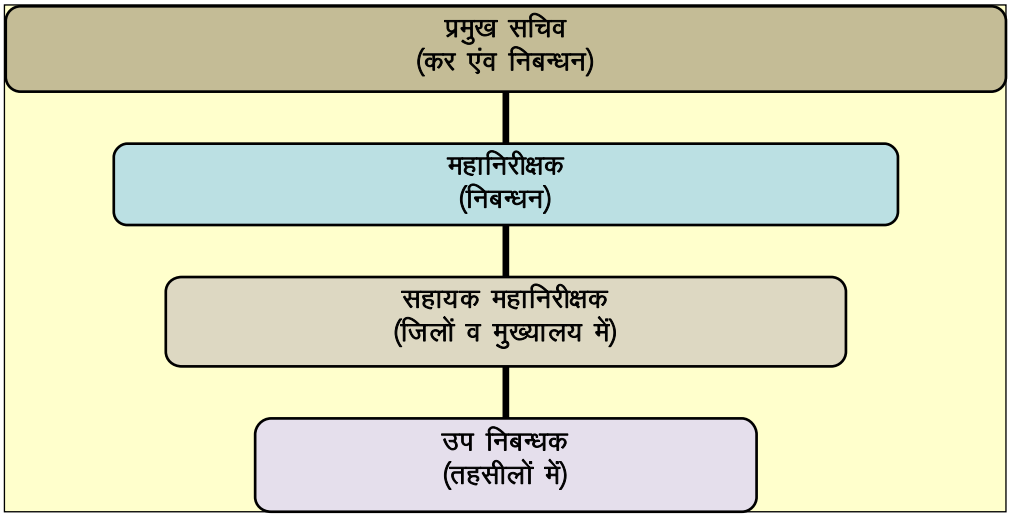

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 30,45,393 लेखपत्रों में से 2,78,192 लेखपत्रों (9 प्रतिशत) की नमुना जाँच में देखा गया कि 750 लेखपत्रों (0.30 प्रतिशत) में ₹ 35.77 करोड़ के धनराशि की अनियमितायें स्टाम्प एंव निबन्धन विभाग की 217[1] इकाईयों {355 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से (61 प्रतिशत)} में पायी गयी। विभाग ने 2016–17 के दौरान ₹ 11,564.02 करोड़ का राजस्व (स्टाम्प शुल्कः ₹ 6,540.84 करोड़ एवं निबन्धन फीस तथा अन्य प्राप्तियां ₹ 5,023.18 करोड़) संग्रहीत किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 8,136.52 करोड़ (70 प्रतिशत) संग्रहीत किया। लेखापरीक्षा ने 808 प्रस्तरों में ₹ 35.77 करोड़ की धनराशि की कमियों एंव अनियमितताओं को पाया जैसा कि **सारणी 4.4** में वर्णित है। यह 2017–18 के दौरान विभिन्न उप निबन्धक कार्यालयों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित है।

[1] एक प्रमुख सचिव, कर एंव निबन्धन लखनऊ व 216 उप निबन्धक।

सारणी– 4.4

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	40	0.92	2.57
2.	विलेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	665	27.03	75.57
3.	अन्य अनियमिततायें	103	7.82	21.86
योग		**808**	**35.77**	

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किए गए 270 मामलों में, ₹ 11.43 करोड़ की धनराशि को विभाग (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ने स्वीकार किया। विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) प्रतिवेदित किया कि 359 मामलों में ₹ 52 लाख की वसूली की गयी जिसमें से चार मामलों में ₹ एक लाख की वसूली वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है और शेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

इस अध्याय में ₹ 11.42 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 266 मामलों को निदर्शित किया गया है। इनमें से, कुछ अनियमितताऐं विगत पाँच वर्षो में बार–बार प्रतिवेदित की गयी है जैसा कि **सारणी–4.5** में वर्णित है (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित मामले)। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते है, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं हुए है। विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

सारणी– 4.5. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित मामले

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण का प्रकार	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	64	2.43	97	4.35	194	7.78	214	9.66	157	6.05	726	30.27

संस्तुतिः

विभाग को कमियों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों को रोका जा सके।

4.7 अधिनियमों/नियमों के अनुपालन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (भा0स्टा0 अधिनियम), निबन्धन अधिनियम, 1908 और उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 प्रावधानित करता हैः

(i) निबन्धन फीस का निर्धारित दर से भुगतान; और

(ii) निष्पादको द्वारा स्टाम्प शुल्क का निर्धारित दर से भुगतान।

विभागीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में विफलता को नीचे प्रदर्शित किया गया हैः

4.8 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

5.09 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 58.56 करोड़ में गलत ढंग से निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 256.09 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.42 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 परिभाषित करता है कि हस्तान्तरण विलेख पर उस विलेख में उल्लिखित मूल्य अथवा सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0), ने जून 2003 में जारी दिशानिर्देशों, में स्पष्ट किया था कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से एक ही आराजी[2] संख्या की सम्पत्ति को भिन्न उद्देश्यों के लिए एक से अधिक टुकडों अर्थात एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में नहीं बाँटा जाना चाहिए।

प्रेरणा [3] सॉफ्टवेयर में किसी खसरे में बिक्रीत भूमि का विवरण प्राप्त करने के लिए खसरा आधारित खोज की सुविधा उपलब्ध थी। तथापि, भूमि के विक्रय विलेख के निबन्धन पर स्टाम्प शुल्क को निर्धारित करते समय इस विशेषता का उपयोग उप निबन्धको द्वारा नहीं किया गया।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उ0नि0 द्वारा आवासीय भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से करने के कारण स्टाम्प शुल्क एंव निबन्धन फीस के कम आरोपण ₹ 30.27 करोड़ की धनराशि के 726 मामलों को प्रदर्शित किया गया (**सारणी 4.5** संर्दभित)।

विभाग द्वारा अपनाए गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु, लेखापरीक्षा ने 217 उप निबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) में से 120 लेखापरीक्षित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। 120 उ0नि0का0 की लेखापरीक्षा में देखा गया कि 266 (1,06,266 विक्रय विलेखों की जाँच में से) विक्रय विलेखों को कृषि दर पर किया गया। जाँच किये गये 266 विक्रय विलेखों में ₹ 58.56 करोड़ मालियत की 5.09 लाख वर्ग मीटर आवासीय भूमि को म0नि0नि0 के वर्ष 2003 के स्पष्टीकरण की अवहेलना करते हुए कृषि दर से निबन्धित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के रूप में मात्र ₹ 3.98 करोड़ ही आरोपित किया गया था। लेखापरीक्षा ने इन 266 मामलों में अग्रेतर देखा कि (उसी दिन, 12 मामलों में–₹ 0.86 करोड़ एक से 30 दिन के अन्दर, 73 मामलों में–₹ 2.36 करोड़, एवं 31 दिन से 2,167 दिन तक 181 मामलों में–₹ 8.20 करोड़) उसी आराजी का एक भाग पूर्व में, अथवा उसी दिन आवासीय दर से विक्रय किया गया था। अतः, प्रश्नगत भूमि का भी (बिक्रीत भूखण्डों के) मूल्यांकन ₹ 256.09 करोड़ की प्रचलित आवासीय दरों की मालियत से करते हुए ₹ 15.40 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के साथ ही प्रभारित किया जाना चाहिए था। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन तथा **प्रेरणा** सॉफ्टवेयर की विशेषता के कमतर उपयोग के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 11.42 करोड़ का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–XV)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान (14 नवम्बर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि दिनांक 05 जून 2003 के आदेश की समीक्षा की जायेगी और भविष्य में स्थल सत्यापन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करायी जायेगी। इस सन्दर्भ में शासन द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा (अक्टूबर 2018)। अग्रेतर, अपने उत्तर में, विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि प्रारम्भिक रूप से 286 मामलों में से, 20

---

[2] आराजी, खसरा और गाटा संख्या एक ही है जो किसी क्षेत्र में स्थित भूखण्ड की एक विशेष संख्या को दर्शाती है।

[3] निबन्धन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण हेतु **प्रेरणा** (सम्पत्ति मूल्यांकन और निबन्धन प्रायोज्यता) सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा 1 अगस्त 2006 से लागू किया गया।

मामले यथाविधि स्टाम्पित पाये गये। 39 मामलों में निहित धनराशि ₹ 48.52 लाख की धनराशि के वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किए जा चुके हैं जिसमें से ₹ 21.47 लाख की वसूली की गयी थी। शेष मामलों में, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

संस्तुतिः

स्टाम्प एंव निबन्धन विभाग को प्रेरणा सॉफ्टवेयर की उपलब्ध विशेषताओं का उपयोग करते हुए, जहाँ पर एक ही आराजी से भूमि की बिक्री आवासीय दर से एक निश्चित अवधि में की गयी हो की अनिवार्य भौतिक सत्यापन उप निबन्धक अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा कराने के बाद सम्पत्ति का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। जनपद स्तर, पर जिला खान अधिकारी देय एवं भुगतान योग्य रॉयल्टी, भाटक, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी है।

संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिखाया गया है:

चार्ट 5.1 संगठनात्मक ढाँचा

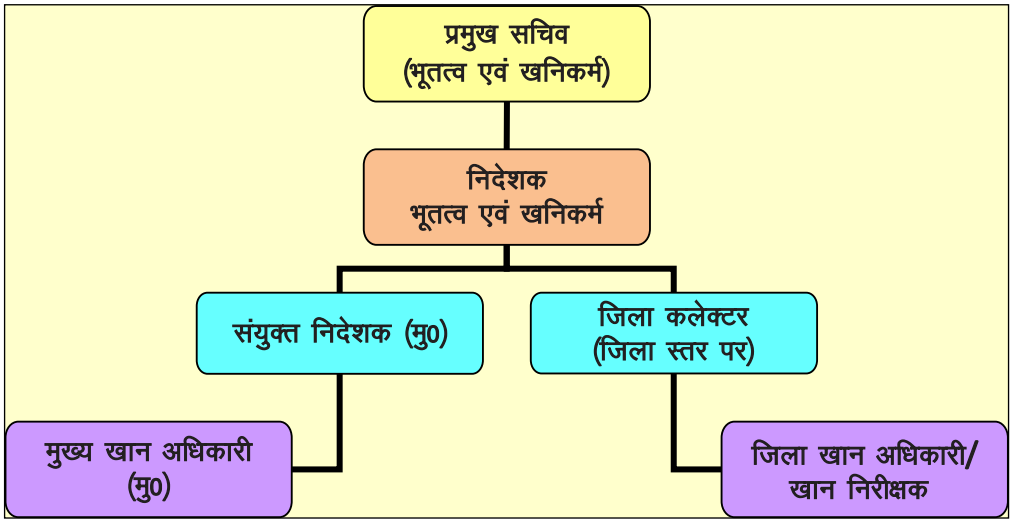

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कुल 24[1] [75 लेखापरीक्षा योग्य (32 प्रतिशत) में से] इकाइयों मे कुल 849 पट्टों में से 363 पट्टों (43 प्रतिशत) की नमूना जाँच की। कुल जाँच किये गये पट्टो में से, 148 (41 प्रतिशत) पट्टो में ₹ 226.65 करोड़ धनराशि की अनियमितता पायी गयी। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 1,548.39 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया गया था, जिसमें से लेखापरीक्षा में आच्छादित इकाइयों द्वारा ₹ 700.00 करोड़ (45.21 प्रतिशत) का संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियों के कारण ₹ 226.65 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 175 प्रस्तर प्रकाश में आये, जैसा कि **सारणी–5.1** में वर्णित है।

---

[1] प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, एवं जि.खा.अ. इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जे0पी0नगर, कानपुर नगर, कुशीनगर, महोबा, मिर्जापुर, पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र और सन्त रविदास नगर।

सारिणी – 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	रॉयल्टी न/कम वसूल किया जाना	47	15.10	6.66
2.	ब्याज/अर्थदण्ड का अनारोपण	16	3.46	1.53
3.	खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	34	71.24	31.43
4.	अन्य अनियमिततायें[2]	78	136.85	60.38
योग		**175**	**226.65**	

स्रोत : लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किये गये 945 मामले में ₹ 33.92 करोड़ धनराशि को विभाग ने स्वीकार (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) किया। विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) में प्रतिवेदित किया कि ₹ 8.99 करोड़ की वसूली पूर्व वर्षों से सम्बन्धित मामलों की है।

इस अध्याय में ₹ 45.21 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 1,053 मामलों को निर्देशित किया गया है। विभाग ने समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018), में कुल 1,053 निष्कर्षों में से 945 को स्वीकार किया। यद्यपि, स्वीकार किये गये मामलों में कोई भी वसूली लेखापरीक्षा को अभी तक (सितम्बर 2019) प्रतिवेदित नही की गयी। इनमें से कुछ, अनियमितताएं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया हैं जैसा कि **सारिणी–5.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग, की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नही किये गये है। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्ति करने के उद्देश्य से कर सकते है कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही है।

सारिणी–5.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण का प्रकृति	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	15	0.37	221	13.92	311	13.98	3,491	476.06	1,181	193.97	5,219	698.30
पर्यावरण मंजूरी (प.मं) के बिना खनिजों का उत्खनन	-	-	-	-	-	-	04	66.90	04	33.75	08	100.65
पर्यावरण मंजूरी (प.मं) के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन	-	-	-	-	-	-	2,909	66.80	1,131	62.27	4,040	129.07
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली न किया जाना	1,655	10.22	412	3.87	1,430	6.84	39	0.25	353	6.66	3,889	27.84
अपरिहार्य भाटक का कम/नही जमा होना	-	-	10	0.23	-	-	30	0.61	-	-	40	0.84

[2] राजस्व की वसूली की उचित निगरानी न किया जाना।
ई–टेण्डरिंग का अनुपालन न किया जाना।
पट्टेधारकों द्वारा अपरिहार्य भाटक का भुगतान न किया जाना।
कोषागारों से चालानों के सत्यापन न करने सम्बन्धी अनियमिततायें।
वसूली पत्रों की वसूली का न किया जाना।

संस्तुतियाँः

1. **विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार–बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाए।**
2. **विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम वसूली किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।**

5.3 परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

विभाग ने बिना वैध प्राधिकार के खनिजों के खनन के 334 मामलों में ₹ 26.27 करोड़ खनिज मूल्य के एवं उचित शास्ति सिविल कार्य के ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 अनुबन्धित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (एम0एम0–11[3]/प्रपत्र सी[4]) के किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम[5] अनुबन्धित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रॉयल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। सरकार द्वारा, अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में, यह दोहराया था, कि यदि ठेकेदार रॉयल्टी रसीद को प्रपत्र एम0एम0–11 या प्रपत्र सी में प्रस्तुत नहीं करता है तो रॉयल्टी के अलावा, खनिज का मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी और राजकोष में जमा किया जायेगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 2012–13 से 2016–17 में 5,219 ठेकेदारों से खनिज मूल्य ₹ 698.30 करोड़ की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व क्षेत्र को सतत् उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु, 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 22 जिला खान कार्यालयों (जि0खा0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। आठ जि0खा0का0 में यह देखा गया कि 16 अक्टूबर 2015 से पूर्व (06/2014 से 07/2015) 68 निर्माण कार्य एवं 16 अक्टूबर 2015 या उसके बाद (04/2016 से 01/2018) 266 निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओ के ठेकेदारों द्वारा कराये गये। कुल 334 मामलों (350 नमूना जाँच में से), में ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्य में खनिजों के प्रयोग के एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी ₹ 5.25 करोड़ की कटौती की और वैसे ही कोषागार में जमा कर दिया गया। सम्बन्धित जि0खा0का0, ने कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा रॉयल्टी की कटौती की जानकारी होने के बावजूद भी, खनिज मूल्य ₹ 26.27 करोड़ (16 अक्टूबर 2015 से पहले ₹ 1.51 करोड़ एवं 16 अक्टूबर 2015 के बाद ₹ 24.76 करोड़) की वसूली सुनिश्चित करने के लिये कार्यदायी संस्थाओ के समक्ष मुद्दा नही उठाया और इस मामले में कोई भी कार्यवाही करने में विफल रहे **(परिशिष्ट-XVI)**।

---

[3] खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास (रवन्ना)। इसमें पट्टे धारक का नाम और पता, उपखनिज की प्रकृति एवं मात्रा तथा इसे परिवहन किये जाने वाले वाहन का पंजीयन संख्या अंकित होता है।

[4] खनिजों की भंडारण के लाइसेंस धारक स्टोर से खनिजों के वैध परिवहन के लिये प्रपत्र सी में परिवहन प्रपत्र जारी करेगा।

[5] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (जुलाई 2017 से मई 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि 15 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना के बाद पहचाने गये मामलों में खनिज मूल्य (रॉयल्टी का पाँच गुना) की वसूली की जायेगी। हालांकि, उस अधिसूचना से पहले के मामलों में कोई वसूली नही की जा सकती क्योंकि उसके लिये कोई निर्देश मौजूद नहीं थे। 15 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना से पहले की अवधि से सम्बन्धित मामलों में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही है। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5) के तहत, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध प्राधिकार के किसी भी भूमि से खनिज उठाने पर खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। बिना वैध परिवहन प्रपत्र के खनिजों का परिवहन अवैध खनन की संभावना को इंगित करता है। इस प्रकार इस मामले की जाँच की जानी चाहिये और कार्यवाही की जानी चाहिये जहाँ खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन को स्थापित किया जाता है।

संस्तुतिः

खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है, और ऐसे खनिजों के परिवहन के लिये वैध एम0एम0–11 प्रपत्र है।

5.4 खनिजों के अनधिकृत उत्खनन

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि खनन संक्रियाएं इस अधिनियम, व इसके अधिन बने नियमो के अर्न्तगत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनो और शर्तो के अनुसार की जायेगी। अग्रेतर यह अनुबन्धित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से उठाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को वापस प्राप्त कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका हो, रॉयल्टी के साथ मूल्य वसूल कर सकता है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत, कुल रॉयल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य[6] के 20 प्रतिशत की दर से अनाधिक निर्धारित की गयी है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (प0सं0अ0) 1986 अनुबन्धित करता है कि जो भी इस अधिनियम के किन्ही प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या पालन करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक विफलता के लिये कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने, जो एक लाख रूपये तक बढ़ाई जा सकती है या दोनो से दण्डनीय होगा।

5.4.1 पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन

पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) में निर्धारित अनुमति से अधिक के उप खनिजों के उत्खनन पर दो पट्टाधारकों से अधिक उत्खनित खनिज मूल्य ₹ 1.66 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया (मई 2011 एवं मार्च 2012) कि खनन पट्टाधारक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प0 एवं व0मं0) से प0मं0 प्राप्त करेंगे। यदि कोई व्यक्ति प0मं0 में निर्धारित मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन करता है, तो यह अवैध खनन माना जायेगा जैसा कि पट्टे के अनुमोदन को नियंत्रित करने वाली आवश्यक शर्तो का उल्लंघन करते है। पट्टाधारक[7] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत वह रॉयल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड का दायी होगा।

---

[6] खनिमुख मूल्य का आशय है कि खनन स्थल पर या उत्पादन के बिदुं पर उप खनिज का बिक्री मूल्य।

[7] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार और पट्टे में निर्दिष्ट क्षेत्रों में खनन संक्रियायें करने के लिए अधिकृत व्यक्ति।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 से 2016–17 में आठ मामलों में बिना पर्यावरण मंजूरी के खनिजों के उत्खनन पर शासकीय राजस्व ₹ 100.65 करोड़ की धनराशि की सतत् क्षति को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने 2017–18 के दौरान कुल 22 जि0खा0का0 में से दो[8] जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी और देखा कि 30 (कुल 92 मामले) में से दो मामलों में पट्टाधारकों ने दिसम्बर 2013 एवं फरवरी 2018 के मध्य 0.35 लाख घनमीटर खनिजों (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन प0मं0 में उनके सम्बन्धित स्वीकृत मात्रा से अधिक किया गया एवं रॉयल्टी ₹ 0.33 करोड़ का भुगतान किया गया। प0मं0 में स्वीकृत मात्रा से अधिक के खनिजों का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी और न ही अवैध रुप से खनन खनिज मूल्य ₹ 1.66 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना) की धनराशि वसूली की गयी। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

5.4.2 खनन योजना का उल्लंघन

5.4.2.1 खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज का उत्खनन

खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.35 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत, स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं बालू अथवा मोरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो, नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी। निदेशक द्वारा एक बार अनुमोदित खनन योजना पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिये वैध होगी। खनन संक्रियायें विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिये। खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना का संशोधन भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन होना चाहिए।

विभाग द्वारा उपरोक्त के प्रवर्तन के मूल्यांकन के लिये, लेखापरीक्षा ने 2017–18 में जि0खा0अ0 महोबा के अभिलेखों की नमूना जाँच की, यह देखा कि एक पट्टाधारक (एकमात्र मामले की नमूना जाँच) ने दिसम्बर 2016 एवं अप्रैल 2017 के मध्य 0.45 लाख घन मीटर खनिजों (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक किया एवं ₹ 0.67 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया गया। खनिजों का अधिक उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी न ही खनिज मूल्य ₹ 3.35 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना) की वसूली की गयी। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिये पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

[8] बाराबंकी और सोनभद्र।

5.4.2.2 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

बिना खनन योजना के खनिजों के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.00 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

खनन योजना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से इस तरह तैयार किया जाना चाहिये कि यह उस क्षेत्र के विकास में सहयोग कर सके। यदि खनन संक्रियाएं बिना अनुमोदित खनन योजना के की जाती हैं तो विभाग का इनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं होगा और पट्टाधारक अधिक खनिजों का उत्खनन एक अवैज्ञानिक तरीके से कर सकता है जो खनिज संसाधनों, पर्यावरण सुरक्षा, जल स्त्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा एवं वायु और जल प्रदूषण की भी वृद्धि करेगा।

विभाग द्वारा उपरोक्त के प्रवर्तन के मूल्यांकन के लिये, लेखापरीक्षा ने 2017–18 में जि0खा0अ0 हमीरपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं देखा कि एक पट्टाधारक (एकमात्र मामले की नमूना जाँच) ने मार्च 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य 0.80 लाख घन मीटर खनिज (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन बिना किसी अनुमोदित खनन योजना के किया एवं रॉयल्टी ₹ 0.60 करोड़ का भुगतान किया। पट्टाधारक द्वारा उत्खनित खनिज की कुल मात्रा अनधिकृत थी और अवैध खनन का परिणाम थी। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी न ही खनिज मूल्य ₹ 3.00 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना), की धनराशि की वसूली की गयी। अग्रेतर, मौजूदा नियमों के उल्लंघन के लिये पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

5.4.3 बिना पर्यावरण मंजूरी प0मं0 के ईंट मिट्टी का उत्खनन

बिना पर्यावरण मंजूरी प0मं0 के संचालित 36 ईंट भट्ठों से ईंट मिट्टी की ₹ 1.77 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

प0 एवं व0मं0 ने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जून 2013 द्वारा ईंट मिट्टी के खनन को बी–2 श्रेणी[9] में श्रेणीबद्ध किया गया था, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण[10] (रा0प0प्र0मू0प्रा0) से प0मं0 प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2015–16 से 2016–17 के 4,040 मामले में बिना पर्यावरण मंजूरी के ईंट मिट्टी के उत्खनन पर शासकीय राजस्व ₹ 129.07 करोड़ की सतत् क्षति को उजागर किया गया था।

विभाग द्वारा उपरोक्त के प्रवर्तन के मूल्यांकन के लिये, लेखापरीक्षा ने 2017–18 में 22 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं देखा कि दो जि0खा0का0 में 2015–16 से 2016–17 में संचालित 72 ईंट भट्ठों में से 36 ईंट भट्ठों की जाँच में पाया गया कि बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित थे और रॉयल्टी ₹ 0.35 करोड़ का भुगतान किया। बिना पर्यावरण मंजूरी के ईंट मिट्टी का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी न ही खनिज मूल्य ₹ 1.77 करोड़ की वसूली की गयी। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिये प्रत्येक भट्ठाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया **सारिणी 5.3** में दर्शाया गया है:

---

[9] पाँच हेक्टेअर से कम क्षेत्र में ईंट की मिट्टी एवं साधारण मिट्टी के उत्खनन की गतिविधियों को महत्वपूर्ण प्रभावों की स्थानिक सीमा एवं मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभावों के आाधर पर बी–2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

[10] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित तीन सदस्य होंगे जो सम्बन्धित राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा नामित किये जायेंगे।

सारणी 5.3

							(₹ धनराशि में)
क्र0 सं0	**इकाई का नाम**	**वर्ष**	**ईंट भट्ठों की कुल संख्या**	**जाँच किये गये ईंट भट्ठों की संख्या**	**आपत्तिगत ईंट भट्ठों की संख्या**	**जमा रॉयल्टी**	**खनिज मूल्य**
1	जि0खा0अ0, हमीरपुर	2015–16	24	24	13	1337370	6686850
		2016–17	27	27	14	1427631	7138155
2	जि0खा0अ0, जालौन	2015–16	12	12	7	570600	2853000
		2016–17	9	9	2	203800	1019000
	योग		**72**	**72**	**36**	**3539401**	**17697005**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण 5.4.1, 5.4.2.1 5.4.2.2 एवं 5.4.3 को विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबबर 2017 एवं मई 2018 के मध्य)। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने बताया कि विगत लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सन्दर्भ में, शासन ने दिनांक 14 अगस्त 2017 की अधिसूचना के द्वारा उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 59 में संशोधन कर दिया जिसके द्वारा इस संशोधन की तिथि के बाद के मामलों में शास्ति आरोपित की जायेगी। अधिसूचना के पूर्व के मामलों में, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है जैसा कि कोई निर्देश मौजूद नहीं था। नियम 59 में संशोधन के पूर्व के मामलों में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। 2011–12 से, राज्य सरकार ने पर्यावरण मंजूरी की शर्तों को पट्टेधारकों द्वारा मानना बाध्य कर दिया, खनन की किसी शर्तों का उल्लंघन जैसे खनिजों का अधिक उत्खनन अवैध एवं खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली की जानी चाहिये थी। विभाग के पास उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 60[11] के अन्तर्गत उन समस्त मामलों की जाँच करने की असीमित शक्तियाँ हैं जहाँ पट्टेधारकों ने खनन पट्टों की शर्तों का उल्लंघन किया एवं उसके अनुसार कार्यवाही करें। इसका कोई साक्ष्य नही पाया गया कि किसी मामले का संज्ञान लिया गया अथवा कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी। अधिक उत्खनन एक अवैध खनन क्रिया थी। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकर्षित करता है।

संस्तुतिः

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि अवैध खनन रोकने के लिये ईंट की मिट्टी सहित खनिजों का उत्खनन बिना अपेक्षित पर्यावरण मंजूरी के न किया जाये।

5.5 ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

ईंट भट्ठा स्वामियों से 660 मामलों में रॉयल्टी ₹ 6.94 करोड़ एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 13.14 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी ए0मु0स0 योजना में विनिर्दिष्ट थे।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित ईंट भट्ठों के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ए0मु0स0यो0) के अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रॉयल्टी की समेकित धनराशि के भुगतान के लिये प्रावधानित करती है। ए0मु0स0यो0 रॉयल्टी, शुल्क या शासन को देय अन्य धनराशि के विलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रभारण भी प्रावधानित करती है। 2015–16 के ए0मु0स0यो0 में ईंट बनने

[11] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 60 में पहले से प्रावधान किया गया था कि पट्टे में निहित या समझे जाने वाले किसी भी नियमों या शर्तों एवं अनुबन्ध के अधीन किसी भी अपराध या उल्लंघन के मामले में जिला अधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिये पट्टेदार को काली सूची में डाला जा सकता है।

में प्रयुक्त होने वाली पलोथन[12] मिट्टी के लिए रॉयल्टी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आरोपित किया जाना था।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2012–13 से 2016–17 में 3,889 ईंट भट्ठों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 27.84 करोड़ वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व क्षति को उजागर किया गया था। केवल 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लो0ले0स0 में विचार विमर्श किये गये जहाँ विभाग द्वारा ₹ 3.78 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की गयी।

क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में अपने आश्वासनों का पालन किया, के मूल्यांकन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने 2017–18 के दौरान 22 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि 12 जि0खा0का0 में संचालित 2,835 में से 660 ईंट भट्ठों की नमूना जाँच में ईंट भट्ठा स्वामियों नें भट्ठा वर्ष[13] 2013–14 से 2016–17 तक कोई रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारी ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की न ही रॉयल्टी ₹ 6.94 करोड़ एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 13.14 लाख की वसूली करने का कोई प्रयास किया **(परिशिष्ट-XVII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य में सभी ईंट भट्ठा स्वामी दिये गये भट्ठा वर्ष में लागू ए0मु0स0यो0 के प्रावधानों का पालन करें। दोषी ईंट भट्ठा स्वामियों से बकाया रॉयल्टी वसूल किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

5.6 अपरिहार्य भाटक का नहीं/कम जमा होना

19 पट्टाधारकों ने पट्टा अवधि के लिये वसूलनीय अपरिहार्य भाटक ₹ 3.94 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.85 करोड़ जमा किया। विभाग ने कम जमा अपरिहार्य भाटक ₹ 2.09 करोड़ को वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली[14] के अन्तर्गत, खनन पट्टे का प्रत्येक पट्टाधारक प्रत्येक वर्ष द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दर से पट्टे के समस्त क्षेत्र के लिये सम्पूर्ण वर्ष के लिये अग्रिम में अपरिहार्य भाटक[15] का भुगतान करेगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2013–14 एवं 2015–16 में 40 पट्टे में अपरिहार्य भाटक कम/नहीं जमा होने से ₹ 0.84 करोड़ की धनराशि की सतत राजस्व क्षति को उजागर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 2017–18 के दौरान 22 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि छः जि0खा0का0 के 283 पट्टाधारकों में से 19 पट्टाधारकों ने फरवरी 2012 से नवम्बर 2017 के मध्य में अपरिहार्य भाटक की अवधि में देय धनराशि ₹ 3.94 करोड़ के सापेक्ष अपरिहार्य भाटक ₹ 1.85 करोड़ जमा किया था। यद्यपि पट्टा की पत्रावलियों में भुगतान के विवरण उपलब्ध थे। विभाग ने अपरिहार्य भाटक आरोपित

---

12 बलूई मिट्टी।

13 अक्टूबर से सितम्बर।

14 उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 72।

15 अपरिहार्य भाटकः खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि में पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में ऐसी धनराशि का किश्तों में अग्रिम रूप से भुगतान करेगा जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जाये।

एवं वसूली करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप अपरिहार्य भाटक ₹ 2.09 करोड़ कम जमा हुआ **(परिशिष्ट-XVIII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (नवम्बर 2017 से अप्रैल 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी (अगस्त 2019)।

लखनऊ
दिनांक 06 जनवरी 2020

(जयंत सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 21st January, 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

प्राप्तियों का रुझान
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 1.2.3)

(यह परिशिष्ट महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र का हिन्दी अनुवाद है)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उ0प्र0
''आडिट भवन,'' टी0सी0–35–वी0–1 विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010

एफ0सं0:म0ले0(आ0एवंरा0क्षे0ले0प0) / उ0प्र0 / म0ले0प्रकोष्ठ / 2018–19 / 97
दिनांकः 09.08.2018

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विषयः राजस्व अनुमानों के निर्धारण से सम्बन्धित बजट पत्रावलियों तक पहुँच।

महोदय,

कृपया उपरोक्त उद्धृत विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। राजस्व शीर्षों से सम्बन्धित बजट अनुमानों (ब0अ0) के निर्धारण हेतु वित्त विभाग द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रभावशीलता जानने के लिये इस कार्यालय ने वित्त विभाग से वर्ष 2016–17 की बजट पत्रावलियों को उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क किया था। यद्यपि इस कार्यालय के लेखापरीक्षकों की विभिन्न पृच्छाओं का उत्तर वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेखों एवं पत्रावलियों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. बजट फाइलों तक पहुँच के मुद्दे को हल करने के लिए अधोहस्ताक्षरी ने 23 जुलाई 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के साथ बैठक भी की थी। फिर भी विभाग ने प्रासंगिक पत्रावलियों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की थी। परिणामस्वरूप, यह कार्यालय वर्ष 2016–17 के लिए राजस्व शीर्षों से सम्बन्धित ब0अ0 को तैयार करने में अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं प्राप्त कर सका।

3. इस प्रकरण को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के कार्यालय को यथोचित रूप से सूचित किया गया। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने अब इस कार्यालय को सूचित किया है कि पत्रावलियों को प्रस्तुत न करने की वजह से 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस पर टिप्पणी करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यह आपकी जानकारी में लाया जा रहा है।

4. इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान के प्रावधानों एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0 एक्ट, 1971 की धारा 18(1)(ब) के अनुसार नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को अपनी जाँच से सम्बन्धित किसी भी अभिलेखों, लेखों एवं अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने का संवैधानिक अधिदेश प्राप्त है। अग्रेतर इस स्थिति को लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 के विनियम 181 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक इकाई ऐसी प्रणाली विकसित करे जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को आँकड़े, सूचना एवं अन्य अभिलेखों को निर्बाध रूप एवं समय से दे सके। अतः अभिलेखों का कोई भी अप्रस्तुतिकरण एक प्रणाली की मजबूती के लिए खतरे को उत्पन्न करता है, जिसे लेखापरीक्षा को सम्बन्धित अभिलेखों तक पहुँच की अनुमति देकर अंततः आसानी से रोका जा सकता है।

भवदीय

–ह0–
(सौरभ नारायन)
महालेखाकार

परिशिष्ट–I

दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 2.3)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच किये गये दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलम्ब से जमा प्रतिभूति जमा की अवधि दिनों में	समपहरण योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/ अनुज्ञापन शुल्क	समपहरण योग्य प्रतिभूति जमा	समपहरण योग्य कुल धनराशि
(i) 15 दिनों तक विलम्ब की अवधि										
1	जि0आ0अ0, बलिया	2016–17	देशी मदिरा	142	14	14	04 से 15	94,65,375	1,43,45,268	2,38,10,643
2	जि0आ0अ0, सीतापुर	2016–17	विदेशी मदिरा	73	73	6	03 से 07	36,12,500	5,88,500	42,01,000
		2017–18	विदेशी मदिरा	74	74	5	06 से 12	29,50,000	6,00,840	35,50,840
		2016–17	देशी मदिरा	357	357	10	03 से 07	55,27,125	1,10,60,324	1,65,87,449
		2017–18	देशी मदिरा	394	394	12	02 से 13	41,58,500	72,51,659	1,14,10,159
योग (i)				**1,040**	**912**	**47**	**02 से 15**	**2,57,13,500**	**3,38,46,591**	**5,95,60,091**
(ii) 15 दिनों से अधिक विलम्ब की अवधि										
1	जि0आ0अ0, अलीगढ़	2017–18	देशी मदिरा	204	13	13	76 तक	80,11,250	1,56,04,462	2,36,15,712
2	जि0आ0अ0, आजमगढ़	2015–16	देशी मदिरा	290	75	75	142 तक	4,02,22,500	4,22,42,141	8,24,64,641
		2015–16	विदेशी मदिरा	128	128	19	116 तक	55,67,500	7,95,230	63,62,730
*	जि0आ0अ0, बलिया	2017–18	देशी मदिरा	142	39	20	181 तक	1,30,00,250	1,98,52,868	3,28,53,118
3	जि0आ0अ0, एटा	2016–17	देशी मदिरा	186	79	79	327 तक	3,08,53,250	2,85,06,737	5,93,59,987
4	जि0आ0अ0, फैजाबाद	2017–18	देशी मदिरा	205	17	17	33 तक	16,48,900	27,78,487	44,27,387
5	जि0आ0अ0, फिरोजाबाद	2016–17	देशी मदिरा	142	32	10	33 तक	61,88,625	54,98,981	1,16,87,606
6	जि0आ0अ0, गाजीपुर	2016–17	देशी मदिरा	192	39	12	102 तक	52,37,125	69,44,893	1,21,82,018
7	जि0आ0अ0, कन्नौज	2016–17	देशी मदिरा	17	17	17	95 तक	1,25,40,000	93,40,209	2,18,80,209
8	जि0आ0अ0, लखीमपुर खीरी	2016–17	देशी मदिरा	257	11	11	201 तक	37,27,500	78,54,923	1,15,82,423
		2017–18	देशी मदिरा	264	10	10	76 तक	18,63,750	30,87,994	49,51,744
		2015–16	देशी मदिरा	253	9	9	201 तक	11,81,750	18,23,792	30,05,542
9	जि0आ0अ0, महामाया नगर	2017–18	देशी मदिरा	57	47	10	141 तक	1,22,38,750	1,34,07,224	2,56,45,974
		2016–17	देशी मदिरा	57	30	17	52 तक	1,01,90,250	88,95,222	1,90,85,472
10	जि0आ0अ0, महाराज गंज	2017–18	विदेशी मदिरा	52	25	2	136 तक	3,40,000	–.	3,40,000
		2017–18	देशी मदिरा	226	75	26	268 तक	87,24,750	78,80,479	1,66,05,229

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच किये गये दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलम्ब से जमा प्रतिभूति जमा की अवधि दिनों में	समपहरण योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/ अनुज्ञापन शुल्क	समपहरण योग्य प्रतिभूति जमा	समपहरण योग्य कुल धनराशि
11	जि0आ0अ0, प्रतापगढ़	2015-16	देशी मदिरा	219	9	9	255 तक	59,37,000	45,78,305	1,05,15,305
		2016-17	देशी मदिरा	224	17	17	115 तक	38,29,125	56,52,312	94,81,437
12	जि0आ0अ0, शाहजहांपुर	2017-18	देशी मदिरा	216	13	13	105 तक	46,02,375	11,44,464	57,46,839
13	जि0आ0अ0, उन्नाव	2017-18	विदेशी, मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप	162	162	60	48 तक	1,72,13,000	31,64,240	2,03,77,240
		2017-18	देशी मदिरा	318	318	221	48 तक	6,46,60,075	8,21,34,154	14,67,94,229
योग (ii)				**3,811**	**1,165**	**667**	**327 तक**	**25,77,77,725**	**27,11,87,117**	**52,89,64,842**
महायोग				**4,851**	**2,077**	**714**		**28,34,91,225**	**30,50,33,708**	**58,85,24,933**

*जि0आ0अ0 बलिया की पुनरावृत्ति हुई है।

स्रोत :लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–II
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 2.4)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (जि0आ0अ0)	वर्ष	प्रकरणों की कुल संख्या	जाँच किये गये प्रकरणों की संख्या	एफ0एल0–7 अनुज्ञापनों की संख्या (पायी गयी आपत्ति)	प्रत्येक एफ0एल0–7बी पर देय अनुज्ञापन शुल्क	अप्राप्त कुल अनुज्ञापन शुल्क
1	आगरा	2016–17	62	22	7	2,14,000	14,98,000
		2017–18	58	22	7	2,14,000	14,98,000
2	अलीगढ़	2016–17	7	7	1	2,14,000	2,14,000
		2017–18	8	8	2	2,14,000	4,28,000
3	बलिया	2016–17	2	2	2	1,48,000	2,96,000
		2017–18	3	3	3	1,48,000	4,44,000
4	बरेली	2017–18	26	25	13	2,14,000	27,82,000
5	चन्दौली	2016–17	2	2	1	1,48,000	1,48,000
		2017–18	2	2	1	1,48,000	1,48,000
6	जी0बी0नगर	2016–17	82	82	27	2,14,000	57,78,000
		2017–18	82	82	35	2,14,000	74,90,000
7	लखीमपुर खीरी	2015–16	5	5	3	1,34,000	4,02,000
		2016–17	5	5	3	1,48,000	4,44,000
		2017–18	5	5	3	1,48,000	4,44,000
8	पीलीभीत	2015–16	3	3	2	1,34,000	2,68,000
		2016–17	3	3	2	1,48,000	2,96,000
9	सम्भल	2015–16	3	3	3	1,34,000	4,02,000
		2016–17	3	3	3	1,48,000	4,44,000
10	उन्नाव	2017–18	1	1	1	1,48,000	1,48,000
योग			**362**	**285**	**119**	**32,32,000**	**2,35,72,000**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–III

मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 2.5)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अवधि	प्रकरणों की संख्या	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें आपत्ति पाई गई	नगर में उच्चतम् अनुज्ञापन शुल्क (भा0नि0वि0म0 + बीयर)	नगर में भा0नि0वि0 म0 एवं बीयर की दुकानों की उच्चतम् अनुज्ञापन शुल्क के अनुसार कुल अनुज्ञापन शुल्क	भा0नि0वि0म0 एवं बीयर की दुकानों की उच्चतम् अनुज्ञापन शुल्क के अनुसार कुल अनुज्ञापन शुल्क	प्रत्येक प्रकरण में वसूला गया अनुज्ञापन शुल्क	वसूला गया कुल अनुज्ञापन शुल्क	कम आरोपित अनुज्ञापन शुल्क
1	एटा	2016–17	3	3	2	22,40,000+7,15,000	29,55,000	59,10,000	24,45,000	48,90,000	10,20,000
		2017–18	3	3	2	22,40,000+7,15,000	29,55,000	59,10,000	24,45,000	48,90,000	10,20,000
2	गाजीपुर	2016–17	3	3	1	20,60,000+6,85,000	27,45,000	27,45,000	15,25,000	15,25,000	12,20,000
		2017–18	3	3	1	20,60,000+6,85,000	27,45,000	27,45,000	15,25,000	15,25,000	12,20,000
3	कन्नौज	2017–18	3	3	1	17,40,000+3,30,000	20,70,000	20,70,000	20,20,000	20,20,000	50,000
		2017–18			1	17,40,000+3,30,000	20,70,000	20,70,000	16,35,000	16,35,000	4,35,000
		2017–18			1	17,40,000+3,30,000	20,70,000	20,70,000	16,70,000	16,70,000	4,00,000
4	महाराजगंज	2016–17	1	1	1	15,55,000+5,45,000	21,00,000	21,00,000	18,22,000	18,22,000	2,78,000
		2017–18	1	1	1	15,55,000+5,45,000	21,00,000	21,00,000	18,22,000	18,22,000	2,78,000
5	शामली	2013–14	4	4	1	19,35,000+7,80,000	27,15,000	27,15,000	14,40,000	14,40,000	12,75,000
		2013–14			1	11,25,000+2,75,000	14,00,000	14,00,000	12,60,000	12,60,000	1,40,000
		2014–15	4	4	1	22,30,000+9,00,000	31,30,000	31,30,000	16,60,000	16,60,000	14,70,000
		2014–15			1	12,95,000+3,20,000	16,15,000	16,15,000	14,55,000	14,55,000	1,60,000
		2015–16	4	4	1	25,65,000+10,35,000	36,00,000	36,00,000	19,10,000	19,10,000	16,90,000
		2015–16			1	14,90,000+3,70,000	18,60,000	18,60,000	16,75,000	16,75,000	1,85,000
		2016–17	4	4	1	25,65,000+10,35,000	36,00,000	36,00,000	19,10,000	19,10,000	16,90,000
		2016–17			1	14,90,000+3,70,000	18,60,000	18,60,000	16,75,000	16,75,000	1,85,000
		2017–18	4	4	1	16,05,000+3,05,000	19,10,000	19,10,000	16,75,000	16,75,000	2,35,000
6	सीतापुर	2016–17	4	3	3	17,80,000+4,55,000	22,35,000	67,05,000	21,55,000	64,65,000	2,40,000
		2017–18	4	3	3	17,80,000+4,55,000	22,35,000	67,05,000	21,55,000	64,65,000	2,40,000
7	सोनभद्र	2016–17	1	1	1	13,50,000+4,00,000	17,50,000	17,50,000	15,76,000	15,76,000	1,74,000
	योग		**46**	**44**	**27**			**6,45,70,000**		**5,09,65,000**	**1,36,05,000**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–IV
कर की गलत दर का लगाया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.3)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तुओं का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डि0क0 खण्ड 10 वा0क0 आगरा	1	2013–14 (अगस्त 2016)	कैनवास फुटवियर	213.51	14	5	19.22
2	डि0क0 खण्ड 11 वा0क0 आगरा	1	2012–13 (जनवरी 2016)	कम्प्यूटर पार्ट्स	12.28	13.5	5	1.04
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	फायर इक्स्टिंग्विशर	20.49	14	5	1.84
3	डि0क0 खण्ड 13 वा0क0 आगरा	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	एडल्ट डाईपर	39.96	14	5	3.60
4	डि0क0 खण्ड 15 वा0क0 आगरा	1	2012–13 (मार्च 2016)	फुटवियर	55.00	13.5	3	5.78
5	डि0क0 खण्ड 16 वा0क0 आगरा	1	2012–13 (सितम्बर 2016)	कम्प्यूटर पार्ट्स	15.10	13.5	5	1.28
			2013–14 (दिसम्बर 2016)	कम्प्यूटर पार्ट्स	7.91	14	5	0.71
					2.27	14	5	0.20
6	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 अलीगढ़	1	2013–14 (मार्च 2017)	प्रोसेस्ड मीट	74.08	17.5	9	6.30
7	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 इलाहाबाद	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	कॉपर कन्डक्टर	10118.38	14	5	910.65
8	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 इलाहाबाद	1	2012–13 (जनवरी 2015)	कम्प्यूटर पार्ट्स	38.75	14	5	3.29
9	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 औरैया	1	2012–13 (जुलाई 2016)	कम्प्यूटर पार्ट्स	50.14	14	5	4.51
					17.49	13.5	5	1.49
10	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 बहराइच	1	2011–12 (मार्च 2015)	हैण्ड पम्प	65.69	5	0	3.28
			2012–13 (दिसम्बर 2015)	हैण्ड पम्प	34.42	5	0	1.72
11	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 बरेली	1	2012–13 (फरवरी 2016)	फोटोस्टेट मशीन	43.80	13.5	5	3.72
12	डि0क0 खण्ड 9 वा0क0 बरेली	1	2012–13 (मार्च 2015)	प्लाईवुड	16.20	14	5	1.46
13	असि0क0 खण्ड 5 वा0क0 फिरोजाबाद	1	2011–12 (फरवरी 2015)	पेन्ट एवं वार्निश	24.46	13.5	5	2.08
14	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (जुलाई 2016)	इलेक्ट्रानिक मीटर पार्ट्स	256.12	14	5	23.05
		1	2013–14 (जून 2016)	स्कूटर पार्ट्स	28.95	14	5	2.61
15	डि0क0 खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	स्वायल (मिट्टी)	390.29	5	0	19.51
16	डि0क0 खण्ड 6 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स	11.59	14	5	1.04
17	डि0क0 खण्ड 8 वा0क0 गाजियाबाद	1	2012–13 (फरवरी 2016)	मिल बोर्ड	31.53	13.5	5	2.68
		1	2013–14 (अगस्त 2016)	स्टार्च आधारित एडहेसिव पाउडर	20.93	14	5	1.88

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तुओं का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
18	डि0क0 खण्ड 10 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	मोबाइल चार्जर एवं बैटरी	16.03	14	5	1.44
		1	2013–14 (नवम्बर 2016)	रेलवे इंजन मशीनरी स्क्रैप	136.31	5	4	1.36
19	डि0क0 खण्ड 15 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	साइलेंसर	17.61	14	5	1.59
20	डि0क0 खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	कम्प्यूटर पार्ट्स	38.02	14	5	3.42
21	असि0क0 खण्ड 3 वा0क0 गोण्डा	1	2014–15 (जनवरी 2017)	मार्बल	24.63	14	5	2.22
22	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 गोरखपुर	1	2011–12 (अक्टूबर 2015)	मॉडम	54.89	13.5	5	4.67
23	असि0क0 खण्ड 8 वा0क0 गोरखपुर	1	2013–14 (मार्च 2016)	आयरन एवं स्टील, प्लास्टिक एवं अन्य वस्तु की बनी बकेट	166.49	5	4	1.66
24	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 झाँसी	1	2013–14 (जून 2016)	पुराने बैग	226.14	5	4	2.26
25	डि0क0 खण्ड 4 वा0क0 झाँसी	1	2012–13 (दिसम्बर 2015)	हारपिक टेबलेट	268.12	13.5	5	22.79
26	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 कानपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	रिफिल के टिप्स	305.87	14	5	27.53
27	डि0क0 खण्ड 16 कानपुर	1	2013–14 (जनवरी 2017)	डाईपर	40.27	14	5	3.62
28	डि0क0 खण्ड 21 वा0क0 कानपुर	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	टॉफी	33.20	14	5	2.99
29	डि0क0 खण्ड 22 वा0क0 कानपुर	1	2012–13 (जनवरी 2016)	पी0वी0सी0 हीट स्रिंक लीव्स	50.45	13.5	5	4.29
30	डि0क0 खण्ड 26 वा0क0 कानपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	डी0टी0एच0	48.46	14	5	4.36
31	डि0क0 खण्ड 29 वा0क0 कानपुर	1	2013–14 (फरवरी 2017)	वार्निश	15.27	14	5	1.37
32	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 कन्नौज	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	मशीनरी एवं मशीनरी स्पेयर पार्ट्स	24.01	14	5	2.16
			2013–14 (दिसम्बर 2016)	मशीनरी एवं मशीनरी स्पेयर पार्ट्स	1.38	14	4	0.14
33	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 कांशीराम नगर (कासगंज)	1	2012–13 (अगस्त 2015)	टॉफी	16.03	13.5	5	1.36
			2011–12 (दिसम्बर 2013)	टॉफी	17.66	13.5	5	1.50
34	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 लखीमपुर खीरी	1	2013–14 (जुलाई 2016)	पेस्टीसाइड	25.93	5	0	1.30
35	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	मॉडम	78.31	14	5	7.05
36	डि0क0 खण्ड 6 वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (जनवरी 2016)	कार्न फ्लेक्स	19.56	13.5	5	1.76

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तुओं का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
37	डि0क0 खण्ड 7 वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	मोबाइल ऐसेसरीज	84.64	14	5	7.62
			2012–13 (दिसम्बर 2015)	मोबाइल ऐसेसरीज	70.40	13.5	5	5.98
38	डि0क0 खण्ड 9 वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (फरवरी 2017)	कम्प्यूटर पार्ट्स	32.81	14	5	2.95
39	डि0क0 खण्ड 10 वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (जनवरी 2017)	डीमार्क मास गेनर / शक्तिप्राश / मसल बिल्डर	423.45	14	5	38.11
					9.52	14	5	0.86
40	डि0क0 खण्ड 13 वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (जनवरी 2017)	फूड सप्लीमेंट	41.08	14	5	3.70
41	डि0क0 खण्ड 17 वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (सितम्बर 2015)	प्लास्टिक, ग्लास के स्क्रैप	232.05	5	4	2.32
42	डि0क0 खण्ड 13 वा0क0 मेरठ	1	2012–13 (मार्च 2016)	कम्प्यूटराइज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट	56.40	13.5	5	4.79
		1	2012–13 (फरवरी 2016)	एस0टी0पी0 प्लाण्ट	12.50	13.5	5	1.06
43	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 मुरादाबाद	1	2008–09 (नवम्बर 2016)	वुड एवं टिम्बर	170.18	12.5	4	14.46
44	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 नोएडा	1	2013–14 (जुलाई 2016)	कम्प्यूटर / लैपटाप पार्ट्स	34.46	14	5	3.10
45	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0 नोएडा	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	टॉफी	77.76	14	5	7.00
		1	2012–13 (फरवरी 2017)	मॉडम	8.94	14	5	0.81
			2013–14 (फरवरी 2017)	मॉडम	10.62	14	5	0.95
46	डि0क0 खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	ए0सी0 पार्ट्स	13.52	14	5	1.22
47	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 रायबरेली	1	2011–12 (मार्च 2015)	डी0ए0पी0	188.35	4	0.69	1.10
48	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 शाहजहाँपुर	1	2010–11 (फरवरी 2016)	कम्प्यूटर पार्ट्स	38.45	13.5	5	3.27
49	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 सुल्तानपुर	1	2012–13 (फरवरी 2016)	मशीनरी एवं पार्ट्स	54.79	14	5	4.93
		1	2011–12 (जुलाई 2014)	सेट टॉप बाक्स	14.34	13.5	5	1.22
			2012–13 (जुलाई 2014)		10.48	13.5	5	0.89
			2013–14 (दिसम्बर 2016)		7.05	14	5	0.63
50	असि0क0 खण्ड 6 वा0क0 वाराणसी	1	2011–12 (अगस्त 2015)	आटो पार्ट्स	41.74	13.5	5	3.55
51	डि0क0 खण्ड 8 वा0क0 वाराणसी	1	2013–14 (फरवरी 2017)	फर्नीचर	14.77	14	5	1.33
योग		**58**			**14862.28**			**1235.63**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट-V

पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0) से अनाच्छादित माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	माल का नाम जो पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं है	क्रय की धनराशि	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0क0 खण्ड 16 वा0क0 आगरा	1	2013–14 (मार्च 2017)	जे0सी0बी0 मशीन	41.31	14	21.00	8.68
2	ज्वा0क0 (का0स0) वा0क0 इलाहाबाद	1	2013–14 (फरवरी 2017)	इण्डस्ट्रियल पेण्ट	11.72	13.5	20.25	2.37
		1	2010–11 (मार्च 2017)	प्रिण्टर स्कैनर	68.81	5	7.50	5.16
				इंक रिबन	5.17	13.5	20.25	1.05
3	असि0क0 खण्ड 2 वा0क0 चन्दौली	1	2011–12 (अक्टूबर 2015)	टी0एम0टी0 बार	162.94	4	6.00	9.78
				एयर कम्प्रेशर	5.39	13.5	20.25	1.09
				पॉलूशन कन्ट्रोल इक्विपमेंट	3.47	5	7.50	0.26
4	ज्वा0क0 (का0स0) I वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	पेट्रोल	2.40	26.55	39.82	0.95
5	डि0क0 खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	लैमिनेटेड टफेण्ड ग्लास, जनरेटर, एसएस पिलर रेलिंग	8.93	14	21.00	1.88
6	डि0क0 खण्ड 9 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	बिटुमिन	8.12	14	21.00	1.71
7	डि0क0 खण्ड 10 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (जून 2016)	ठण्डई	12.45	14	21.00	2.61
				सीरप	13.52	5	7.50	1.01
8	ज्वा0क0 (का0स0) वा0क0 मेरठ	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	प्रिण्टर	4.01	5	7.50	0.30
9	डि0क0 खण्ड 4 वा0क0 नोएडा	1	2013–14 (मार्च 2017)	आर0ओ0 मशीनरी के पार्ट्स, स्टेबलाइजर	7.92	14	21.00	1.66
10	डि0क0 खण्ड 10 वा0क0 नोएडा	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	वाटर चिलर	6.89	14	21.00	1.45
				एअर कूलर	1.09	13.5	20.25	0.22
11	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 शाहजहाँपुर	1	2013–14 (फरवरी 2017)	जनरेटर मशीनरी कम्प्रेशर प्लेट, एलीवेटर	46.05	14	21.00	9.67
12	ज्वा0क0 (का0स0) I वा0क0 वाराणसी	1	2013–14 (अगस्त 2016)	इलेक्ट्रिकल गुड्स एवं जनरेटर, रिम डावेल	258.67	13.5	20.25	52.38
				डावेल	1.89	14	21.00	0.40
13	डि0क0 खण्ड 8 वा0क0 वाराणसी	1	2012–13 (सितम्बर 2016)	हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन	10.29	14	21.00	2.16
योग		**14**			**681.04**			**104.79**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट -VI
व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.5.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	व्यापारी द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0	त्रुटिपूर्ण आई0टी0सी0 दावे का कारण	ब्याज की अवधि	आरोपणीय ब्याज
1	डि0क0 खण्ड 11 आगरा	1	2012–13 (दिसम्बर 2016)	0.71	स्टाक ट्रांसफर पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	01.10.2012 से 18.12.2016	0.45
2	डि0क0 खण्ड 13 आगरा	1	2013–14 (अप्रैल 2016)	4.59	डिस्काउन्ट की धनराशि पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	01.10.2013 से 30.04.2016	1.78
3	डि0क0 खण्ड 15 आगरा	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	1.45	करमुक्त माल पर आई0टी0सी0 का दावा किया जाना	01.10.2013 से 07.09.2016	0.64
4	डि0क0 खण्ड 18 आगरा	1	2013–14 (अगस्त 2016)	1.25	अधिक दावा	01.10.2013 से 20.08.2016	0.54
		1	2012–13 (अक्टूबर 2015)	3.26	अधिक दावा	01.10.2012 से 28.10.2015	1.50
5	ज्वा0क0 (का0स0) इलाहाबाद	1	2010–11 (मार्च 2017)	8.10	स्टाक ट्रांसफर पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	01.10.2010 से 31.03.2017	7.90
6	डि0क0 खण्ड 1 औरैया	1	2013–14 (जून 2016)	1.50	लुब्रीकेंट के अन्तिम रहतिया पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	21.02.2014 से 22.06.2016	0.53
7	डि0क0 खण्ड 2 औरैया	1	2010–11 (अगस्त 2016)	0.50	अधिक दावा	21.05.2010 से 24.08.2016	0.47
8	डि0क0 खण्ड 9 गाजियाबाद	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	0.73	आई0टी0सी0 का अनियमित दावा	21.05.2013 से 25.11.2016	0.39
9	डि0क0 खण्ड 14 गाजियाबाद	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	2.05	अधिक दावा	01.10.2013 से 29.10.2016	0.95
10	डि0क0 खण्ड 18 गाजियाबाद	1	2013–14 (जून 2016)	1.18	त्रुटिपूर्ण गणना के फलस्वरूप अधिक दावा	01.10.2013 से 30.06.2016	0.49
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	0.80	अधिक दावा	01.10.2013 से 30.09.2016	0.36
11	डि0क0 खण्ड 19 गाजियाबाद	1	2011–12 (मार्च 2015)	1.50	अधिक दावा	21.05.2011 से 31.03.2015	0.87
12	डि0क0 खण्ड 3 गोरखपुर	1	2013–14 (जनवरी 2017)	3.04	अधिक दावा	01.10.2013 से 11.01.2017	1.50
13	डि0क0 खण्ड 7 गोरखपुर	1	2009–10 (जून 2016)	3.72	डिस्काउन्ट पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	01.10.2009 से 03.06.2016	3.73
14	डि0क0 खण्ड 4 झांसी	1	2012–13 (नवम्बर 2015)	1.04	अधिक दावा	01.10.2012 से 09.11.2015	0.49

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	व्यापारी द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0	त्रुटिपूर्ण आई0टी0सी0 दावे का कारण	ब्याज की अवधि	आरोपणीय ब्याज
15	डि0क0 खण्ड 15 कानपुर	1	2013–14 (जुलाई 2016)	6.78	अधिक दावा	01.10.2013 से 22.07.2016	2.86
16	डि0क0 खण्ड 22 कानपुर	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	2.47	लुब्रीकेंट के अन्तिम रहतिया पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	21.02.2014 से 27.12.2016	1.06
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	2.61	लुब्रीकेंट के अन्तिम रहतिया पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	21.02.2014 से 20.09.2016	1.01
17	डि0क0 खण्ड 23 कानपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	1.00	अधिक दावा	21.05.2013 से 28.09.2016	0.50
18	डि0क0 खण्ड 26 कानपुर	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	1.03	लुब्रीकेंट के अन्तिम रहतिया पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	21.02.2014 से 09.10.2016	0.41
19	डि0क0 खण्ड 27 कानपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	4.23	अधिक दावा	21.05.2013 से 17.03.2017	2.43
20	डि0क0 खण्ड 29 कानपुर	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	2.27	लुब्रीकेंट के अन्तिम रहतिया पर आर0आई0टी0सी0 का न किया जाना	21.02.2014 से 03.12.2016	0.95
21	डि0क0 खण्ड 8 लखनऊ	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	3.61	अधिक दावा	01.10.2013 से 13.12.2016	1.74
22	डि0क0 खण्ड 20 लखनऊ	1	2012–13 (फरवरी 2016)	2.90	अधिक दावा	01.10.2012 से 16.02.2016	1.47
23	डि0क0 खण्ड 22 लखनऊ	1	2013–14 (मार्च 2017)	1.29	अधिक दावा	01.10.2013 से 21.03.2017	0.67
24	डि0क0 खण्ड 6 मेरठ	1	2013–14 (अगस्त 2016)	1.27	अधिक दावा	01.10.2013 से 20.08.2016	0.55
योग		**27**		**64.88**			**36.22**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–VII

माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.5.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	व्यापारी द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0	बिक्री पर कर	क0नि0प्रा0 द्वारा न की गयी आर0 आई0टी0सी0 की धनराशि	आरोपणीय ब्याज
1	ज्वा0क0 (का0स0) अलीगढ़	1	2011–12 (नवम्बर 2016)	71.51	30.25	41.26	31.86
2	डि0क0 खण्ड 13 इलाहाबाद	1	2012–13 (मार्च 2017)	74.71	71.89	2.82	1.89
3	डि0क0 खण्ड 9 बरेली	1	2013–14 (मार्च 2016)	14.31	13.04	1.27	0.48
4	डि0क0 खण्ड 1 फैजाबाद	1	2012–13 (मार्च 2016)	3.66	2.73	0.93	0.49
5	डि0क0 खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	21.73	20.58	1.15	0.52
6	डि0क0 खण्ड 4 गोण्डा	1	2013–14 (मार्च 2016)	76.60	47.66	28.94	10.86
7	ज्वा0क0 (का0स0) गोरखपुर	1	2012–13 (मार्च 2016)	32.45	30.11	2.34	1.22
8	डि0क0 खण्ड 3 गोरखपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	6.40	5.74	0.66	0.40
9	डि0क0 खण्ड 2 कानपुर	1	2013–14 (अप्रैल 2016)	100.69	99.95	0.74	0.28
10	डि0क0 खण्ड 21 कानपुर	1	2012–13 (मार्च 2016)	33.35	30.34	3.01	1.55
11	डि0क0 खण्ड 12 लखनऊ	1	2011–12 (मार्च 2015)	13.31	11.81	1.50	0.78
12	डि0क0 खण्ड 12 नोएडा	1	2012–13 (जनवरी 2016)	10.62	8.31	2.31	0.80
13	डि0क0 खण्ड 10 वाराणसी	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	27.14	25.64	1.50	0.68
योग		**13**		**486.48**	**398.05**	**88.43**	**51.81**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–VIII
मिथ्या/कपटपूर्ण आई0टी0सी0 का दावा
(संदर्भ प्रस्तर सं0 3.5.4)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	क0नि0प्रा0 द्वारा उत्क्रमित आई0टी0सी0 के मिथ्या दावा की धनराशि	आई0टी0सी0 दावा का संक्षिप्त विवरण	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0, आगरा	1	2012–13 (जून 2016)	3.76	खरीद असत्यापित	18.80
2	असि0क0 खण्ड 14 वा0क0, आगरा	1	2013–14 (अगस्त 2016)	0.36	खरीद असत्यापित	1..80
3	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0, अलीगढ़	1	2013–14 (अगस्त 2016)	18.73	खरीद असत्यापित	93.65
4	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0, बरेली	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	7.54	खरीद असत्यापित	37.70
5	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0, बस्ती	1	2012–13 (मार्च 2016)	0.27	खरीद असत्यापित	1.37
6	डि0क0 खण्ड 2, वा0क0, गाजियाबाद	1	2012–13 (मार्च 2016)	0.66	खरीद असत्यापित	3.30
7	डि0क0 खण्ड 7 वा0क0, गाजियाबाद	1	2011–12 (मार्च 2015)	0.39	खरीद असत्यापित	1.95
8	डि0क0 खण्ड 11 वा0क0, गाजियाबाद	1	2013–14 (जनवरी 2017)	0.27	खरीद असत्यापित	1.35
9	डि0क0 खण्ड 17 वा0क0, गाजियाबाद	1	2009–10 (अप्रैल 2013)	34.46	अस्तित्वहीन फर्म से खरीद	172.30
10	डि0क0 खण्ड 18, वा0क0, गाजियाबाद	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	0.25	अस्तित्वहीन फर्म से खरीद	1.25
11	डि0क0 खण्ड 19 वा0क0, गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	7.63	बिना टैक्स इनवाइस के खरीद	38.15
		1	2011–12 (मार्च 2015)	1.50	आगे ले आयी गयी आईटीसी का अधिक दावा	7.50
12	ज्वा0कमि0(का0स0)–II वा0क0, कानपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.97	अस्तित्वहीन फर्म से खरीद	14.85
13	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0, कानपुर	1	2013–14 (जुलाई 2016)	2.01	अस्तित्वहीन फर्म से खरीद	10.05
14	डि0क0 खण्ड 23 वा0क0, कानपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	1.00	आगे ले आयी गयी आईटीसी का अधिक दावा	5.00
15	ज्वा0क0(का0स0)–II वा0क0, लखनऊ	1	2013–14 (मई 2015)	17.15	गैर मू0सं0क0 गुड्स पर आईटीसी का दावा	85.73
16	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0, लखनऊ	1	2013–14 (मार्च 2017)	88.68	खरीद असत्यापित	443.40
17	डि0क0 खण्ड 11 वा0क0, मेरठ	1	2013–14 (मार्च 2017)	0.56	अस्तित्वहीन फर्म से खरीद	2.80
18	डि0क0 खण्ड 5, वा0क0, नोएडा	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	4.10	अस्तित्वहीन फर्म से खरीद	20.50
19	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0, शाहजहाँपुर	1	2014–15 (जुलाई 2016)	1.26	अस्तित्वहीन फर्म से खरीद	6.30
20	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0, शाहजहाँपुर	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	0.65	खरीद असत्यापित	3.25
योग		**21**		**194.20**		**971.00**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–IX

ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 3.6)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	जमा धनराशि	प्रतिवर्ष ब्याज की दर (प्रतिशत)	विलम्ब की अवधि दिनों में	आरोपणीय कुल ब्याज	व्यापारी द्वारा जमा ब्याज	कम/न प्रभारित ब्याज
1	डि0क0 खण्ड 9 वा0क0 आगरा	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	12.18	15	1096	5.49	0.00	5.49
2	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 इलाहाबाद	1	2010–11 (मार्च 2017)	366.42	15	1278 से 1397	195.70	0.00	195.70
3	डि0क0 खण्ड 7 वा0क0 इलाहाबाद	1	2012–13 (जून 2016)	3.50	15	1278	1.84	0.00	1.84
4	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0 इलाहाबाद	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	2.41	15	1101	1.09	0.00	1.09
5	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 औरैया	1	2012–13 (मार्च 2016)	2.31	15	1462	1.39	0.00	1.39
		1	2011–12 (जून 2016)	1.01	15	1873	0.78	0.00	0.78
			2013–14 (जून 2016)	1.94	15	1142	0.91	0.00	0.91
6	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 बाराबंकी	1	2013–14 (मार्च 2017)	3.46	15	1323	1.88	0.00	1.88
7	डि0क0 खण्ड 6 वा0क0 बरेली	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	3.68	15	1797	2.72	1.32	1.40
8	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 बस्ती	1	2008–09 (जुलाई 2013)	1.47	15	1472	0.91	0.00	0.91
9	असि0क0 वा0क0 (गुलावटी) बुलन्दशहर	1	2010–11 (जुलाई 2014)	7.27	15	32 से 1292	3.65	0.00	3.65
10	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 फिरोजाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	1.90	15	1340	1.05	0.00	1.05
		1	2013–14 (जनवरी 2017)	3.07	15	1170 से 1311	1.56	0.03	1.53
11	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	12.36	15	124 से 277	1.05	0.00	1.05
12	डि0क0 खण्ड 7 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	10.37	15	1371	5.71	0.00	5.71
13	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (अगस्त 2016)	50.71	15	39 से 68	1.06	0.00	1.06

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	जमा धनराशि	प्रतिवर्ष ब्याज की दर (प्रतिशत)	विलम्ब की अवधि दिनों में	आरोपणीय कुल ब्याज	व्यापारी द्वारा जमा ब्याज	कम/न प्रभारित ब्याज
14	डि0क0 खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	1	2012–13 (मार्च 2016)	2.52	15	1368	1.41	0.06	1.35
15	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 झांसी	1	2013–14 (मार्च 2017)	9.15	15	457 से 918	3.23	0.00	3.23
16	ज्वा0क0 (का0स0) II वा0क0 कानपुर	1	2013–14 (जुलाई 2016)	6.89	15	1030	2.92	0.00	2.92
17	डि0क0 खण्ड 27 वा0क0 कानपुर	1	2013–14 (मई 2016)	1.19	15	1013	0.50	0.00	0.50
			2012–13 (अक्टूबर 2015)	1.61	15	1143	0.76	0.00	0.76
18	डि0क0 खण्ड 29 वा0क0 कानुपर	1	2010–11 (फरवरी 2016)	13.45	15	1232 से 1255	6.91	0.00	6.91
			2013–14 (सितम्बर 2016)	4.14	15	1130	1.92	0.00	1.92
19	डि0क0 खण्ड 5 वा0क0 लखनऊ	1	2012–13 (जून 2016)	2.17	15	1406	1.25	0.00	1.25
20	डि0क0 खण्ड 5 वा0क0 मेरठ	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.31	15	1253	1.19	0.00	1.19
21	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 शाहजहाँपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	6.36	15	1518	3.97	0.00	3.97
22	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 शाहजहाँपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.67	15	1346	1.48	0.00	1.48
		1	2013–14 (नवम्बर 2016)	2.27	15	1507	1.41	0.00	1.41
23	असि0क0 खण्ड 2 वा0क0 सुल्तानपुर	1	2009–10 (दिसम्बर 2016)	1.00	15	2610	1.07	0.00	1.07
24	ज्वा0क0 (का0स0)–I वा0क0 वाराणसी	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	3.27	15	1218	1.64	0.00	1.64
25	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0 वाराणसी	1	2012–13 (फरवरी 2016)	12.92	15	267 से 1559	3.74	2.61	1.13
योग		**28**		**555.98**			**260.19**	**4.02**	**256.17**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–X
टर्नओवर का छिपाया जाना
(संदर्भ प्रस्तर सं0 3.7.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0क0 खण्ड 9 आगरा	1	2013–14 (अगस्त 2015)	स्वीट नमकीन एवं कोल्डड्रिंक्स आदि	6.50	0.51	1.53
2	डि0क0 खण्ड 11 आगरा	1	2011–12 (मार्च 2015)	एक्रिलिक सोलिड सरफेस शीट, फर्नीचर	6.00	0.81	2.43
3	डि0क0 खण्ड 12 आगरा	1	2013–14 (जून 2014)	स्वीट, नमकीन एवं कन्फैक्शनरी	10.00	0.86	2.58
4	डि0क0 खण्ड 13 आगरा	1	2012–13 (मार्च 2017)		23.00	1.15	3.45
5	डि0क0 खण्ड 19 आगरा	1	2013–14 (अगस्त 2015)	फुटवियर	70.00	8.72	26.16
6	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 अलीगढ़	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	एम एस इंगट	12.00	0.48	1.44
7	डि0क0 खण्ड 1 अलीगढ़	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	आयरन एण्ड स्टील	29.00	0.74	2.22
8	डि0क0 खण्ड 9 अलीगढ़	1	2012–13 (फरवरी 2015)	जनरल स्टोर गुड्स, बीड़ी एवं गुटका	7.00	0.62	1.86
		1	2013–14 (जून 2015)	स्वीट एवं नमकीन	48.00	2.40	7.20
9	डि0क0 खण्ड 5 इलाहाबाद	1	2013–14 (जुलाई 2015)	इलेक्ट्रानिक गुड्स	4.00	0.56	1.68
10	डि0क0 खण्ड 1 अम्बेडकरनगर	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	राइस एवं राइस ब्रान	14.00	0.58	1.74
		1	2014–15 (सितम्बर 2016)	सीमेंट, आयरन स्टील	18.65	0.92	2.76
11	डि0क0 खण्ड 1 अमरोहा	1	2012–13 (फरवरी 2015)	आयरन स्टील, पीवीसी पाइप	32.50	1.11	3.33
12	असि0क0 खण्ड नानपारा बहराइच	1	2013–14 (नवम्बर 2015)	शुगर	40.00	0.80	2.40
13	डि0क0 खण्ड 4 बाराबंकी	1	2011–12 (अप्रैल 2013)	ह्वीट (गेहूँ)	8.40	0.34	1.02
14	डि0क0 खण्ड 1 बिजनौर	1	2011–12 (मार्च 2015)	सीमेंट	2.55	0.40	1.20
		1	2013–14 (फरवरी 2016)	सरिया एवं सीमेंट	3.70	0.44	1.32
15	डि0क0 खण्ड गुलावटी बुलन्दशहर	1	2013–14 (जून 2014)	वेजीटेबल घी, रिफाइण्ड ऑयल	15.00	0.75	2.25
16	असि0क0 खण्ड 3 चन्दौली	1	2009–10 (अक्टूबर 2016)	राइस एवं राइस ब्रान	31.00	1.25	3.75

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	आरोपणीय अर्थदण्ड
17	डि0क0 खण्ड 1 चन्दौसी	1	2013–14 (फरवरी 2015)	मेंथाल, डी0एम0ओ0	22.00	1.10	3.30
		1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	सीमेन्ट, सरिया, ब्रिक्स एवं सैण्ड	1.67	0.44	1.32
18	ज्वा0क0(का0स0) II गाजियाबाद	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	क्राफ्ट पेपर	6.00	0.30	0.90
19	डि0क0 खण्ड 8 गाजियाबाद	1	2013–14 (फरवरी 2017)	स्वीट, नमकीन काजू एवं पिस्ता	30.00	2.40	7.20
20	डि0क0 खण्ड 11 गाजियाबाद	1	2013–14 (जून 2015)	प्लास्टिक चेयर	18.00	2.52	7.56
21	डि0क0 खण्ड 15 गाजियाबाद	1	2011–12 (फरवरी 2017)	मेटल स्क्रैप	13.32	0.67	2.01
22	डि0क0 खण्ड 17 गाजियाबाद	1	2011–12 (सितम्बर 2015)	आयरन एवं स्टील	26.00	0.65	1.95
23	ज्वा0क0(का0स0) गोरखपुर	1	2014–15 (जून 2016)	गोल्ड, सिलवर एवं डायमण्ड	200.00	2.00	6.00
24	डि0क0 खण्ड 1 गोरखपुर	1	2013–14 (नवम्बर 2015)	टी, काफी	20.00	1.18	3.54
25	डि0क0 खण्ड 3 गोरखपुर	1	2013–14 (मार्च 2016)	राइस एवं राइस ब्रान	15.00	0.61	1.83
26	असि0क0 खण्ड 7 गोरखपुर	1	2008–09 (जून 2016)	ह्वीट एवं राइस	4.30	0.17	0.51
27	असि0क0 खण्ड 6 जौनपुर	1	2013–14 (अगस्त 2015)	सीमेंट	4.00	0.62	1.86
28	डि0क0 खण्ड 2 कन्नौज	1	2010–11 (जून 2014)	फूडग्रेन्स एवं आयल सीड्स	10.20	0.41	1.23
		1	2011–12 (जनवरी 2014)	प्लास्टिक बॉटल	20.00	1.00	3.00
		1	2012–13 (मई 2015)	रॉ टोबैको	8.00	0.40	1.20
		1	2013–14 (मई 2015)	बीड़ी	8.00	1.12	3.36
29	डि0क0 खण्ड 3 कानपुर	1	2013–14 (जनवरी 2017)	स्टील रैक	8.20	1.15	3.45
		1	2014–15 (अप्रैल 2016)	स्वीट, नमकीन, कोल्डड्रिंक्स, कन्फैक्शनरी	33.00	1.92	5.76
30	डि0क0 खण्ड 8 कानुपर	1	2011-12 (फरवरी 2015)	टर्मरिक	22.00	1.10	3.30
31	डि0क0 खण्ड 15 कानपुर	1	2013–14 (नवम्बर 2015)	रेडीमेड गारमेंट्स	12.00	0.60	1.80
32	डि0क0 खण्ड 16 कानपुर	1	2011–12 (जून 2015)	नमकीन एवं स्वीट	1.00	0.07	0.21

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	आरोपणीय अर्थदण्ड
33	डि0क0 खण्ड 20 कानुपर	1	2009–10 (फरवरी 2014)	नमकीन एवं स्वीट	16.39	2.12	6.36
34	डि0क0 खण्ड 27 कानपुर	1	2012–13 (अगस्त 2016)	पेपर	26.72	1.34	4.02
35	डि0क0 खण्ड 28 कानपुर	1	2014–15 (जून 2016)	टायर एवं ट्यूब्स	15.00	2.33	6.99
36	असि0क0 खण्ड 1 कांशीराम नगर (कासगंज)	1	2013–14 (फरवरी 2017)	पेवर्स, ब्रिक्स	5.68	0.79	2.37
37	डि0क0 खण्ड 2 कांशीराम नगर (कासगंज)	1	2013–14 (जुलाई 2014)	स्वीट, जूस, फास्ट फूड एवं कोल्डड्रिंक्स आदि	3.00	0.20	0.60
			2015–16 (अगस्त 2016)	स्वीट, जूस, फास्ट फूड एवं कोल्डड्रिंक्स आदि	1.91	0.18	0.54
38	असि0क0 खण्ड 1 खतौली	1	2013–14 (फरवरी 2015)	स्वीट, टी, नमकीन, कोल्डड्रिंक्स एवं बिस्कुट	8.50	0.52	1.56
39	डि0क0 खण्ड 3 लखीमपुर खीरी	1	2012–13 (जून 2016)	गुटका, बीटल नट्स	4.69	1.78	5.34
40	डि0क0 खण्ड 1 ललितपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	आयरन स्टील	15.54	0.63	1.89
41	डि0क0 खण्ड 2 ललितपुर	1	2011–12 (जनवरी 2015)	बिल्डिंग मटीरियल	555.04	27.60	82.80
42	ज्वा0क0(का0स0) I वा0क0 लखनऊ	1	2013–14 (जून 2016)	मेडीसिन, फूड प्रोडक्ट	30.00	3.12	9.36
43	डि0क0 खण्ड 1 लखनऊ	1	2013–14 (अगस्त 2015)	स्वीट, नमकीन एवं कुक्ड फूड	41.10	3.40	10.20
		1	2013–14 (अगस्त 2016)	कुक्ड फूड	2.50	0.35	1.05
44	डि0क0 खण्ड 11 लखनऊ	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	हार्डवेयर, प्लाई आदि	6.00	0.66	1.98
45	डि0क0 खण्ड 21 लखनऊ	1	2009–10 (फरवरी 2016)	मिक्स कंक्रीट	42.07	5.68	17.04
		1	2010–11 (मार्च 2014)	इलेक्ट्रानिक	9.36	1.26	3.78
46	डि0क0 खण्ड 11 मेरठ	1	2014–15 (जून 2016)	सेरामिक टायल्स	8.67	1.21	3.63
47	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 मुरादाबाद	1	2014–15 (जून 2016)	ब्रास स्क्रैप, जीपी शीट	23.00	1.09	3.27

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	आरोपणीय अर्थदण्ड
48	डि0क0 खण्ड 9 नोएडा	1	2012–13 (मार्च 2016)	आयरन स्टील, कम्प्यूटर फर्नीचर एवं हार्डवेयर	50.00	4.15	12.45
49	डि0क0 खण्ड 13 नोएडा	1	2013–14 (मार्च 2016)	प्लेन ग्लास, टफेण्ड ग्लास	10.00	1.40	4.20
		1	2014–15 (फरवरी 2016)	प्लास्टिक कैबीनेट (टीवी पार्ट्स)	105.14	5.26	15.78
50	डि0क0 खण्ड 14 नोएडा	1	2009–10 (मार्च 2017)	स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स एवं सीमेंट की खाली बोरियाँ	29.00	3.51	10.53
		1	2013–14 (मार्च 2017)	मिट्टी (मिनरल), आयरन स्क्रैप, बारदाना, अन्य स्क्रैप, इलेक्ट्रिकल गुड्स एवं सैनिटरी	55.00	3.45	10.35
51	डि0क0 खण्ड 2 प्रतापगढ़	1	2007–08 (सितम्बर 2012)	ब्रिक्स	7.26	0.91	2.73
52	डि0क0 खण्ड 4 सहारनपुर	1	2010–11 (मार्च 2015)	हैण्ड पम्प पार्ट्स	10.00	0.50	1.50
53	डि0क0 खण्ड 1 शाहजहाँपुर	1	2014–15 (नवम्बर 2016)	पेन्ट, पीवीसी पाइप एवं सरिया	8.40	0.64	1.92
54	डि0क0 खण्ड 3 शाहजहाँपुर	1	2011–12 (मार्च 2014)	ब्रिक्स	26.11	1.31	3.93
55	असि0क0 खण्ड 2 सुल्तानपुर	1	2010–11 (जून 2014)	आयरन, सरिया	40.00	1.60	4.80
		1	2014–15 (जून 2016)	आयरन	11.50	0.46	1.38
56	असि0क0 खण्ड 12 वाराणसी	1	2013–14 (मार्च 2016)	सीमेंट, यार्न आदि	12.00	0.59	1.77
योग		**69**			**2043.57**	**121.91**	**365.73**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–XI
स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा होना
(संदर्भ प्रस्तर सं0 3.7.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
1	डि0क0 खण्ड 3 आगरा	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	5.19	05 से 55	1.04	0.035
2	ज्वा0क0(का0स0) अलीगढ़	1	2013–14 (जून 2016)	10.00	19	2.00	0.078
3	ज्वा0क0(का0स0) इलाहाबाद	1	2014–15 (अक्टूबर 2016)	21.76	27	4.35	0.241
4	डि0क0 खण्ड 12 इलाहाबाद	1	2013–14 (सितम्बर 2015)	8.28	278 से 887	1.66	2.885
5	डि0क0 खण्ड 2 औरैया	1	2013–14 (जनवरी 2017)	17.94	283 से 435	3.59	2.670
6	डि0क0 खण्ड 2 आजमगढ़	1	2010–11 (मार्च 2014)	18.00	08 से 113	3.60	0.512
		1	2012–13 (मार्च 2016)	3.96	160	0.79	0.260
			2013–14 (जनवरी 2017)	9.42	15 से 69	1.88	0.100
7	डि0क0 खण्ड 5 आजमगढ़	1	2010–11 (जुलाई 2016)	51.34	08	10.27	0.169
			2012–13 (जुलाई 2016)	69.07	06 से 1158	13.81	11.958
8	डि0क0 खण्ड 4 बाराबंकी	1	2012–13 (अप्रैल 2014)	6.25	07	1.25	0.018
9	डि0क0 खण्ड 5 बरेली	1	2012–13 (नवम्बर 2015)	25.94	06 से 09	5.19	0.074
10	ज्वा0क0(का0स0) फिरोजाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	45.14	06 से 83	9.03	0.585
11	डि0क0 खण्ड 1 फिरोजाबाद	1	2012–13 (मार्च 2016)	4.15	19	0.83	0.032
		1	2013–14 (नवम्बर 2016)	2.35	123	0.47	0.119
12	डि0क0 खण्ड 2 जी बी नगर	1	2013–14 (मार्च 2017)	16.79	05 से 108	3.36	0.286
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	25.94	09 से 24	5.19	0.143
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	5.72	05	1.14	0.012
13	डि0क0 खण्ड 3 जी बी नगर	1	2013–14 (मार्च 2017)	77.60	11 से 21	15.52	0.464
		1	2013–14 (अगस्त 2016)	6.12	07 से 09	1.23	0.019
14	ज्वा0क0(का0स0) II गाजियाबाद	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	48.50	28	9.70	0.558

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
15	डि0क0 खण्ड 1 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	12.36	124 से 277	2.47	1.051
16	डि0क0 खण्ड 3 गाजियाबाद	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	5.43	81 से 207	1.08	0.268
17	डि0क0 खण्ड 4 गाजियाबाद	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	7.94	20 से 29	1.59	0.084
18	डि0क0 खण्ड 5 गाजियाबाद	1	2012–13 (अक्टूबर 2015)	7.42	13	1.48	0.040
19	डि0क0 खण्ड 11 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	21.13	15 से 350	4.23	1.487
			2014–15 (मार्च 2017)	8.79	12 से 370	1.76	0.444
20	डि0क0 खण्ड 12 गाजियाबाद	1	2013–14 (अगस्त 2016)	50.71	39 से 68	10.14	1.060
21	डि0क0 खण्ड 16 गाजियाबाद	1	2012–13 (मार्च 2016)	5.32	06 से 38	1.06	0.044
		1	2012–13 (जनवरी 2016)	2.20	05 से 08	0.44	0.011
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	7.13	15 से 86	1.43	0.153
22	डि0क0 खण्ड 17 गाजियाबाद	1	2013–14 (मई 2016)	6.32	06	1.26	0.016
		1	2013–14 (फरवरी 2016)	7.44	07 से 44	1.49	0.072
23	डि0क0 खण्ड 18 गाजियाबाद	1	2013–14 (फरवरी 2017)	16.62	05 से 07	3.32	0.035
24	असि0क0 खण्ड 7 गोरखपुर	1	2012–13 (फरवरी 2017)	8.72	06 से 11	1.74	0.030
25	असि0क0 खण्ड 4 जौनपुर	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	5.61	16 से 80	1.12	0.105
26	ज्वा0क0(का0स0) II कानपुर	1	2013–14 (जुलाई 2016)	11.62	07 से 09	2.32	0.037
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	116.60	07 से 08	23.32	0.370
27	डि0क0 खण्ड 3 कानपुर	1	2013–14 (जनवरी 2017)	96.73	05 से 11	19.35	0.358
28	डि0क0 खण्ड 6 कानपुर	1	2013–14 (अगस्त 2016)	7.32	22 से 72	1.46	0.126
29	डि0क0 खण्ड 17 कानपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	8.24	85	1.65	0.288
30	डि0क0 खण्ड 20 कानपुर	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	21.02	05 से 12	4.20	0.070
31	डि0क0 खण्ड 22 कानपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	18.56	05 से 09	3.71	0.049
32	डि0क0 खण्ड 24 कानपुर	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	9.36	06 से 07	1.87	0.026

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
33	डि0क0 खण्ड 28 कानपुर	1	2009–10 (जुलाई 2016)	43.90	10 से 22	8.78	0.254
		1	2012–13 (अगस्त 2016)	32.20	05 से 12	6.44	0.121
34	डि0क0 खण्ड 29 कानपुर	1	2010–11 (फरवरी 2016)	13.45	1232 से 1255	2.69	6.906
35	डि0क0 खण्ड 1 खतौली	1	2011–12 (मार्च 2015)	19.00	74 से 110	3.80	0.746
36	ज्वा0क0(का0स0) II लखनऊ	1	2013–14 (फरवरी 2017)	10.70	05 से 17	2.14	0.045
37	ज्वा0क0(का0स0) आयल सेक्टर लखनऊ	1	2013–14 (मार्च 2017)	98.85	31	19.77	1.259
38	डि0क0 खण्ड 8 लखनऊ	1	2013–14 (जनवरी 2017)	16.50	05 से 07	3.30	0.038
39	डि0क0 खण्ड 9 लखनऊ	1	2013–14 (मार्च 2017)	6.93	05 से 28	1.38	0.027
40	डि0क0 खण्ड 11 लखनऊ	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	6.01	06 से 08	1.20	0.018
41	डि0क0 खण्ड 12 लखनऊ	1	2013–14 (जुलाई 2016)	5.93	06 से 11	1.19	0.021
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	5.00	08	1.00	0.014
42	डि0क0 खण्ड 18 लखनऊ	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	9.63	219	1.93	0.867
43	डि0क0 खण्ड 10 मेरठ	1	2013–14 (जुलाई 2016)	7.21	05	1.44	0.015
44	असि0 क0 खण्ड 11 मेरठ	1	2011–12 (मार्च 2015)	6.77	15 से 50	1.35	0.132
45	डि0क0 खण्ड 12 मेरठ	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	6.50	05	1.30	0.013
		1	2013–14 (नवम्बर 2016)	48.94	08 से 514	9.79	2.710
46	डि0क0 खण्ड 7 नोयडा	1	2013–14 (जनवरी 2017)	23.86	09 से 10	4.77	0.092
47	डि0क0 खण्ड 8 नोयडा	1	2013–14 (अगस्त 2016)	6.11	05 से 119	1.22	0.096
48	डि0क0 खण्ड 13 नोयडा	1	2012–13 (मार्च 2016)	8.63	07 से 13	1.73	0.041
		1	2012–13 (दिसम्बर 2016)	14.79	09 से 213	2.96	0.262
		1	2013–14 (मार्च 2017)	9.48	05 से 172	1.90	0.363
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	6.64	20 से 38	1.33	0.082
49	डि0क0 खण्ड 14 नोयडा	1	2012–13 (मार्च 2016)	18.47	08 से 90	3.69	0.302

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
		1	2013–14 (मार्च 2017)	13.67	07 से 105	2.73	0.305
		1	2013–14 (अगस्त 2017)	5.74	33	1.15	0.078
50	असि0क0 खण्ड 2 प्रतापगढ़	1	2013–14 (मार्च 2017)	24.00	06 से 221	4.80	0.899
51	डि0क0 खण्ड 1 संतकबीर नगर	1	2013–14 (फरवरी 2016)	7.03	146 से 328	1.41	0.834
52	डि0क0 खण्ड 2 देवबंद सहारनपुर	1	2012–13 (जनवरी 2017)	13.76	05	2.75	0.028
53	डि0क0 खण्ड 1 शाहजहाँपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	7.34	10 से 14	1.47	0.035
54	डि0क0 खण्ड 2 शाहजहाँपुर	1	2012–13 (फरवरी 2016)	12.80	14 से 44	2.56	0.150
55	डि0क0 खण्ड 3 शाहजहाँपुर	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	7.90	223 से 603	1.58	1.021
56	डि0क0 खण्ड 1 सुल्तानपुर	1	2014–15 (मार्च 2017)	5.55	05 से 23	1.11	0.048
57	असि0क0 खण्ड 2 सुल्तानपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	12.37	09	2.47	0.046
		1	2013–14 (जनवरी 2017)	5.97	12 से 104	1.20	0.043
58	ज्वा0क0(का0स0) I वा0क0 वाराणसी	1	2008–09 (मई 2012)	16.94	1365 से 1397	3.39	9.635
59	ज्वा0क0(का0स0) II वा0क0 वाराणसी (सोनभद्र में)	1	2013–14 (मार्च 2017)	8.86	10 से 50	1.77	0.127
		1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	6.20	08 से 10	1.24	0.024
60	डि0क0 खण्ड 14 वाराणसी	1	2012–13 (मार्च 2016)	4.80	07 से 28	0.96	0.016
			2013–14 (मार्च 2017)	5.56	08 से 10	1.11	0.022
		1	2011–12 (फरवरी 2015)	5.26	50 से 77	1.05	0.129
योग		**80**		**1531.30**		**306.24**	**55.306**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–XII

स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 3.7.3)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
1	डि0क0 खण्ड 3 आगरा	1	2013–14 (मार्च 2017)	4.30	05 से 136	8.60	0.115
2	डि0क0 खण्ड 13 आगरा	1	2012–13 (अप्रैल 2017)	37.39	06 से 10	74.78	0.150
3	डि0क0 खण्ड 16 आगरा	1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	3.97	08	7.94	0.013
		1	2013–14 (नवम्बर 2016)	57.60	08 से 09	115.20	0.197
4	डि0क0 खण्ड 19 आगरा	1	2011–12 (मार्च 2015)	1.91	08 से 12	3.82	0.007
5	डि0क0 खण्ड 9 अलीगढ़	1	2009–10 (मार्च 2017)	16.46	10 से 138	32.92	0.668
			2008–09 (मार्च 2017)	1.60	12	3.20	0.008
6	डि0क0 खण्ड 3 इलाहाबाद	1	2012–13 (जून 2016)	2.69	16	5.38	0.017
7	डि0क0 खण्ड 4 इलाहाबाद	1	2010–11 (मार्च 2016)	1.22	20	2.44	0.010
8	डि0क0 खण्ड 12 इलाहाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.79	09	5.58	0.010
9	डि0क0 खण्ड 2 अमरोहा	1	2011–12 (मार्च 2015)	0.59	08	1.18	0.002
10	डि0क0 खण्ड 1 औरैया	1	2008–09 (मार्च 2017)	1.27	05 से 11	2.54	0.006
11	डि0क0 खण्ड 3 बरेली	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.35	13	4.70	0.013
12	डि0क0 खण्ड 1 बिजनौर	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.59	09 से 39	5.18	0.025
		1	2013–14 (मार्च 2017)	2.74	16	5.48	0.018
13	असि0क0 खण्ड 1 इटावा	1	2012–13 (मार्च 2016)	4.00	17	8.00	0.028
14	डि0क0 खण्ड 4 गाजियाबाद	1	2013–14 (मार्च 2017)	197.70	06 से 33	395.40	1.691
15	डि0क0 खण्ड 8 गाजियाबाद	1	2013–14 (फरवरी 2017)	4.23	24 से 26	8.46	0.045
		1	2011–12 (जुलाई 2014)	0.70	11	1.40	0.003
16	डि0क0 खण्ड 11 गाजियाबाद	1	2012–13 (दिसम्बर 2015)	2.22	08	4.44	0.007
			2013–14 (मार्च 2017)	19.99	124	39.98	1.019

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
		1	2010–11 (दिसम्बर 2015)	1.98	06 से 91	3.96	0.007
		1	2013–14 (मार्च 2017)	0.43	06 से 22	0.86	0.002
17	डि0क0 खण्ड 12 गाजियाबाद	1	2014–15 (अगस्त 2016)	24.41	15 से 319	48.82	0.967
			2013–14 (अगस्त 2016)	1.19	349	2.38	0.170
18	डि0क0 खण्ड 18 गाजियाबाद	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	3.00	26	6.00	0.032
		1	2012–13 (मार्च 2016)	45.87	06 से 28	91.74	0.193
19	असि0क0 खण्ड 2 जौनपुर	1	2010–11 (जनवरी 2014)	12.51	05 से 67	25.02	0.131
			2012–13 (मार्च 2016)	3.31	20 से 266	6.62	0.096
20	डि0क0 खण्ड 1 कन्नौज	1	2013–14 (फरवरी 2017)	22.18	19	44.36	0.173
			2011–12 (फरवरी 2015)	14.69	06 से 39	29.38	0.064
			2012–13 (मार्च 2016)	3.57	09 से 41	7.14	0.015
		1	2011–12 (फरवरी 2015)	5.86	09 से 10	11.72	0.022
			2012–13 (मार्च 2016)	0.72	08	1.44	0.002
		1	2011–12 (मई 2016)	1.82	11	3.64	0.008
21	ज्वा0क0(का0स0) II कानपुर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	61.37	07 से 09	122.74	0.202
22	डि0क0 खण्ड 16 कानपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	10.39	05 से 260	20.78	0.659
23	डि0क0 खण्ड 17 कानपुर	1	2012–13 (मार्च 2016)	70.38	08 से 101	140.76	1.509
			2011–12 (जनवरी 2014)	4.33	05 से 10	8.66	0.010
		1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	76.10	05 से 94	152.20	0.237
24	डि0क0 खण्ड 25 कानपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	6.61	35 से 65	13.22	0.102
25	असि0क0 खण्ड 1 कांशीराम नगर (कासगंज)	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.31	06 से 232	4.62	0.045
26	डि0क0 खण्ड 1 खतौली	1	2013–14 (मार्च 2017)	8.91	15 से 223	17.82	0.138

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
27	डि0क0 खण्ड 1 ललितपुर	1	2013–14 (फरवरी 2017)	39.28	05 से 10	78.56	0.117
		1	2013–14 (फरवरी 2017)	5.53	06 से 29	11.06	0.048
28	डि0क0 खण्ड 3 लखनऊ	1	2013–14 (मार्च 2017)	11.63	05 से 10	23.26	0.039
		1	2013–14 (मार्च 2017)	18.91	07 से 11	37.82	0.055
29	डि0क0 खण्ड 12 लखनऊ	1	2011–12 (फरवरी 2015)	2.27	50	4.54	0.047
30	डि0क0 खण्ड 20 लखनऊ	1	2013–14 (मार्च 2017)	2.45	06 से 19	4.90	0.009
		1	2013–14 (मार्च 2017)	0.91	12	1.82	0.004
31	डि0क0 खण्ड 5 मेरठ	1	2013–14 (मार्च 2017)	1.26	06 से 10	2.52	0.005
32	डि0क0 खण्ड 13 मेरठ	1	2013–14 (मार्च 2017)	1.52	10 से 29	3.04	0.007
33	डि0क0 खण्ड 3 मिर्जापुर	1	2009–10 (अप्रैल 2013)	1.14	08 से 27	2.28	0.007
		1	2009–10 (सितम्बर 2013)	20.84	11 से 113	41.68	0.512
		1	2009–10 (सितम्बर 2013)	2.59	91	5.18	0.097
34	डि0क0 खण्ड 1 मुरादाबाद	1	2013–14 (अगस्त 2016)	0.70	16 से 22	1.40	0.005
35	डि0क0 खण्ड 8 मुरादाबाद	1	2012–13 (मार्च 2016)	2.94	08 से 39	5.88	0.021
36	ज्वा0क0 (का0स0) मुजफ्फरनगर	1	2013–14 (जनवरी 2017)	0.92	08	1.84	0.003
		1	2013–14 (फरवरी 2017)	16.40	07 से 11	32.80	0.062
37	ज्वा0क0 (का0स0) नोएडा	1	2013–14 (मार्च 2017)	40.81	25	81.62	0.436
38	डि0क0 खण्ड 3 नोएडा	1	2013–14 (अक्टूवर 2016)	19.00	35 से 142	38.00	0.816
		1	2012–13 (मार्च 2016)	13.87	11 से 35	27.74	0.173
			2013–14 (सितम्बर 2016)	3.37	29	6.74	0.040
		1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	3.50	31	7.00	0.045
39	डि0क0 खण्ड 13 नोएडा	1	2012–13 (मार्च 2016)	4.33	07	8.66	0.012
		1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	1.18	07	2.36	0.003

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपणीय ब्याज
40	डि0क0 खण्ड 14 नोएडा	1	2012–13 (अक्टूबर 2015)	2.12	11	4.24	0.010
		1	2013–14 (मार्च 2017)	59.12	07 से 154	118.24	1.703
41	डि0क0 खण्ड 2 पीलीभीत	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	0.91	34	1.82	0.013
			2013–14 (मार्च 2017)	0.59	54 से 85	1.18	0.017
42	डि0क0 खण्ड 5 सहारनपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	3.56	08 से 212	7.12	0.120
43	असि0क0 श्रावस्ती	1	2012–13 (मार्च 2016)	0.56	05 से 16	1.12	0.003
44	डि0क0 खण्ड 1 सुल्तानपुर	1	2010–11 (जनवरी 2014)	1.03	07	2.06	0.003
45	असि0क0 खण्ड 6 वाराणसी	1	2012–13 (जून 2016)	20.19	06	40.38	0.050
			2013–14 (सितम्बर 2016)	139.57	05 से 07	279.14	0.299
		1	2013–14 (सितम्बर 2016)	125.57	08 से 144	251.14	0.418
		1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	10.02	05 से 13	20.04	0.032
46	डि0क0 खण्ड 10 वाराणसी	1	2013–14 (मार्च 2017)	8.10	31 से 123	16.20	0.188
47	डि0क0 खण्ड 17 वाराणसी	1	2012–13 (मार्च 2016)	2.00	06 से 07	4.00	0.005
		1	2012–13 (मार्च 2016)	0.85	11	1.70	0.004
योग		**69**		**1339.79**		**2679.58**	**14.264**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट–XIII

व्यापारियों द्वारा कर के रूप में गलत तरीके से वसूल की गई धनराशि को जब्त नहीं किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 3.8)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	अधिक प्रभारित कर
1	ज्वा0क0(का0स0) रेंज बी वा0क0 जी0बी0 नगर	1	2013–14 (सितम्बर 2016)	138.75
2	डि0क0 खण्ड 2 कानपुर	1	2014–15 (जनवरी 2017)	293.55
3	डि0क0 खण्ड 16 कानपुर	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	0.88
4	डि0क0 खण्ड 3 लखीमपुर खीरी	1	2013–14 (जून 2016)	16.67
5	डि0क0 खण्ड 1 ललितपुर	1	2013–14 (फरवरी 2017)	2.77
		1	2011–12 (अप्रैल 2015)	2.17
6	डि0क0 खण्ड 1 नोएडा	1	2013–14 (जनवरी 2017)	5.33
7	डि0क0 खण्ड 2 पीलीभीत	1	2013–14 (अगस्त 2016)	0.67
8	डि0क0 खण्ड 3 सुल्तानपुर	1	2013–14 (मार्च 2017)	0.53
योग		**9**		**461.32**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट-XIV

कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत अतिभार माल वाहनों पर शास्ति आरोपित नहीं की गयी

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.3)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम		स0प0अ0/ स0स0प0अ0 द्वारा अतिभार के आरोप में बन्द वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा दल द्वारा जाँच किये गये बन्द वाहनों के पत्रावलियों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	शास्ति आरोपित किये जाने की अवधि	मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आरोपित शास्ति	सी0बी0आर0 अधिनियम के अनुसार आरोपित शास्ति	सी0बी0आर0 अधिनियम के अनुसार देय धनराशि
1	स0स0प0अ0	अम्बेडकर नगर	762	115	24	10/16 से 03/17	433000	0	433000
2	स0स0प0अ0	अमरोहा	2230	500	22	04/16 से 04/17	461000	0	461000
3	स0स0प0अ0	औरैया	5108	150	08	09/16 से 11/17	189000	0	189000
4	स0स0प0अ0	बहराइच	1250	500	15	11/16 से 05/17	333000	0	333000
5	स0स0प0अ0	बलिया	1471	155	03	अप्रैल – 2016	83000	0	83000
6	स0प0अ0	बाँदा	2784	105	26	05/16 से 12/17	539000	0	539000
7	स0स0प0अ0	बाराबंकी	2500	360	07	07/16 से 12/16	332000	0	332000
8	स0स0प0अ0	बिजनौर	1108	145	09	12/16 से 04/17	117000	0	117000
9	स0स0प0अ0	बुलन्दशहर	1240	16	16	12/16 से 08/17	283000	0	283000
10	स0स0प0अ0	एटा	4117	318	15	12/15 से 04/17	382000	0	382000
11	स0प0अ0	फैजाबाद	450	157	05	07/16 से 09/16	166000	0	166000
12	स0स0प0अ0	फतेहपुर	1960	400	26	09/16 से 12/16	713000	0	713000
13	स0प0अ0	गाजियाबाद	20292	543	35	02/16 से 04/16	628000	0	628000
14	स0प0अ0	गोण्डा	1130	500	18	10/16 से 04/17	359000	0	359000
15	स0प0अ0	गोरखपुर	1250	231	21	अक्टूबर – 2016	197000	0	197000
16	स0स0प0अ0	हमीरपुर	4090	500	30	12/16 से 01/17	895000	0	895000
17	स0स0प0अ0	हापुड़	5100	100	03	सितम्बर – 2016	101000	0	101000
18	स0स0प0अ0	हरदोई	1025	165	20	01/17 से 09/17	667000	0	667000

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम		स0प0अ0/ स0स0प0अ0 द्वारा अतिभार के आरोप में बन्द वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा दल द्वारा जाँच किये गये बन्द वाहनों के पत्रावलियों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	शास्ति आरोपित किये जाने की अवधि	मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आरोपित शास्ति	सी0बी0आर0 अधिनियम के अनुसार आरोपित शास्ति	सी0बी0आर0 अधिनियम के अनुसार देय धनराशि
19	स0स0प0अ0	जालौन	2497	168	18	04/16 से 05/16	701000	0	701000
20	स0स0प0अ0	जौनपुर	1273	300	18	03/17 से 04/17	165000	0	165000
21	स0प0अ0	झांसी	8671	267	24	10/16 से 01/17	731000	0	731000
22	स0स0प0अ0	कन्नौज	404	112	11	02/17 से 03/17	160000	0	160000
23	स0स0प0अ0	कानपुर देहात	7414	366	09	08/16 से 03/17	251000	0	251000
24	स0प0अ0	कानपुर नगर	7414	366	29	10/16 से 04/17	807000	0	807000
25	स0स0प0अ0	कौशाम्बी	5441	346	12	05/16 से 12/16	283000	0	283000
26	स0स0प0अ0	कुशीनगर	3257	292	25	10/16 से 08/17	429000	0	429000
27	स0स0प0अ0	लखीमपुर खीरी	1759	500	21	12/16 से 01/17	425000	0	425000
28	स0स0प0अ0	ललितपुर	964	66	05	02/17 से 06/17	163000	0	163000
29	स0प0अ0	लखनऊ	10037	1500	57	01/16 से 06/17	1339000	0	1339000
30	स0स0प0अ0	मुजफ्फरनगर	1875	400	22	01/17 से 06/17	517000	0	517000
31	स0स0प0अ0	महोबा	340	16	16	03/16 से 03/17	356000	0	356000
32	स0स0प0अ0	महराजगंज	317	12	09	03/17 से 05/17	118000	0	118000
33	स0स0प0अ0	मैनपुरी	635	150	07	जुलाई – 17	149000	0	149000
34	स0स0प0अ0	मथुरा	1235	340	50	01/16 से 09/17	1386000	0	1386000
35	स0स0प0अ0	मऊ	10323	112	10	03/16 से 04/17	177000	0	177000
36	स0प0अ0	मेरठ	1240	18	18	03/17 से 11/17	299000	0	299000
37	स0प0अ0	मिर्जापुर	12678	275	26	02/16 से 03/16	900000	0	900000
38	स0प0अ0	मुरादाबाद	1240	19	05	04/17 से 11/17	143000	0	143000
39	स0स0प0अ0	पीलीभीत	1160	26	25	12/16 से 09/17	553000	0	553000

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम		स0प0अ0/ स0स0प0अ0 द्वारा अतिभार के आरोप में बन्द वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा दल द्वारा जाँच किये गये बन्द वाहनों के पत्रावलियों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	शास्ति आरोपित किये जाने की अवधि	मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आरोपित शास्ति	सी0बी0आर0 अधिनियम के अनुसार आरोपित शास्ति	सी0बी0आर0 अधिनियम के अनुसार देय धनराशि
40	स0स0प0अ0	प्रतापगढ़	1050	400	25	01/17 से 06/17	583000	0	583000
41	स0स0प0अ0	रायबरेली	10978	439	28	11/16 से 02/17	938000	0	938000
42	स0स0प0अ0	रामपुर	1956	500	14	03/17 से 04/17	420000	0	420000
43	स0स0प0अ0	सन्त कबीर नगर	746	186	14	09/16 से 10/17	273000	0	273000
44	स0स0प0अ0	शामली	2500	325	41	11/16 से 02/17	1103000	0	1103000
45	स0स0प0अ0	श्रावस्ती	385	45	16	02/16 से 04/17	223000	0	223000
46	स0स0प0अ0	सिद्धार्थनगर	1899	164	09	04/17 से 06/17	137000	0	137000
47	स0स0प0अ0	सोनभद्र	1850	300	19	10/16 से 12/16	496000	0	496000
48	स0स0प0अ0	सन्त रविदास नगर	790	07	01	दिसम्बर 16	39000	0	39000
49	स0स0प0अ0	सुल्तानपुर	3506	311	14	10/16 से 05/17	334000	0	334000
50	स0स0प0अ0	उन्नाव	480	110	12	03/17 से 05/17	114000	0	114000
योग			**164181**	**13398**	**913**		**21590000**		**21590000**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट-XV
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.8)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	किरावली	आगरा	10378/ 20.10.16	4305/ 04. 05.16	459/2	575	863000	6500	3737500	3738000	5	186900	20000	206900	43150	17260	60410	146490
2	सदर I		4360/ 22.12.16	2396/ 29.06.16	1220	2155	7758000	10000	21550000	21550000	7	1508500	20000	1528500	543100	20000	563100	965400
3	सदर III		3878/ 16.05.16	2785/ 23.03.15	720	5934	10700000	6000	35604000	35604000	7	2492280	20000	2512280	1240500	20000	1260500	1251780
			1598/ 24.02.16	11489/ 02.12.15	469	1313	1313000	7000	9191000	9191000	7	643370	20000	663370	92000	20000	112000	551370
			1180/ 10.02.16	12012/ 28.12.15	734	2112	2535000	3000	6336000	6336000	6 व 7	433520	20000	453520	167500	20000	187500	266020
4	सदर V		495/ 17.03.17	258/ 08.02.17	477	2520	756000	6500	16380000	16380000	7	1146600	20000	1166600	53000	15120	68120	1098480
5	गभाना	अलीगढ़	862/ 08.03.17	3276/ 22.05.15	293/3	4000	1400000	1800	7200000	7200000	7	504000	20000	524000	98100	20000	118100	405900
6	सदर I		5973/ 24.06.16	10687/ 18.11.15	139 मि 0	4030	7545000	4500	18135000	18135000	7	1269450	20000	1289450	528500	20000	548500	740950
			3973/ 07.07.17	1239/ 04.02.16	190 मि 0	4651	15258000	4500	20929500	20930000	7	1465100	20000	1485100	1068200	20000	1088200	396900
			3694/ 28.06.17	10687/ 18.11.15	139 मि 0	1690	2535000	4500	7605000	7605000	6 व 7	522350	20000	542350	168000	20000	188000	354350
			378/ 02.02.17	10198/ 25.11.16	139 मि 0	1210	1815000	4500	5445000	5445000	6 व 7	371150	20000	391150	117500	20000	137500	253650
7	सोरावं	इलाहाबाद	6053/ 30.10.17	2515/ 04.05.17	73	2008	928000	5700	11445600	11446000	7	801220	20000	821220	65000	18500	83500	737720
8	कोरावं		214/ 22.01.15	1922/ 17.06.14	1412	4180	138000	7000	29260000	29260000	5	1463000	10000	1473000	69000	10000	79000	1394000
			1801/ 02.08.17	1177/ 20.05.15	279	2786	120000	10200	28417200	28418000	5	1420900	20000	1440900	60000	20000	80000	1360900

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			740/ 31.3.17	739/ 31.03.17	370 मि	4517	1248000	5500	24843500	24844000	5	1242200	20000	1262200	62500	20000	82500	1179700
			2419/ 01.11.17	1922/ 17.06.14	1412	2070	768000	8800	18216000	18216000	5	910800	20000	930800	38500	15360	53860	876940
9	भीटी	अम्बेडकर नगर	811/ 11.07.17	1762/ 21.11.15	4 मि	2530	1468000	3200	8096000	8096000	4 व 5	394800	20000	414800	63500	20000	83500	331300
			1671/ 07.11.16	1644/ 02.11.16	61/2 मि	2430	3111000	5100	12393000	12393000	5	619650	20000	639650	155550	20000	175550	464100
10	आलापुर		2308/ 18.06.16	1256/ 21.03.16	371	1180	1228000	4600	5428000	5428000	5	271400	20000	291400	61410	20000	81410	209990
			2149/ 08.06.16	1532/ 18.04.16	37 मि	950	7960000	2400	2280000	2280000	4 व 5	104000	20000	124000	31850	15920	47770	76230
11	अकबरपुर		3818/ 29.07.16	3768/ 28.07.16	1876	630	429000	5500	3465000	3465000	4 व 5	163250	20000	183250	25750	8580	34330	148920
			402/ 25.01.16	349/ 22.01.16	1865	656	1516000	8000	5248000	5248000	6 व 7	357360	20000	377360	96120	20000	116120	261240
12	मुसाफिर खाना	अमेठी	5229/ 19.09.16	2982/ 19.05.16	159	670	740000	5000	3350000	3350000	4 व 5	157500	20000	177500	30000	14800	44800	132700
13	तिलोई		510/ 23.02.17	3683/ 10.09.15	296 मि	890	663000	5500	4895000	4895000	5	244750	20000	264750	33200	13260	46460	218290
			940/ 04.03.16	3516/ 05.09.14	776 मि	760	1940000	14000	10640000	10640000	4 व 5	493200	20000	513200	87700	20000	107700	405500
			4236/ 11.11.14	740/ 25.02.14	8259	935	1636000	9000	8415000	8415000	5	420750	10000	430750	81800	10000	91800	338950
			1940/ 18.05.16	4471/ 20.11.14	208	1015	551000	4500	4567500	4568000	4 व 5	218400	20000	238400	22050	11020	33070	205330
14	धनौरा	अमरोहा	3053/ 29.04.17	130/ 04.01.16	2064	1370	1268000	5000	6850000	6850000	7	479500	20000	499500	88900	20000	108900	390600
			4295/ 12.06.17	14690/ 03.11.16	176	791	401000	3700	2926700	2927000	5	146350	20000	166350	22100	8020	30120	136230
			6250/ 24.08.17	3930/ 31.05.17	293	1350	1215000	2900	3915000	3915000	4 व 5	185750	20000	205750	50750	20000	70750	135000

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
15	हसनपुर		1132/ 25.01.18	43/ 02.01.18	426 मि	1270	883000	4200	5334000	5334000	7	373380	20000	393380	62000	17660	79660	313720
16	फूलपुर	आजमगढ़	3437/ 01.08.16	741/ 17.2.16	169	1255.5	750000	7938	9966159	9967000	5	498350	20000	518350	37500	15000	52500	465850
17	बांसडीह	बलिया	1888/ 12.08.16	1335/ 15.06.16	197	1850	555000	2700	4995000	4995000	4 व 5	239750	20000	259750	22200	11100	33300	226450
18	उतरौला	बलरामपुर	3346/ 13.06.16	1536/ 22.03.16	1731 मि	4300	1120000	3500	15050000	15050000	5	752500	20000	772500	56020	20000	76020	696480
19	तुलसीपुर		1306/ 10.03.17	5268/ 22.05.15	579 मि	610	223000	7000	4270000	4270000	5	213500	20000	233500	11150	4460	15610	217890
			6255/ 01.08.16	5268/ 22.05.15	579 मि	810	2822000	7000	5670000	5670000	5	283500	20000	303500	141000	20000	161000	142500
			76/ 09.01.17	5268/ 22.05.15	579 मि	400	146000	7000	2800000	2800000	4 व 5	130000	20000	150000	5850	2920	8770	141230
20	सदर		7279/ 03.11.16	5977/ 02.09.16	937	6600	8136000	12000	79200000	79200000	5	3960000	20000	3980000	407000	20000	427000	3553000
			2507/ 27.04.16	6332/ 18.09.15	47	850	340000	9500	8075000	8075000	5	403750	20000	423750	17000	6800	23800	399950
			7633/ 28.11.15	5962/ 04.09.14	171	460	138000	3900	1794000	1794000	5	89700	10000	99700	6900	1380	8280	91420
21	सिरौली गौसपुर	बाराबंकी	3683/ 20.09.16	3536/ 06.09.16	1363क	1020	1789000	7800	7956000	7956000	4 व 5	387800	20000	407800	79500	20000	99500	308300
			4920/ 22.12.15	4298/ 26.10.15	682	1260	2624000	5000	6300000	6300000	4 व 5	305000	20000	325000	121500	20000	141500	183500
22	राम सनेही घाट		966/ 23.02.16	1182/ 27.02.15	945 मि	2010	4115000	15000	30150000	30150000	4 व 5	1497500	20000	1517500	196000	20000	216000	1301500
			2917/ 01.06.15	1182/ 27.02.15	945 मि	2010	4115000	11000	22110000	22110000	4 व 5	1095500	20000	1115500	196000	20000	216000	899500
23	सदर		7603/ 24.04.15	4477/ 10.03.15	408	553	830000	5000	2765000	2765000	7	193550	10000	203550	58200	10000	68200	135350
24	फरीदपुर	बरेली	5126/ 02.08.17 4770/ 9.8.17	9591/ 24.10.16	600 मि /2	2525	910000	1150	2903750	2903800	5	145190	40000	185190	44500	18200	62700	122490

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
25	रूधौली	बस्ती	256/ 15.02.17	115/ 28.01.16	7 मि	1770	1647000	4300	7611000	7611000	4 व 5	370550	20000	390550	72350	20000	92350	298200
26	सदर	भदोही	389/ 25.02.17	1026/ 26.04.16	7 मि	570	779000	4000	2280000	2280000	7	159600	20000	179600	54550	15580	70130	109470
27	ज्ञानपुर		1677/ 27.06.16	1253/ 17.05.16	04	2450	4900000	4000	9800000	9800000	4 व 5	480000	20000	500000	235000	20000	255000	245000
			1505/ 09.06.16	963/ 20.04.16	301	1430	1430000	4000	5720000	5720000	5	286000	20000	306000	71500	20000	91500	214500
			2805/ 04.11.16	1918/ 08.06.15	188	1260	1260000	4000	5040000	5040000	4 व 5	242000	20000	262000	53000	20000	73000	189000
28	चाँदपुर	बिजनौर	683/ 27.01.17	15294/ 06.10.16 एवं 15296/ 06.10.16	57	1260	1764000	4800	6048000	6048000	4 व 5	292400	20000	312400	88200	20000	108200	204200
			11799/ 31.10.17	5721/ 05.06.16 एवं 5722/ 05.06.16	548	500	270000	3000	1500000	1500000	5	75000	20000	95000	13500	5400	18900	76100
29	सिकन्दरा बाद	बुलन्दशहर	4576/ 26.7.17	1684/ 27.03.17	316	1265	967000	3300	4174500	4175000	4 व 5	198750	20000	218750	38700	19340	58040	160710
			7578/ 25.11.17	7362/ 12.9.16 एवं 7131/ 15.09.16	847	1049	3986200	12500	13112500	13113000	7	917910	20000	937910	279200	20000	299200	638710
30	सदर II		4461/ 30.08.16	3579/ 07.07.17	478	1914	2584000	5000	9570000	9570000	6 व 7	659900	20000	679900	181000	20000	201000	478900
			1701/ 31.03.17	1201/ 08.10.16	485	632	2276000	14000	8848000	8848000	7	619360	20000	639360	159500	20000	179500	459860
			2883/ 03.06.17	2496/ 17.5.17	692	3373	3036000	2500	8432500	8433000	6 व 7	580310	20000	600310	202600	20000	222600	377710

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
31	चकिया	चन्दौली	4154/ 23.11.15	356/ 29.01.15	450	885	390000	4500	3982500	3983000	7	278810	20000	298810	27300	7800	35100	263710
32	सकलडीहा		1127/ 24.03.17	985/ 16.03.17	160	1760	852000	3200	5632000	5632000	4 व 5	271600	20000	291600	34100	17040	51140	240460
			5524/ 20.12.16	4511/ 6.10.16	180	1760	968000	3700	6512000	6512000	7	455840	20000	475840	68000	19500	87500	388340
			4868/ 05.11.16	4785/ 29.10.16	312	945	333040	3000	2835000	2835000	4 व 5	131750	20000	151750	13320	6660	19980	131770
33	रूद्रपुर	देवरिया	1770/ 05.08.17	168/ 06.02.17	253	1820	2630000	6237	11351340	11351400	4 व 5	507570	20000	527570	121500	20000	141500	386070
34	सलेमपुर		933/ 10.03.16	460/ 09.02.16	699	1030	153500	8600	8858000	8858000	6 व 7	610060	20000	630060	153500	20000	173500	456560
			3773/ 25.10.16	3759/ 24.10.16	60	1020	1020000	5760	5875200	5875200	5	293760	20000	313760	51000	20000	71000	242760
35	भरथना	इटावा	3916/ 05.08.17	3266/ 18.05.16	97	1000	840000	7000	7000000	7000000	6 व 7	480000	20000	500000	50450	16800	67250	432750
36	सदर	फर्रूखाबाद	10638/ 10.11.17	10412/ 08.11.17	321	1620	250000	1100	1782000	1782000	7	124740	20000	144740	17500	5000	22500	122240
37	अम्तपुर		2839/ 26.08.16	201/ 14.01.16	43	810	235000	4000	3240000	3240000	4 व 5	152000	20000	172000	9400	4700	14100	157900
38	खागा	फतेहपुर	5218/ 26.10.17	2343/ 23.05.17	111	1620	778000	5300	8586000	8586000	5	429300	20000	449300	38900	15560	54460	394840
			7294/ 28.10.16	7025/ 20.10.16	2264	1210	600000	4800	5808000	5808000	4 व 5	280400	20000	300400	24000	12000	36000	264400
			1165/ 21.03.17	608/ 14.02.17	147	1168	211000	2750	3212000	3212000	5	160600	20000	180600	10550	4220	14770	165830
39	सदर I	फिरोजाबाद	2118/ 21.04.17	249/ 01.08.16	337	1150	1495000	5000	5750000	5750000	7	402500	20000	422500	105000	20000	125000	297500
			8256/ 30.12.17	8077/ 26.12.17	131	632	1506000	5900	3728800	3729000	7	261030	20000	281030	105450	20000	125450	155580
			5339/ 30.06.16	5042/ 09.06.16	27	2043	1635000	3500	7150500	7151000	7	500570	20000	520570	114500	20000	134500	386070
40	सदर II		278/ 08.02.17	2003/ 05.05.16	413	1323.3	1390000	3000	3969900	3969900	7	277893	20000	297893	97500	20000	117500	180393

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			3677/ 11.08.16	3315/ 26.07.16	13	2060	2164000	2500	5150000	5150000	7	360500	20000	380500	151500	20000	171500	209000
41	सदर II		3157/ 21.07.16	4699/ 17.11.16	139 व 142	2080	1997000	2500	5200000	5200000	7	364000	20000	384000	140000	20000	160000	224000
			2977/ 29.06.16	4699/ 17.11.16	139 व 142	2010	1930000	2500	5025000	5025000	7	351750	20000	371750	135100	20000	155100	216650
42	टूण्डला		3160/ 19.07.17	5099/ 27.08.16	33 मि	3460	3287000	4500	15570000	15570000	7	1089900	20000	1109900	230100	20000	250100	859800
			3710/ 24.08.17	4084/ 06.07.16	33/1	1750	700000	2200	3850000	3850000	7	269500	20000	289500	49000	14000	63000	226500
			5184/ 05.12.17	5100/ 27.08.16	33 मि	4610	5071000	5000	23050000	23050000	7	1613500	20000	1633500	350000	20000	370000	1263500
			4212/ 25.09.17	3812/ 30.08.17	124/1	2118	2755000	8000	16944000	16944000	7	1186080	20000	1206080	193500	20000	213500	992580
			4800/ 21.11.17	5954/ 14.10.16	144	2191	2411000	5000	10955000	10955000	6 व 7	756850	20000	776850	159000	20000	179000	597850
			3388/ 31.07.17	5099/ 27.08.16	33 मि	4610	4380000	4500	20745000	20745000	7	1452150	20000	1472150	307000	20000	327000	1145150
			2163/ 30.05.17	1493/ 21.04.17	134	1580	870000	3800	6004000	6004000	5	300200	20000	320200	43500	17400	60900	259300
43	जसराना		6202/ 30.07.16	2336/ 19.03.16	200	1410	536000	5300	7473000	7473000	5	373650	20000	393650	11700	5880	17580	376070
			802/ 28.02.17	3864/ 20.05.16	2606	570	240000	10000	5700000	5700000	4 व 5	275000	20000	295000	11700	5820	17520	277480
			1971/ 01.05.17	1605/ 13.04.17	134	810	454000	5000	4050000	4050000	5	202500	20000	222500	22700	9080	31780	190720
44	सदर I	जी बी नगर	11064/ 11.07.16	943/ 23.02.15	548 म, 551, 552, 553	5058	13355000	13000	65754000	65754000	5	3287700	20000	3307700	668000	20000	688000	2619700
			10293/ 21.06.16	943/ 23.02.15	548 म, 551, 552, 553	5058	13355000	13000	65754000	65754000	5	3287700	20000	3307700	668000	20000	688000	2619700

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
45	ग्रेटर नोयडा		18190/ 05.07.16	4129/ 04.03.16	638	843	1124000	6500	5479500	5480000	5	274000	20000	294000	56250	20000	76250	217750
			20765/ 29.07.16	748/ 12.01.15	40	794	1009000	5600	4446400	4447000	4 व 5	212350	20000	232350	40500	20000	60500	171850
			15258/ 07.06.16	5185/ 16.03.16	40,44, व 56	843	675000	4500	3793500	3794000	5	189700	20000	209700	33800	13500	47300	162400
46	दादरी नोयडा		6753/ 22.04.16	2081/ 05.02.16	283 मि	1854	3709000	6000	11124000	11124000	5	556200	20000	576200	185500	20000	205500	370700
			5829/ 06.04.16	2174/ 08.02.16	581	665	1330000	8000	5320000	5320000	5	266000	20000	286000	66500	20000	86500	199500
			15110/ 20.09.16	6146/ 12.04.16	372	836	1672000	6000	5016000	5016000	5	250800	20000	270800	83600	20000	103600	167200
47	सदर II	गाजियाबाद	4522/ 28.04.16	3790/ 07.04.16	43 मि	1260	4410000	8000	10080000	10080000	7	705600	20000	725600	308700	20000	328700	396900
48	सदर III		1627/ 03.03.16	2387/ 31.03.15	1154क ा	717	1341000	5000	3585000	3585000	7	250950	20000	270950	94000	20000	114000	156950
			9258/ 08.12.15	6327/ 17.08.15	881	920.66	760000	4000	3682640	3683000	6 व 7	247810	20000	267810	45600	15200	60800	207010
			9667/ 28.12.15	6705/ 28.08.15	968	505	723000	5000	2525000	2525000	7	176750	20000	196750	50700	14460	65160	131590
49	सदर IV		3844/ 02.03.16	3813/ 02.03.16	1563	9349	34461000	9000	84141000	84141000	7	5889870	20000	5909870	2412300	20000	2432300	3477570
50	सदर V		4310/ 29.07.16	3863/ 18.07.16	520	1265	2505000	7000	8855000	8855000	7	619850	20000	639850	175500	20000	195500	444350
			4309/ 29.07.16	3863/ 18.07.16	520	1265	2505000	7000	8855000	8855000	7	619850	20000	639850	175500	20000	195500	444350
			2948/ 10.06.16	2846/ 07.06.16	513	1020	2020000	7000	7140000	7140000	7	499800	20000	519800	141500	20000	161500	358300
			4311/ 29.07.16	2380/ 13.05.16	354	1256	2487000	7000	8792000	8792000	7	615440	20000	635440	174200	20000	194200	441240

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
51	सदर	गाजीपुर	780/ 31.01.17	5111/ 27.09.16	1660	3140	3140000	6500	20410000	20410000	4 व 5	1010500	20000	1030500	147000	20000	167000	863500
			1858/ 20.03.17	361/ 27.01.16	64	1200	3240000	7500	9000000	9000000	5	450000	20000	470000	162000	20000	182000	288000
			1860/ 20.04.16	741/ 11.02.16	36/1, 36/2	720	2520000	9000	6480000	6480000	6 व 7	443600	20000	463600	166500	20000	186500	277100
			2094/ 01.04.17	2046/ 31.03.17	66	760	1368000	6500	4940000	4940000	5	247000	20000	267000	68500	20000	88500	178500
			2694/ 15.05.17	2620/ 06.05.17	111	1101	6590000	8500	9358500	9358500	5	467925	20000	487925	329500	20000	349500	138425
			4686/ 09.09.16	4158/ 12.08.16	118	845	676000	3200	2704000	2704000	5	135200	20000	155200	33800	13520	47320	107880
52	जखनियां		1610/ 06.06.16	1194/ 30.04.16	4 व 7	1684	2966000	5000	8420000	8420000	4 व 5	411000	20000	431000	138600	20000	158600	272400
			1255/ 06.05.16	915/ 04.04.16	204	760	1368000	5000	3800000	3800000	4 व 5	180000	20000	200000	58500	20000	78500	121500
53	सैदपुर		2634/ 26.07.16	1963/ 06.06.16	1054	845	1053000	6200	5239000	5239000	4 व 5	251950	20000	271950	43000	20000	63000	208950
			1819/ 23.05.16	1716/ 12.05.16	120	760	534000	4800	3648000	3648000	4 व 5	172400	20000	192400	21370	10680	32050	160350
54	करनैल गंज	गोण्डा	288/ 13.01.16	15125/ 23.11.15	2086 स	1050	441000	5000	5250000	5250000	5	262500	20000	282500	22050	8820	30870	251630
			2123/ 26.04.16	1113/ 25.02.16	2088 स	1010	505000	5000	5050000	5050000	4 व 5	242500	20000	262500	20200	10100	30300	232200
			6160/ 15.06.15	6172/ 15.06.15	2085 स	1210	460000	4200	5082000	5082000	5	254100	10000	264100	23000	9200	32200	231900
55	बांसगांव	गोरखपुर	482/ 6.02.17	478/ 06.02.17	386	2100	1155000	4000	8400000	8400000	5	420000	20000	440000	57750	20000	77750	362250
			1142/ 03.05.16	3550/ 01.12.15	575	1050	788000	5000	5250000	5250000	5	262500	20000	282500	39400	15760	55160	227340
56	गोला बाजार		4140/ 16.12.17	3827/ 17.11.17	171	850	697000	3800	3230000	3230000	4 व 5	151500	20000	171500	27880	13940	41820	129680

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
57	चौरी चौरा		2627/ 05.08.17	2042/ 27.06.17	327	1700	2550000	6000	10200000	10200000	4 व 5	500000	20000	520000	117520	20000	137520	382480
			610/ 25.02.17	807/ 23.02.16	515 मि	810	1037000	4400	3564000	3564000	4 व 5	168200	20000	188200	41850	20000	61850	126350
58	सहजनवां		2587/ 20.07.17	2246/ 20.06.17	331 मि	2060	1763000	4100	8446000	8446000	5	422300	20000	442300	88150	20000	108150	334150
59	सदर I		5715/ 10.08.17	4315/ 30.06.17	345	850	1955000	9000	7650000	7650000	5	382500	20000	402500	97800	20000	117800	284700
			7233/ 20.08.16	6219/6220 23.07.16	51	1130	2860000	7150	8079500	8080000	4 व 5	394000	20000	414000	143000	20000	163000	251000
			7021/ 12.08.16	5674/ 06.07.16	27	1010	1485000	6000	6060000	6060000	5	303000	20000	323000	80000	20000	100000	223000
			1236/ 10.03.17	687/ 10.02.17	1153	650	1365000	7000	4550000	4550000	4 व 5	217500	20000	237500	59000	20000	79000	158500
			3356/ 31.05.17	3705/ 10.05.16	209	800	2120000	5500	4400000	4400000	4 व 5	210000	20000	230000	96000	20000	116000	114000
60	सदर II		6247/ 19.07.17	2553/ 15.04.17	50	2050	2614000	6500	13325000	13325000	5	666250	20000	686250	130720	20000	150720	535530
61	खजनी		2402/ 29.06.15	2404/ 29.06.15	168	1420	838000	2100	2982000	2982000	4 व 5	139100	10000	149100	33520	10000	43520	105580
62	गढ़ मुक्तेश्वर	हापुड़	439/ 11.01.18	6672/ 18.11.17	966	1815.35	3295000	11000	19968850	19969000	6 व 7	1387830	20000	1407830	225000	20000	245000	1162830
			1705/ 15.02.18	6223/ 07.01.17	725	606	376000	5200	3151200	3152000	7	220640	20000	240640	26320	7520	33840	206800
			4326/ 23.05.16	291/ 12.01.16	73	465	586000	6100	2836500	2837000	7	198590	20000	218590	41100	11720	52820	165770
63	धौलाना		5795/ 25.09.17	4569/ 31.08.17	203	1050	1890000	5000	5250000	5250000	7	367500	20000	387500	132500	20000	152500	235000
			2094/ 21.04.17	282/ 21.01.17	603	850	1318000	5300	4505000	4505000	7	315350	20000	335350	92300	20000	112300	223050
			5692/ 21.09.17	4569/ 31.08.17	203	1050	1890000	5000	5250000	5250000	7	367500	20000	387500	132500	20000	152500	235000
64	कोंच	जालौन	2269/ 07.05.15	2238/ 05.05.15	1225	3672	808000	3500	12852000	12852000	5	642600	10000	652600	40500	10000	50500	602100

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			2295/ 19.07.17	1013/ 25.04.17	1254	2050	1782000	4900	10045000	10045000	5	502250	20000	522250	89200	20000	109200	413050
65	उरई		5859/ 23.06.16	5001/ 01.08.15	349	4050	1904000	15500	62775000	62775000	7	4394250	20000	4414250	133500	20000	153500	4260750
66	बदलापुर	जौनपुर	2238/ 28.01.16	3579/ 20.10.15	253/2	2020	5454000	13000	26260000	26260000	5	1313000	20000	1333000	273000	20000	293000	1040000
67	केराकत		2810/ 06.07.16	2760/ 5.7.16	1510	1820	1748000	3400	6188000	6188000	5	309400	20000	329400	87350	20000	107350	222050
			3748/ 02.09.16	3213/ 8.8.16	434 मि	720	893000	4500	3240000	3240000	5	162000	20000	182000	44650	17860	62510	119490
68	सदर II	झांसी	6865/ 14.11.17	4911/ 24.8.17	1908	1175	1058000	4500	5287500	5288000	7	370160	20000	390160	74100	20000	94100	296060
69	अकबरपुर	कानपुर देहात	7455/ 03.09.16	4682/ 31.05.16	1128 मि	4100	1763000	3000	12300000	12300000	5	615000	20000	635000	88150	20000	108150	526850
			2700/ 29.05.17	2705/ 29.05.17	1149 मि	4100	1763000	3000	12300000	12300000	5	615000	20000	635000	88200	20000	108200	526800
			5512/ 27.06.16	5102/ 13.06.16	16	910	565000	6500	5915000	5915000	7	414050	20000	434050	39700	11300	51000	383050
			9194/ 08.12.15	9160/ 07.12.15	132	2460	666000	3000	7380000	7380000	5	369000	20000	389000	33300	13320	46620	342380
			3839/ 30.04.16	9701/ 30.12.15	1128 मि	2050	820000	2500	5125000	5125000	5	256250	20000	276250	41000	16400	57400	218850
			3482/ 30.06.17	1508/ 27.03.17	1197	820	1000000	4000	3280000	3280000	4 व 5	154000	20000	174000	40000	20000	60000	114000
70	सदर II	कानपुर नगर	2113/ 18.05.17	1672/ 27.04.17	1133	1170	2399000	10500	12285000	12285000	7	859950	20000	879950	168000	20000	188000	691950
71	सदर II		6552/ 22.10.16	6551/ 22.10.16	508 मि	1451	5057500	10500	15235500	15236000	6 व 7	1056520	20000	1076520	344300	20000	364300	712220
72	सदर III		16483/ 24.10.16	16177/ 19.10.16	239 क	2050	533000	1500	3075000	3075000	6 व 7	205250	20000	225250	32000	10660	42660	182590
73	चायल	कौशाम्बी	1387/ 08.05.17	291/ 02.02.17	283	1888	1800000	11000	20768000	20768000	5	1038400	20000	1058400	90000	20000	110000	948400
			1629/ 12.05.15	2595/ 24.12.12	374 मि 0	2280	1425000	5400	12312000	12312000	5	615600	10000	625600	71250	10000	81250	544350

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			4047/ 05.10.16	3560/ 28.08.15	93 मि 0	1580	1440000	6800	11236000	11236000	5	561800	20000	581800	72000	20000	92000	489800
			4091/ 06.10.16	1390/ 14.06.13	1006	1481	464000	6400	9478400	9479000	5	473950	20000	493950	23200	9280	32480	461470
74	सिराथू		3756/ 02.08.16	587/ 01.08.16	971	2280	412000	8000	18240000	18240000	5	912000	20000	932000	20600	8240	28840	903160
			651/ 03.02.16	559/ 16.02.15	1326	830	501000	9000	7470000	7470000	4 व 5	363500	20000	383500	23330	10020	33350	350150
			2111/ 17.10.17	2579/ 11.11.11	199	1590	360000	3500	5565000	5565000	5	278250	20000	298250	18000	7200	25200	273050
75	कसया	कुशीनगर	1694/ 06.05.17	5604/ 27.12.16	2236	1390	695000	1400	1946000	1946000	6 व 7	126220	20000	146220	41700	13900	55600	90620
			3115/ 24.07.17	1035/ 24.03.17	2236	1390	695000	1400	1946000	1946000	6 व 7	126220	20000	146220	41700	13900	55600	90620
76	तमकुही राज		4457/ 19.09.17	4258/ 06.09.17	1422	2240	1524000	5900	13216000	13216000	6 व 7	915120	20000	935120	96700	20000	116700	818420
			4841/ 12.10.17	4810/ 11.10.17	905	690	2243000	6500	4485000	4485000	6 व 7	303950	20000	323950	147100	20000	167100	156850
77	हाटा		1355/ 24.03.17	1068/ 15.03.17	1043 मि	6130	2452000	1900	11647000	11647000	4 व 5	572350	20000	592350	112600	20000	132600	459750
			627/ 14.02.17	545/ 10.02.17	492	2270	1476000	4300	9761000	9761000	4 व 5	478050	20000	498050	63800	20000	83800	414250
			205/ 19.01.17	185/ 18.01.17	87	1255.5	2804000	6700	8411850	8412000	6 व 7	578840	20000	598840	186280	20000	206280	392560
			5009/ 22.09.17	6530/ 20.10.16	333	716.6	1673000	7000	5016200	5017000	7	351190	20000	371190	117110	20000	137110	234080
			546/ 29.01.18	5279/ 16.08.16	159	1210	1130000	2800	3388000	3388000	4 व 5	159400	20000	179400	46510	20000	66510	112890
78	निघासन	लखीमपुर खीरी	2795/ 25.07.17	2099/ 22.04.16	900	3880	1887000	7200	27936000	27936000	5	1396800	20000	1416800	94500	20000	114500	1302300
			3936/ 12.7.16	1992/ 13.4.16	333	2170	526000	5610	12173700	12173700	5	608685	20000	628685	26300	10520	36820	591865
			1667/ 16.5.17	2495/ 11.5.16	1546	1050	174000	5600	5880000	5880000	5	294000	20000	314000	8700	3480	12180	301820

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			23/ 04.01.17	2495/ 11.05.16	1546	1050	174000	5600	5880000	5880000	5	294000	20000	314000	8700	3480	12180	301820
79	पलिया		2326/ 22.06.17	6692/ 26.12.16	1009	1300	813000	4000	5200000	5200000	5	260000	20000	280000	40650	16260	56910	223090
80	मोहन लालगंज	लखनऊ	6312/ 22.05.17	449/ 16.01.17	3990 मि	2530	684000	4100	10373000	10373000	7	726110	20000	746110	48000	13680	61680	684430
			5505/ 04.05.17	449/ 16.01.17	3990 मि	2530	684000	4100	10373000	10373000	7	726110	20000	746110	48000	13680	61680	684430
			10024/ 22.06.16	9038/ 08.06.16	4876स	2530	810000	5000	12650000	12650000	5	632500	20000	652500	40500	16200	56700	595800
			11232/ 20.07.16	10298/ 08.07.16	4876 मि	2530	810000	5000	12650000	12650000	5	632500	20000	652500	40500	16200	56700	595800
			16784/ 18.10.16	16726/ 18.10.16	831 मि	2115	931000	5000	10575000	10575000	5	528750	20000	548750	46600	18620	65220	483530
81	सदर I		4516/ 23.03.17	3508/ 23.03.17	1370 मि	2040	2024000	5500	11220000	11220000	7	785400	20000	805400	141700	20000	161700	643700
			21967/ 05.12.16	17044/ 05.09.16	88 मि	928	361920	1800	1670400	1671000	7	116970	20000	136970	25500	7240	32740	104230
82	सदर II		11637/ 27.07.16	11347/ 23.07.16	552 सां	3160	2308625	3500	11060000	11060000	7	774200	20000	794200	161700	20000	181700	612500
			11634/ 27.07.16	11347/ 23.07.16	552 सां	1890	1385175	3500	6615000	6615000	7	463050	20000	483050	97100	20000	117100	365950
			5011/ 09.05.17	17229/ 18.11.16	237	2768	4095000	3500	9688000	9688000	7	678160	20000	698160	315000	20000	335000	363160
83	सदर III		1693/ 24.04.17	366/ 01.02.17	69	3327.50	22029725	12000	39930000	39930000	7	2795100	20000	2815100	1542100	20000	1562100	1253000
84	सदर IV		1474/ 20.02.17	14618/ 13.10.16	3520 मि	2530	2624000	2000	5060000	5060000	7	354200	20000	374200	183700	20000	203700	170500
			4412/ 04.05.17	3626/ 13.04.17	647 स	1770	800000	2000	3540000	3540000	5	177000	20000	197000	40000	16000	56000	141000
			2659/ 24.03.17	14618/ 13.10.16	3520 मि	2530	1518000	2000	5060000	5060000	7	354200	20000	374200	106300	20000	126300	247900

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			1631/ 23.02.17	1180/ 10.02.17	1978	1480	888000	4000	5920000	5920000	7	414400	20000	434400	62500	17760	80260	354140
			3450/ 10.04.17	14618/ 13.10.16	3520 मि	2530	1518000	2000	5060000	5060000	7	354200	20000	374200	106300	20000	126300	247900
85	सदर V		3966/ 23.04.16	12071/ 05.12.15	600 मि 0	4807	20941610	7600	36533200	36534000	7	2557380	20000	2577380	1466000	20000	1486000	1091380
86	कुलपहाड़	महोबा	2237/ 01.08.17	1586/ 14.06.17	206	2831	262000	4900	13871900	13871900	4 व 5	683595	20000	703595	10480	5240	15720	687875
			2168/ 25.07.17	1586/ 14.06.17	206	1887	160000	4900	9246300	9246300	4 व 5	452315	20000	472315	6400	3200	9600	462715
			2886/ 12.07.16	874/ 15.02.14	1407	1740	253000	4500	7830000	7830000	5	391500	20000	411500	12650	5060	17710	393790
			2167/ 25.07.17	1586/ 14.06.17	206	943.3	113000	4900	4622170	4622200	4 व 5	221110	20000	241110	4520	2260	6780	234330
			1535/ 18.03.16	5896/ 14.10.14	653 मि	4305	449000	4500	19372500	19373000	4 व 5	958650	20000	978650	18060	8980	27040	951610
87	चरखारी		2017/ 08.09.16	176/ 22.01.16	128	1560	441000	2800	4368000	4368000	5	218400	20000	238400	22050	8820	30870	207530
			1963/ 24.08.16	739/ 04.04.16	133	510	290000	2750	1402500	1403000	4 व 5	60150	20000	80150	11600	5800	17400	62750
88	सदर		3491/ 27.06.16	2326/ 04.05.16	599	7470	3287000	4000	29880000	29880000	5	1494000	20000	1514000	164350	20000	184350	1329650
89	फरेंदा	महराज गंज	3946/ 26.10.16	872/ 14.03.16	78 मि	570	360000	4850	2764500	2765000	5	138250	20000	158250	18000	7200	25200	133050
			4091/ 15.11.16	4063/ 08.11.16	2401 मि	570	240000	4850	2764500	2765000	4 व 5	128250	20000	148250	9600	4800	14400	133850
90	सदर		865/ 02.02.18	6406/ 25.08.17	399	3630	2142000	5700	20691000	20691000	4 व 5	1024550	20000	1044550	97100	20000	117100	927450
91	निचलौल		2901/ 20.06.16	2561/ 03.06.16	40	1280	474000	5550	7104000	7104000	4 व 5	345200	20000	365200	18960	9480	28440	336760
			2900/ 20.06.16	2561/ 03.06.17	40	1280	474000	5550	7104000	7104000	4 व 6	345200	20000	365200	18960	9480	28440	336760
			2229/ 20.05.17	3214/ 11.07.16	326	2220	733000	3100	6882000	6882000	4 व 7	334100	20000	354100	29320	14660	43980	310120

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			131/ 12.01.16	25/ 05.01.16	475 मि	790	288000	2700	2133000	2133000	5	106650	20000	126650	14400	5760	20160	106490
92	सदर	मैनपुरी	11713/ 19.10.15	4226/ 09.04.15	49	730	379000	5000	3650000	3656000	6 व 7	245920	10000	255920	22800	3790	26590	229330
93	भोगावं		5007/ 28.05.16	9049/ 03.09.15	770 मि	2020	505000	3000	6060000	6060000	5	303000	20000	323000	25300	10100	35400	287600
			4959/ 27.5.16	11602/ 22.12.14	770 मि	2020	505000	3000	6060000	6060000	5	303000	20000	323000	25300	10100	35400	287600
94	सदर	मथुरा	2910/ 30.03.17	2381/ 21.03.17	14 ए	3050	5490000	4500	13725000	13725000	7	960750	20000	980750	384500	20000	404500	576250
			5847/ 30.04.16	4160/ 21.03.16	402	1760	1760000	4500	7920000	7920000	6 व 7	544400	20000	564400	113200	20000	133200	431200
			6871/ 23.06.17	15956/ 14.12.16	409	1265	1392000	3000	3795000	3795000	7	265650	20000	285650	97500	20000	117500	168150
95	छाता		1479/ 22.02.17	1220/ 14.02.17	497	4050.00	1500000	1300	5265000	5265000	7	368550	20000	388550	105000	20000	125000	263550
			8138/ 04.06.16	3530/ 10.03.16	128 मि	16130.00	53230000	3400	54842000	54842000	7	3838940	20000	3858940	3726200	20000	3746200	112740
96	मधुबन	मऊ	424/ 23.02.16	289/ 06.02.16	115 मि	900	981000	5350	4815000	4815000	4 व 5	230750	20000	250750	39250	19620	58870	191880
97	मोहम्मदाबाद गोहना		565/ 17.02.17	32/ 06.01.17	249	1100.00	924000	3900	4290000	4290000	4 व 5	204500	20000	224500	36960	18480	55440	169060
			1661/ 18.05.17	1184/ 20.04.17	2533	660.50	1330000	5800	3830900	3830900	5	191545	20000	211545	66500	20000	86500	125045
98	घोसी		746/ 15.03.16	580,581/ 26.02.16	671	2160.00	1188000	5200	11232000	11232000	4 व 5	551600	20000	571600	49400	20000	69400	502200
			1648/ 21.07.17	1093/ 27.04.16	1131	610.00	915000	5200	3172000	3172000	4 व 5	148600	20000	168600	36600	18300	54900	113700
99	सदर	मीर्जापुर	4550/ 17.06.16	3478/ 12.05.16	123 मि	5060	6452000	2560	12953600	12954000	6 व 7	896780	20000	916780	442000	20000	462000	454780
			2009/ 16.03.16	1907/ 11.03.16	1733	1640	215000	2480	4067200	4068000	5	203400	20000	223400	10750	4300	15050	208350
			2276/ 25.04.17	1622/ 25.03.17	212 व 252	2710	1776000	1370	3712700	3713000	7	259910	20000	279910	124350	20000	144350	135560

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			4098/ 03.06.16	1814/ 08.03.16	2 जे मी	1900	1794000	1840	3496000	3496000	7	244720	20000	264720	108100	20000	128100	136620
			6979/ 28.10.17	6893/ 26.10.17	413	561	288000	2270	1273470	1273500	7	89145	20000	109145	20200	5760	25960	83185
100	चुनार		2270/ 20.04.17	1930/ 31.03.17	271/ 272	2450	1186000	2900	7105000	7105000	7	497350	20000	517350	83230	20000	103230	414120
			3399/ 2.6.17	2745/ 11.05.17	132	2530	920000	3600	9108000	9108000	4 व 5	445400	20000	465400	36800	18400	55200	410200
			7914/ 25.10.16	653/ 25.01.16	333	825	440000	3200	2640000	2640000	7	184800	20000	204800	31000	8800	39800	165000
101	सदर कांठ	मुरादाबाद	4618/ 20.11.17	4377/ 01.11.17	262	1270	1970000	7500	9525000	9525000	5	476250	20000	496250	98500	20000	118500	377750
			5903/ 31.08.16	5821/ 27.08.16	175	6290	2142000	2400	15096000	15096000	4 व 5	744800	20000	764800	97100	20000	117100	647700
102	ठाकुरद्वारा		2823/ 30.03.16	2833/ 30.03.16	223 आ 233 ब	1428	1481000	6600	9424800	9425000	5	471250	20000	491250	65274	20000	85274	405976
			4376/ 25.05.16	2177/ 17.06.16	148	650	367000	4950	3217500	3217500	6 व 7	215225	20000	235225	22650	7340	29990	205235
103	रानीगंज	प्रतापगढ़	448/ 15.02.17	1561/ 27.05.16	295 मि	510	251000	3300	1683000	1683000	5	84150	20000	104150	12550	5020	17570	86580
104	कुण्डा		1178/ 23.02.16	1016/ 18.02.16	3482	1260	693000	6000	7560000	7560000	5	378000	20000	398000	34650	13860	48510	349490
105	लालगंज		212/ 21.01.17	112/ 17.01.17	4134	1160	592000	4600	5336000	5336000	4 व 5	256800	20000	276800	23700	11840	35540	241260
			616/ 27.02.16	617/ 27.02.16	1282	1150	575000	4000	4600000	4600000	4 व 5	220000	20000	240000	23000	11500	34500	205500
			3827/ 23.08.16	189/ 13.01.16	228	1190	322000	4200	4998000	4998000	4 व 5	239900	20000	259900	12880	6440	19320	240580
106	सदर	रामपुर	551/ 20.01.18	41/ 02.01.18	14	1140	570000	3000	3420000	3420000	7	239400	20000	259400	40000	11440	51440	207960
107	महराज गंज	रायबरेली	1339/ 09.03.17	1246/ 01.08.16	947	5690	1252000	2800	15932000	15932000	5	796600	20000	816600	62600	20000	82600	734000

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
108	सदर		2855/ 10.04.17	1157/ 29.01.16	187 मि 0	3160	1517000	4200	13272000	13272000	7	929040	20000	949040	106200	20000	126200	822840
			6483/ 23.05.16	1907/ 20.02.16	163/8 वा 162	3980	8073000	5400	21492000	21492000	7	1504440	20000	1524440	565200	20000	585200	939240
			4850/ 15.06.17	4126/ 24.05.17	733 मि	1265	1014000	5800	7337000	7337000	7	513590	20000	533590	71000	20000	91000	442590
			3929/ 18.05.17	1157/ 29.01.16	187 मि	2530	1215000	4200	10626000	10626000	6 व 7	733820	20000	753820	96200	20000	116200	637620
			2387/ 24.03.17	718/ 20.01.16	496 मि	886	532000	4600	4075600	4076000	6 व 7	275320	20000	295320	32000	10640	42640	252680
109	महराज गंज		8738/ 07.11.16	1495/ 16.02.15	1653	632.5	225000	7200	4554000	4554000	4 व 5	217700	20000	237700	9000	4500	13500	224200
			4910/ 08.06.16	1669/ 20.02.15	3189	843	653000	5600	4720800	4721000	5	236050	20000	256050	32700	13060	45760	210290
110	सलोन		468/ 03.02.17	3141/ 21.07.16	2604	403	170000	7200	2901600	2902000	5	145100	20000	165100	8500	20000	28500	136600
111	ईटवा	सिद्धार्थ नगर	715/ 03.04.17	2972/ 30.09.16	963	630	378000	4400	2772000	2772000	5	138600	20000	158600	19000	7560	26560	132040
112	सदर	सीतापुर	651/ 23.01.16	431/ 18.01.16	69	1300	3081000	4000	5200000	5200000	6 व 7	354000	20000	374000	207500	20000	227500	146500
113	महमूदाबाद		2657/ 06.06.16	2458/ 26.05.16	288	810	3208000	5300	4293000	4293000	7	300510	20000	320510	225000	20000	245000	75510
114	सदर	सोनभद्र	7388/ 04.10.16	572/ 25.01.14	160 मि	5060	1417000	2400	12144000	12144000	4 व 5	597200	20000	617200	61000	20000	81000	536200
			1357/ 15.03.17	572/ 25.01.14	160 मि	2530	709000	2400	6072000	6072000	5	303600	20000	323600	35450	14180	49630	273970
			313/ 27.01.17	138/ 17.01.17	165 मि	2400	627000	1400	3360000	3360000	5	168000	20000	188000	31350	12540	43890	144110
115	घोरावल		1511/ 31.05.16	845/ 21.03.16	223	6240	565000	1300	8112000	8112000	4 व 5	395600	20000	415600	22600	11300	33900	381700
			496/ 21.03.17	86/ 23.01.17	693 मि	3540	425000	1400	4956000	4956000	4 व 5	237800	20000	257800	17000	8500	25500	232300

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबंधन उप0नि0)	जनपद का नाम	लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	समान गाटा / खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित लेखपत्र संख्या एवं निष्पादन की तिथि	गाटा / खसरा संख्या	बिक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
			1535/ 02.06.16	1517/ 01.06.16	44 मि	3790	471000	1100	4169000	4169000	5	208450	20000	228450	20850	8340	29190	199260
			4203/ 19.12.15	180/ 15.01.15	668 मि	660	179000	6000	3960000	3960000	4 व 5	188000	20000	208000	7200	3620	10820	197180
116	सदर	सुल्तानपुर	5565/ 04.07.16	4976/ 15.06.16	97 मि	1260	511000	1900	2394000	2394000	5	119700	20000	139700	25700	10220	35920	103780
			4853/ 10.06.16	3110/ 16.04.16	39 छ	1450	870000	3960	5742000	5742000	4 व 5	277100	20000	297100	34800	17400	52200	244900
117	सफीपुर	उन्नाव	6228/ 23.07.16	9592/ 09.12.15	257 अ व 257 ब	4789	2497000	1800	8620200	8621000	5	431050	20000	451050	125000	20000	145000	306050
118	हसनगंज		7212/ 13.11.17	6112/ 04.10.17	57	2800	2148000	3200	8960000	8960000	6 व 7	617200	20000	637200	140500	20000	160500	476700
			7617/ 28.11.17	10699/ 14.12.16	95 च	1210	1280000	3200	3872000	3872000	6 व 7	261040	20000	281040	81000	20000	101000	180040
119	सदर		7707/ 05.08.17	15042/ 08.09.16	18	1655	1880000	6000	9930000	9930000	7	695100	20000	715100	132000	20000	152000	563100
			7706/ 05.08.17	15042/ 08.09.16	18	820	9333000	6600	5412000	5412000	7	378840	20000	398840	65500	17800	83300	315540
120	पिण्डरा	वाराणसी	3287/ 23.06.16	2108/ 02.05.16	422 क	660	792000	5600	3696000	3696000	6 व 7	248720	20000	268720	47550	15840	63390	205330
			3931/ 25.07.16	1107/ 04.03.16	41	1010	829000	3200	3232000	3232000	7	226240	20000	246240	58050	16580	74630	171610
			3910/ 08.09.17	2210/ 24.5.17	337	750	1207500	4800	3600000	3600000	4 व 5	170000	20000	190000	50400	15840	66240	123760
योग			**266**			**508933.71**	**585618795**			**2560871800**		**148768108**	**5250000**	**154018108**	**35601624**	**4230510**	**39832134**	**114185974**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

परिशिष्ट-XVI

परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किए गये कार्यों के लिए ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.3)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	मामलों की कुल सं0	नमूना जाँच किये गये मामलों की सं0	पाये गये आपत्ति की सं0	रॉयल्टी की अवधि	अदा रॉयल्टी	देय खनिज मूल्य
16 अक्टूबर 2015 से पूर्व के मामले							
1	जि0खा0अ0 फतेहपुर	19	19	19	06/14 से 07/15	10,49,601	52,48,005
2	जि0खा0अ0 जे0पी0नगर	35	35	35	01–01–2015	12,82,078	64,10,390
3	जि0खा0अ0 पीलीभीत	14	14	14	01–02–2015	6,95,078	34,75,390
(i) योग		**68**	**68**	**68**		**30,26,757**	**1,51,33,785**
16 अक्टूबर 2015 या उसके बाद के मामले							
1	जि0खा0अ0 बाराबंकी	94	94	94	06/16 से 07/17	1,43,91,686	7,19,58,430
2	जि0खा0अ0 फतेहपुर	3	3	3	अगस्त 2017	92,291	4,61,455
3	जि0खा0अ0 जालौन	52	52	45	04/17 से 09/17	24,79,039	1,23,95,195
4	जि0खा0अ0 जे0पी0नगर	14	14	14	01–03–2017	28,74,474	1,43,72,370
		4	4	4	02/17 से 03/17	17,01,000	85,05,000
5	जि0खा0अ0 महोबा	18	18	9	03/17 से 09/17	43,17,559	2,15,87,795
6	जि0खा0अ0 पीलीभीत	4	4	4	2016–17	63,59,695	3,17,98,475
7	जि0खा0अ0 सिद्वार्थनगर	21	21	21	09/16 से 07/17	94,38,181	4,71,90,905
8	जि0खा0अ0 सोनभद्र	72	72	72	08/17 से 01/18	78,57,785	3,92,88,925
(ii) योग		**282**	**282**	**266**		**4,95,11,710**	**24,75,58,550**
महायोग (i + ii)		**350**	**350**	**334**		**5,25,38,467**	**26,26,92,335**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट-XVII

ईट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.5)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ईंट भट्ठे की श्रेणी	ईंट भट्टा की कुल संख्या	लेखापरीक्षा दल द्वारा जाँचे गये प्रकरणों की सं0	पाये गये आपत्ति की सं0	रॉयल्टी की अवधि	देय रॉयल्टी	पलोथन की मिट्टी पर देय रॉयल्टी	देय अनुज्ञा फीस	कुल देय रॉयल्टी एवं अनुज्ञा फीस	कुल जमा	नहीं जमा/कम जमा		
												अनारोपित	कम आरोपित	योग
1	जि0खा0अ0 बागपत	अ	488	164	62	2015-16	10049400	2009880	124000	12183280	5151380	0	7031900	7031900
2	जि0खा0अ0 चित्रकूट	स	3	3	2	2015-16	194400	38880	4000	237280	0	237280	0	237280
		स	3	3	2	2016-17	194400	19440	4000	217840	0	217840	0	217840
3	जि0खा0अ0 फतेहपुर	ब	329	215	21	2015-16	2394900	478980	42000	2915880	0	2915880	0	2915880
		ब	329	215	41	2016-17	4679100	467910	82000	5229010	0	5229010	0	5229010
4	जि0खा0अ0 हमीरपुर	ब	51	51	17	2015-16	2000700	400140	34000	2434840	1538100	0	896740	896740
		ब	51	51	14	2016-17	1641600	164160	28000	1833760	1427631	0	406129	406129
		ब	21	21	3	2013-14	136350	0	6000	142350	0	142350	0	142350
		ब	23	23	9	2014-15	427950	0	18000	445950	0	445950	0	445950
		ब	24	24	9	2015-16	1061100	212220	18000	1291320	0	1291320	0	1291320
		ब	27	27	14	2016-17	1647000	164700	28000	1839700	0	1839700	0	1839700
5	जि0खा0अ0 हरदोई	ब	302	302	19	2015-16	2433600	486720	38000	2958320	1270300	0	1688020	1688020
6	जि0खा0अ0 जे0पी0नगर	अ	118	87	3	2014-15	242250	0	0	242250	229500	0	12750	12750
		अ	120	87	18	2015-16	2635200	527040	36000	3198240	0	3198240	0	3198240
		अ	120	87	3	2015-16	456300	91260	6000	553560	308130	0	245430	245430
7	जि0खा0अ0 जालौन	ब	12	12	7	2015-16	774900	154980	14000	943880	570600	0	373280	373280
		ब	12	12	5	2015-16	548100	109620	10000	667720	0	667720	0	667720
		ब	9	9	7	2016-17	774900	77490	14000	866390	0	866390	0	866390
8	जि0खा0अ0 मिर्जापुर	स	322	255	90	2015-16	7543800	1508760	180000	9232560	0	9232560	0	9232560
		स	322	255	195	2016-17	17471700	1747170	390000	19608870	0	19608870	0	19608870

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ईंट भट्ठे की श्रेणी	ईंट भट्टा की कुल संख्या	लेखापरीक्षा दल द्वारा जाँचे गये प्रकरणों की सं0	पाये गये आपत्ति की सं0	रॉयल्टी की अवधि	देय रॉयल्टी	पलोथन की मिट्टी पर देय रॉयल्टी	देय अनुज्ञा फीस	कुल देय रॉयल्टी एवं अनुज्ञा फीस	कुल जमा	नहीं जमा/कम जमा		
												अनारोपित	कम आरोपित	योग
9	जि0खा0अ0 पीलीभीत	अ	160	93	20	2015-16	3024000	604800	40000	3668800	1867377	0	1801423	1801423
		अ	147	87	17	2014-15	1308150	0	34000	1342150	0	1342150	0	1342150
		अ	160	93	22	2015-16	3369600	663920	44000	4087520	0	4087520	0	4087520
10	जि0खा0अ0 सिद्वार्थनगर	स	225	225	8	2015-16	696600	139320	16000	851920	0	851920	0	851920
		स	225	225	14	2016-17	1128600	112860	28000	1269460	0	1269460	0	1269460
11	जि0खा0अ0 सोनभद्र	स	9	9	6	2016-17	545400	54540	12000	611940	0	611940	0	611940
12	जि0खा0अ0 सीतापुर	ब	250	100	8	2014-15	491350	0	16000	507350	0	507350	0	507350
		ब	250	100	24	2015-16	3024000	604800	48000	3676800	0	3676800	0	3676800
योग			**4112**	**2835**	**660**		**7,08,95,350**	**1,08,39,590**	**13,14,000**	**8,30,58,940**	**1,23,63,018**	**5,82,40,250**	**1,24,55,672**	**7,06,95,922**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

नोट:- कुल रॉयल्टी + अनुज्ञा फीस = ₹ 7.07 करोड़
देय अनुज्ञा फीस = ₹ 13.14 लाख
रॉयल्टी = ₹ 6.94 करोड़

परिशिष्ट-XVIII
अपरिहार्य भाटक का नहीं/कम जमा होना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.6)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कुल मामलों की सं0	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गये मामलों की सं0	मामलों की सं0 जिसमे आपत्ति पायी गयी	पट्टा अवधि	अपरिहार्य भाटक की अवधि	देय अपरिहार्य भाटक	जमा अपरिहार्य भाटक	अपरिहार्य भाटक का नहीं/कम जमा किया जाना
1	जि0खा0अ0 इलाहाबाद	77	8	1	06–02–2009 से 05–02–2019	06/02/12 से 05/02/16	1768192	0	1768192
2	जि0खा0अ0 बागपत	1	1	1	17–12–2011 से 16–12–2014	17/12/13 से 16/12/14	650611	0	650611
3	जि0खा0अ0 बांदा	10	2	2	13–06–2013 से 12–06–2016	13/06/15 से 12/06/16	21015746	17285000	3730746
4	जि0खा0अ0 हमीरपुर	57	25	6	11–03–2013 से 18–06–2018	01/04/15 से 01/01/16	7397480	1200000	6197480
5	जि0खा0अ0 जालौन	6	6	2	29–11–2006 से 12–12–2016	01/04/15 से 01/10/16	4185000	0	4185000
6	जि0खा0अ0 महोबा	132	32	7	28–08–2009 से 29–06–2021	18/06/2017 से 13/11/17	4342800	0	4342800
योग		**283**	**74**	**19**	**11/2006 से 06/2021**	**0222012 से 11/2017**	**39359829**	**18485000**	**20874829**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एजीयूपी.एनआईसी.इन